

# वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2014

## प्रत्यक्ष कर से संबंधित उपबंध

### प्रस्तावना

वित्त (सं. 2) विधेयक, 2014 के प्रत्यक्ष करों से संबंधित उपबंध, अन्य बातों के साथ-साथ आय-कर अधिनियम, और वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 में निम्नलिखित का उपबंध करने हेतु संशोधन करने के लिए हैं,—

- (क) आयकर दरें;
- (ख) अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उपाय;
- (ग) सामाजिक-आर्थिक विकास का संवर्धन करने के लिए उपाय;
- (घ) अनुतोष और कल्याणकारी उपाय;
- (ङ) कर आधार को व्यापक बनाना और कर परिवर्जन रोधी उपाय;
- (च) सुव्यवस्थीकरण संबंधी उपाय।

2. वित्त (सं. 2) विधेयक, 2014, निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए कर हेतु दायी आय पर आय-कर की दरों को, ऐसी दरों को, जिन पर वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान ब्याज (जिसके अंतर्गत प्रतिभूतियों पर ब्याज भी है) से स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी, लॉटरियों या वर्ग पहेली से जीत, घुड़दौड़, ताश के खेल से जीत की रकम और आय-कर अधिनियम के अधीन स्रोत पर कर की कटौती या संग्रहण के लिए दायी आय के अन्य प्रवर्गों; “अग्रिम कर” की संगणना के लिए दरों, “वेतन” से आय-कर की कटौती या उस पर कर का संदाय और वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए कतिपय मामलों में वर्तमान आय पर आय-कर प्रभासित करने की दरों को विहित करने के लिए है।

3. प्रत्यक्ष करों से संबंधित विधेयक के मुख्य उपबंधों का सार निम्नलिखित पैराओं में स्पष्ट किया गया है।

### प्रत्यक्ष-कर

#### क. आय-कर की दरें

##### I. निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए कर के लिए दायी आय की बाबत आय-कर की दरें

निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए कर के लिए दायी निर्धारितियों के सभी प्रवर्गों की आय की बाबत आय की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-1 में विनिर्दिष्ट की गई हैं। ये वही दरें हैं जो “अग्रिम कर” की संगणना, “वेतन” से स्रोत पर कर की कटौती और कतिपय मामलों में संदेय कर के प्रभारण के प्रयोजनों के लिए वित्त अधिनियम, 2013 की पहली अनुसूची के भाग-3 में अधिकथित हैं।

##### (1) आय-कर पर अधिभार

निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए कर के लिए दायी आय की बाबत अधिभार निम्नलिखित मामलों में उद्गृहीत किया जाएगा:—

- (क) प्रत्येक व्यक्ति या अविभक्त कुटुम्ब या व्यक्तियों का निकाय चाहे वे निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) धारा 2 के खंड (31) उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, सहकारी समितियां फर्म या स्थानीय निकायों की दशा में आय-कर की रकम को ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर का दस प्रतिशत की दर से संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा।

तथापि, इन सभी मामलों में सीमान्त राहत यह सुनिश्चित करने के अनुज्ञात की जाएगी कि एक करोड़ रुपए से अधिक कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आयकर के रूप में संदेय कुल रकम उस आय की रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है।

ऊपर (क) में उल्लिखित ऐसे व्यक्तियों की दशा में भी, जिनकी कुल आय अधिनियम की धारा 155जग के अधीन कर से प्रभास्य है और जहां ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऊपर उल्लिखित दर पर अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा और सीमान्त राहत भी प्रदान की जाएगी।

(ख) ऐसी देशी कंपनी की दशा में,—

- (i) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु दस करोड़ रुपए से अनधिक है संगणित आय-कर की रकम को संघ के प्रयोजनों के लिए ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा;
- (ii) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, संगणित आय-कर की रकम को संघ के ऐसे प्रयोजनों के लिए ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा।

(ग) देशी कंपनी से भिन्न किसी कंपनी की दशा में,—

- (i) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु दस करोड़ रुपए से अनधिक है संगणित आय-कर की रकम को संघ के प्रयोजनों के लिए ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा,

- (ii) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है संगणित आयकर की रकम को संघ के प्रयोजनों के लिए ऐसे आयकर के पांच प्रतिशत की दर से, परिकल्पित अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा।

तथापि, इन सभी मामलों में सीमान्त राहत यह सुनिश्चित करने के लिए अनुज्ञात की जाएगी कि एक करोड़ रुपए से अधिक कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम किन्तु दस करोड़ रुपए से अनधिक एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आयकर के रूप में संदेय कुल रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है। दस करोड़ रुपए से अधिक कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आयकर के रूप में तथा अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह दस करोड़ रुपए से अधिक है।

प्रत्येक कंपनी की दशा में भी जिसकी अधिनियम की धारा 115 जख के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और जहां ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक हो जाती है, किन्तु यथास्थिति, दस करोड़ रुपए से अनधिक है या दस करोड़ रुपए से अधिक है। पूर्वोक्त वर्णित दरों पर अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा और सीमांत राहत भी उपलब्ध करायी जाएगी।

(घ) अन्य मामलों में (जिनके अन्तर्गत धारा 115ण, 115थक, 115द, या 115नक भी हैं) दस प्रतिशत की दर पर अधिभार का उदग्रहण किया जाएगा।

## (2) शिक्षा उपकर

निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए "आय-कर पर शिक्षा उपकर" और आय-कर पर "माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर" नामक अतिरिक्त अधिभार सभी मामलों में अधिभार को सम्मिलित करके संगणित कर रकम पर क्रमशः दो प्रतिशत और एक प्रतिशत की दर पर उद्गृहीत होता रहेगा। ऐसे उपकर की बाबत कोई सीमांत अनुतोष उपलब्ध नहीं होगा।

## II. "वेतन" से भिन्न कतिपय आयों से वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती के लिए दरें

"वेतन" से भिन्न कतिपय आयों से वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती के लिए दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-2 में विनिर्दिष्ट की गई हैं। सभी प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए दरें वही रहेंगी जो वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए वित्त अधिनियम, 2013 की पहली अनुसूची के भाग-2 में विनिर्दिष्ट हैं।

### (1) अधिभार

(कंपनी से भिन्न) किसी अनिवासी व्यक्ति की दशा में इस प्रकार कटौती की गई कर की रकम को, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आयों का योग कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है वहां ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा। ऐसे कटौती की गई कर की रकम को, देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,-

- जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आयों का योग कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु दस करोड़ रुपए से अनधिक है, वहां ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा।
- जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आयों का योग कटौती के अधीन रहते हुए दस करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा।

अन्य मामलों में कटौतियों के संबंध में कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

### (2) शिक्षा उपकर

भारत में अनिवासी व्यक्तियों की दशा में, जिसके अन्तर्गत देशी कंपनी से भिन्न कंपनियां भी हैं, जहां कहीं लागू हो, अधिभार सहित, आय-कर के क्रमशः दो प्रतिशत और एक प्रतिशत की दर से "आय-कर पर शिक्षा उपकर" और "आय-कर पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर" उद्गृहीत किया जाता रहेगा।

## III. वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान "वेतन" से स्रोत पर आय-कर की कटौती, अग्रिम कर की संगणना और विशेष दशाओं में आय-कर प्रभारित करने के लिए दरें

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान "वेतन" से स्रोत पर आय-कर की कटौती के लिए दरें और सभी प्रवर्गों के निर्धारितियों की दशा में उक्त वर्ष के दौरान संदेय "अग्रिम कर" की संगणना से लिए भी दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 में विनिर्दिष्ट की गई हैं। ऐसे मामलों में, जहां त्वरित निर्धारण किए जाने हैं, उदाहरणार्थ अनिवासियों को भारत में उद्भूत होने वाले पोत संबंधी लाभों का अनंतिम निर्धारण, वित्तीय वर्ष के दौरान हमेशा के लिए भारत छोड़ने वाले व्यक्तियों का निर्धारण, ऐसे व्यक्तियों का निर्धारण जिनके द्वारा कर से बचने के लिए संपत्ति अंतरित करने की संभावना है, अल्प कालावधि के लिए बने निकायों का निर्धारण, आदि, वहां ये दरें विद्यमान आयों पर वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान आय-कर प्रभारित करने के लिए भी लागू हैं।

उक्त भाग-3 में विनिर्दिष्ट दरों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित पैराओं में उपदर्शित की गई हैं—

### अ - व्यष्टि, हिन्दू अविभक्त कुटुंब, व्यक्तियों का संगम, व्यष्टियों का निकाय, कृत्रिम विधिक व्यक्ति

विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 का पैरा क आय-कर की निम्नलिखित दरों को उपबंधित करता है :—

(i) प्रत्येक व्यष्टि [नीचे (ii) और (iii) में जो उल्लिखित है, उससे भिन्न] या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के प्रत्येक संगम या व्यष्टियों के निकाय चाहे निगमित हो या नहीं, या अधिनियम की धारा 2 के खंड(31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में (जो ऐसी दशा नहीं है, जिसको भाग-3 का कोई अन्य पैरा लागू होता है) हैं, आय कर की दरें निम्नानुसार हैं:—

2,50,000 रुपए तक	शून्य
2,50,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	10 प्रतिशत
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

(ii) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या उससे अधिक आयु का है किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है,—

3,00,000 रुपए तक	शून्य
3,00,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	10 प्रतिशत
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

(iii) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु का है,—

5,00,000 रुपए तक	शून्य
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम को, ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा।

तथापि, एक करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है।

#### आ - सहकारी सोसाइटी

सहकारी सोसाइटियों की दशा में, आय-कर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा ख में विनिर्दिष्ट की गई हैं। ये दरें वही बनी रहेंगी जो निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए विनिर्दिष्ट हैं।

आय-कर की रकम को, ऐसी सहकारी सोसायटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा।

तथापि, एक करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है।

#### इ - फर्म

फर्मों की दशा में, आय-कर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा ग में विनिर्दिष्ट की गई हैं। यह दर उसी प्रकार बनी रहेगी जो निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए विनिर्दिष्ट है।

आय-कर की रकम को, ऐसी फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा।

तथापि, एक करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है।

#### ई - स्थानीय प्राधिकारी

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, आय-कर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा घ में विनिर्दिष्ट हैं। यह दर उसी प्रकार बनी रहेगी जो वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए विनिर्दिष्ट है।

आय-कर की रकम को, ऐसे स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से अधिभार बढ़ाया जाएगा।

तथापि, एक करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है।

#### उ - कंपनी

कंपनियों की दशा में, आय-कर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग - 3 के पैरा ड में विनिर्दिष्ट हैं। ये दरें वही हैं जो वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं।

किसी देशी कंपनी की दशा में पांच प्रतिशत के विद्यमान अधिभार को उद्गृहीत किया जाता रहेगा यदि देशी कंपनी की कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है किन्तु दस करोड़ रुपए से कम है। यदि देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है तो दस प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाता रहेगा। देशी कंपनियों से भिन्न कंपनियों की दशा में विद्यमान दो प्रतिशत के अधिभार को उद्गृहीत किया जाता रहेगा। यदि कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है किन्तु दस करोड़ रुपए से अनधिक है। पांच प्रतिशत की दर पर अधिभार उद्गृहीत होता रहेगा यदि देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है।

तथापि, एक करोड़ रुपए से अधिक किन्तु दस करोड़ रुपए से अनधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है। दस करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जितनी वह दस करोड़ रुपए से अधिक है।

अन्य मामलों में (जिनके अन्तर्गत धारा 115ण, 115थक, 115द, या 115नक भी हैं) दस प्रतिशत की दर पर अधिभार का उदग्रहण किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए, सभी मामलों में “आय-कर पर शिक्षा उपकर” और “आय-कर पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर” नामक अतिरिक्त अधिभार, अधिभार सहित (जहां कहीं लागू हो) संगणित कर की रकम पर क्रमशः दो प्रतिशत और एक प्रतिशत की दर से उद्ग्रहीत किया जाता रहेगा। ऐसे उपकर के संबंध में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगी।

[खंड 2 और पहली अनुसूची]

## ख. अतिरिक्त संसाधन जुटाने संबंधी उपाय

### लाभांश और आय वितरण कर

अधिनियम की धारा 115ण यह उपबंध करती है कि देशी कंपनी अपने शेयरधारकों को लाभांश के रूप में घोषित, वितरित या संदत्त किसी रकम पर 15 प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त कर के संदाय के लिए दायी होगी। वितरित लाभों पर यह कर लाभांशों के रूप में घोषित, वितरित या संदत्त रकम की बाबत अन्तिम कर है और इसकी बाबत किसी प्रत्यय का कंपनी द्वारा या शेयरधारक द्वारा कोई दावा नहीं किया जा सकता।

अधिनियम की धारा 115द इसी प्रकार पारस्परिक निधियों द्वारा इसके विनिधानकर्ताओं को उपबंधित दरों पर वितरित आय की बाबत अतिरिक्त आयकर के उदग्रहण के लिए उपबंध करती है।

लाभांश वितरण कर (डीडीटी) के आरंभ होने से पूर्व लाभांश शेयर धारकों के हाथ में कराधेय होते थे। वितरणीय अधिशेष को व्यपदिष्ट करने वाले लाभांश की सकल रकम कराधेय थी, और इस रकम पर कर उस लागू दर पर शेयर धारक द्वारा संदत्त किया गया था जिसका अन्तर 0 से 30% तक का होता था। तथापि, डीडीटी व्यवस्था के प्रारंभ के पश्चात् 15% की निम्नतर दर इस समय लागू है किन्तु यह दर कंपनी द्वारा वितरण कर की कटौती के पश्चात् लाभांश के रूप में संदत्त रकम पर लागू की जा रही है। अतः, कर शुद्ध रकम के प्रति निर्देश से संगणित किया जाता है। ऐसे ही मामले वहां होते हैं जहां आय पारस्परिक निधियों द्वारा वितरित की जाती है।

वितरित आय या लाभांश, जिस पर वितरण कर का परिकलन किया जाता है, के आधार में अन्तर के कारण प्रभावी कर संबंधित धाराओं में उपबंधित दर से कम है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर उचित आधार पर उद्ग्रहीत किया जाता है तो ऐसे वितरणीय आय तथा लाभांशों की रकम जो देशी कंपनी की पारस्परिक निधि के यूनिट धारक या शेयर धारकों द्वारा वास्तव में प्राप्त किए गए हैं, अतिरिक्त कर की संगणना करने के प्रयोजन के लिए समग्र बनाने की आवश्यकता नहीं है।

अतः, यह उपबंध करने के लिए धारा 115ण का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि धारा 115ण के अनुसार संदेय वितरित लाभों पर कर का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए, उक्त धारा की उपधारा (1) में निर्दिष्ट लाभों के रूप में कोई रकम उपधारा (1क) में निर्दिष्ट रकम में घटाकर आई हो, (जिसे शुद्ध वितरित लाभ कहा गया है) ऐसी रकम तक वृद्धि की जाएगी जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट दर पर ऐसी बड़ी हुई रकम पर कर के घटाने के पश्चात् शुद्ध वितरित लाभों के समान होगी।

इस प्रकार, जहां किसी कंपनी द्वारा संदत्त या वितरित लाभांश की रकम 85 रुपए है वहां संशोधित उपबंध के अधीन डीडीटी का परिकलन निम्नानुसार किया जाएगा :-

वितरित लाभांश रकम = 85 रुपए

वृद्धि 15 रुपए [अर्थात्  $(=85 \times 0.15) / (1 - 0.15)$  ]

वर्धित रकम = 100 रुपए

100 रुपए की 15% दर से डीडीटी = 15 रुपए

धारा 115ण के अधीन संदेय कर 15 रुपए है शेयर धारकों को वितरित लाभांश = 85 रुपए

इसी प्रकार, धारा 115द का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के अनुसार संदेय आयकर का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए वितरित आय की रकम में ऐसी रकम तक वृद्धि की जाएगी, जो उपधारा (2) या उक्त धारा के अनुसार में विनिर्दिष्ट दर पर ऐसी वर्धित रकम पर अतिरिक्त आयकर की कटौती के पश्चात् पारस्परिक निधि द्वारा वितरित आय की रकम के समान होगी।

ये संशोधन 1 अक्टूबर, 2014 से प्रभावी होंगे।

[खंड 40, और खंड 41]

## ऋणोन्मुख पारस्परिक निधि और अल्पकालिक पूंजी आस्ति के रूप में निरर्हता पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ

अधिनियम की धारा 2 का खंड (42क) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि अल्पकालिक पूंजी आस्ति से ऐसी पूंजी आस्ति अभिप्रेत है जो उसके अंतरण की तारीख से ठीक पूर्व छत्तीस मास से अनधिक के लिए निर्धारित द्वारा धारित की गई है। तथापि, किसी कम्पनी या भारत में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कोई अन्य प्रतिभूति या भारतीय यूनिट ट्रस्ट या पारस्परिक किसी यूनिट या शून्य कूपन बंधपत्र में धारित किसी शेयर की दशा में उसे दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के रूप में अर्हत होने के लिए धारण करने की अवधि बारह मास से अधिक नहीं है।

अल्पकालिक पूंजी आस्ति के रूप में प्रतिफल के लिए बारह मास से अनधिक तक धारण करने की अल्पतर अवधि स्टॉक बाजार पर विनिधान को प्रोत्साहित करने के लिए वहां आरंभ की गई थी जहां प्रतिभूतियों की कीमत बाजार द्वारा अवधारित की जाती है।

तदनुसार, धारा 32 की पूर्वोक्त खंड (42क) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई असूचीबद्ध प्रतिभूति और पारस्परिक निधि की यूनिट (साम्योन्मुखी पारस्परिक निधि से भिन्न) अन्तःकालिक पूंजी आस्ति लेगी, यदि उसे 36 मास से अनधिक के लिए धारित किया जाता है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2015-16 और पश्चात्तवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 3]

### यूनिटों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों पर कर

अधिनियम की धारा 112 में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत आय के मामले में संदेय कर के लिए उपबंध है। जहां ऐसी किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के जो सूचीबद्ध प्रतिभूतियां या यूनिट हैं या जीरो कूपन बंधपत्र से उद्भूत होने वाली किसी आय की बाबत संदेय कर पूंजी अभिलाभों की रकम के दस प्रतिशत से अधिक है, वहां ऐसे आधिक्य को छोड़ दिया जाएगा। किसी साम्योन्मुखी निधि की यूनिट के अन्तरण के मामले में दीर्घकालिक पूंजी लाभ कर से प्रभार्य नहीं है जो प्रतिभूति संव्यवहार कर के लिए दायी है, यूनिट की बाबत धारा 112 के अधीन फायदा, साम्योन्मुखी निधि से भिन्न, निधि की यूनिट को ही सम्मिलित करता है।

धारा 112 के उपबंधों को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे सूचीबद्ध प्रतिभूतियों (यूनिट से भिन्न) तथा जीरो कूपन बंधपत्रों को दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ पर दस प्रतिशत कर की रियायती दर को अनुज्ञात किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 और पश्चात्तवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा। [खंड 34]

### ग. सामाजिक आर्थिक वृद्धि संवर्धन करने के लिए उपाय

#### भूसंपदा विनिधान न्यास (आरईआईटी) और अवसंरचना विनिधान न्यास (इनविट) के लिए कराधान व्यवस्था

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने नए विनिधान यानों के दो नए प्रवर्गों अर्थात् भूसंपदा विनिधान न्यास (आरईआईटी) तथा अवसंरचना विनिधान न्यास (इनविट) से संबंधित प्रारूप विनियम प्रस्तावित किए हैं। इन विनियमों को टिप्पणियों के लिए लोक अधिकार क्षेत्र में रखा गया है। अंतिम विनियमों को अभी अधिसूचित किया जाना है।

ऐसे आईईटी और इनविट (जिन्हें कारबार न्यास निर्दिष्ट किया गया है) के निम्नलिखित विभेदकारी अवयव हैं :

- न्यास यूनिट (जिन्हें मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जाना है) जारी करके पूंजी जुटाएगा तथा निवासियों के साथ साथ अनिवासी विनिधानकर्ताओं से भी प्रत्यक्ष रूप से ऋण जुटा कर सकता है;
- प्रायोजक से आय धारित करने वाली आस्तियां न्यास द्वारा किसी भारतीय कंपनी (एसपीवी) में अर्जन, नियंत्रण या अन्य विशिष्ट हित द्वारा धारित की जाएंगी।

लोक निजी भागीदारी (पीपीपी) माडल के माध्यम से आस्ति परिदान के प्रसार ने वित्तपोषण के लिए उपलब्ध आस्तियों की संख्या को बढ़ाया है। भारतीय अवसंरचना और पीपीपी वर्तमान में विद्यमान परियोजनाओं के विकास में देरी, और निजी क्षेत्र निधियों तथा रणनीतिक प्रचालकों में नई परियोजनाओं के प्रति कम होते आकर्षण के कारण, चुनौतीपूर्ण अवस्था में हैं। इस चुनौतियों का सामना करने के लिए नई विनिधान यान संरचना, अवसंरचना विनिधान न्यास को सुकर बनाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार, आय कमाने वाली भू संपदा आस्तियों के प्रतिभूतिकरण को सुकर बनाने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर कराधान में इन निधियों के पहलू आवश्यक हैं।

अधिनियम को, ऐसे न्यासों को हस्तगत आय पर कराधान और ऐसे न्यासों के यूनिट धारकों के हाथों में ऐसे कारबार न्यासों द्वारा वितरित आय पर कराधेयता का उपबंध करने के लिए विशिष्ट कराधान व्यवस्था करने हेतु संशोधित करने का प्रस्ताव है। ऐसी व्यवस्था की निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं होंगी:-

- कारबार न्यास की सूचीबद्ध इकाइयों को जब मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज में व्यापार किया जाएगा तो उन पर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) का समान उद्ग्रहण होगा और कंपनी के साम्या शेरों के समान पूंजी अभिलाभों की कराधेयता की बाबत समान कर फायदे दिए जाएंगे, अर्थात्, दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ छूट प्राप्त होंगे और लघुकालिक पूंजी अभिलाभ 15% की दर पर कराधेय होंगे।
- कारबार न्यास की इकाइयों के साथ एसपीवी में शेरों के विनियम के समय प्रायोजक को उद्भूत पूंजी अभिलाभों के मामले में, प्राप्तियों का कराधान विलंबित किया जाएगा और प्रायोजक द्वारा इकाई के निपटान के समय कराधेय होगा। तथापि, कारबार न्यास की इकाइयों की बाबत उपलब्ध अधिमानता पूंजी व्यवस्था (एसटीटी के उद्ग्रहण के पारिणामिक) निपटान के समय इन यूनिटों की बाबत प्रायोजक को उपलब्ध नहीं होगी। और, पूंजी अभिलाभ की संगणना के प्रयोजन के लिए, इन यूनिटों की लागत आयोजक शेरों की लागत मानी जाएगी। शेरों की धारण अवधि की ऐसी यूनिटों की धारण अवधि में सम्मिलित की जाएगी।
- एसपीवी से कारबार न्यास द्वारा ब्याज से प्राप्त आय को पास थू व्यवहार माना जाता है, अर्थात् न्यास के हाथों में ऐसी आय ब्याज पर कोई कराधान नहीं, और एसपीवी के स्तर पर कोई रोक कर नहीं। तथापि, अनिवासी यूनिट धारकों को वितरित आय के ब्याज संघटक के संदाय के मामले में 5% की दर पर निवासी यूनिट धारक को वितरित आय के ब्याज संघटक के संदाय के मामले में 10% की दर पर रोक कर न्यास द्वारा प्रभावी किया जाएगा।
- कारबार न्यास द्वारा बाहरी वाणिज्यिक उधारों के मामले में अनिवासी उधार दाता को ब्याज संदाय पर 5% की घटी हुई दर पर फायदा उन्हीं शर्तों पर ऐसी अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा जैसा अधिनियम की धारा 194टग में उपबंधित है।
- न्यास द्वारा प्राप्त लाभांश, एसपीवी के स्तर पर लाभांश वितरण कर के अधीन होंगे किन्तु न्यास के हाथों में छूट प्राप्त होंगे, और न्यास द्वारा यूनिट धारकों को वितरित आय का लाभांश संघटक भी छूट प्राप्त होगा।

- (vi) न्यास द्वारा आस्तियों के निपटान पर पूंजी अभिलाभों द्वारा आय लागू दरों पर न्यास के हाथों में कराधेय होगी। तथापि, यदि ऐसे पूंजी अभिलाभों के कारण माना गया वितरित आय का संघटक यूनिट धारक के हाथों में छूट प्राप्त होगा। न्यास की कोई अन्य आय अधिकतम लाभ दर पर कराधेय होगी।
- (vii) कारबार न्यास से उसकी आय की विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।
- (viii) न्यास द्वारा भरे जाने वाला आवश्यक प्ररूप और अन्य पूरी की जाने वाली रिपोर्टिंग अपेक्षाएं उपरोक्त स्कीम के क्रियान्वयन के लिए विहित की जाएंगी।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2014 से प्रभावी होगा।

[खंड 3, खंड 5, खंड 18, खंड 20, खंड 33, खंड 35, खंड 43, खंड 47, खंड 54, खंड 56, खंड 57 और खंड 109]

### विनिर्माण कंपनी को विनिधान भत्ता

किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार में लगी हुई कंपनियों को अर्जन तथा नए संयंत्र और मशीनरी के प्रतिष्ठान में पर्याप्त रकम निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा अधिनियम में धारा 32कग यह उपबंध करने के लिए अंतः स्थापित की गई थी कि जहां कोई निर्धारिती, जो कोई कंपनी है, जो किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार में लगा हुआ है, 1 अप्रैल, 2013 को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान नई आस्ति अर्जित और प्रतिष्ठापित करता है और ऐसी नई आस्तियों (संयंत्र और मशीनरी) में 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का विनिधान करता है, तो निर्धारिती को निर्धारण वर्ष 2014-15 और / या 2015-16 के लिए नई आस्तियों की लागत के 15% की कटौती अनुज्ञात की जाएगी।

चूंकि विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि रोजगार के सृजन और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, अतः संयंत्र और मशीनरी में किए गए विनिधान के लिए अधिनियम की धारा 32कग के अधीन उपलब्ध कटौती को 31.03.2017 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है और, अधिनियम की धारा 32कग के विद्यमान उपबंधों के सरलीकरण के लिए तथा संयंत्र और मशीनरी में मध्यम आकार के विनिधानों को कटौती के लिए पात्र बनाने हेतु, यह भी प्रस्ताव है कि अधिनियम की धारा 32कग के अधीन कटौती अनुज्ञात की जाएगी यदि कंपनी 1 अप्रैल, 2014 को या उसके पश्चात् पूर्ववर्ती वर्ष में प्लांट और मशीनरी में 25 करोड़ रुपए से अधिक का विनिधान करती है। यह भी प्रस्ताव है कि निर्धारिती जो पूर्ववर्ती वर्ष 2013-14 और वर्ष 2014-15 के दौरान किए गए विनिधान के लिए 100 करोड़ रुपए की विद्यमान सहबद्ध अवसीमा के अधीन कटौती का दावा करने का पात्र है, धारा 32कग की उपधारा (i) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन कटौती के दावे का पात्र बना रहेगा, चाहे वर्ष 2014-15 में उसका विनिधान पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्रस्तावित नई विनिधान की 25 करोड़ रुपए की अवसीमा से कम है।

विनिधान के भिन्न परिदृश्य में प्रस्तावित संशोधन के पश्चात् अनुज्ञेय कटौती द्रष्टाओं के रूप में दी गई निम्नलिखित सारणी में स्पष्ट की गई हैं :

(करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	विशिष्टियां	पू.व. 2013-14	पू.व. 2014-15	पू.व. 2015-16	पू.व. 2016-17	टिप्पणियां
1.	विनिधान की रकम	20	90	-	-	विद्यमान धारा 32कग (1) के अधीन
	अनुज्ञेय कटौती	शून्य	16.5	-	-	
2..	विनिधान की रकम	30	40	-	-	विद्यमान धारा 32कग (1क) के अधीन
	अनुज्ञेय कटौती	शून्य	6	-	-	
3.	विनिधान की रकम	150	10	-	-	विद्यमान धारा 32कग (1) के अधीन
	अनुज्ञेय कटौती	22.5	1.5	-	-	
4.	विनिधान की रकम	60	20	-	-	धारा 32कग (1) या धारा 32कग (1क) के अधीन कोई कटौती नहीं
	अनुज्ञेय कटौती	शून्य	शून्य	-	-	
5.	विनिधान की रकम	30	30	30	40	प्रस्तावित धारा 32कग (1क) के अधीन
	अनुज्ञेय कटौती	शून्य	4.5	4.5	6	
6.	विनिधान की रकम	150	20	70	20	धारा 32कग (1) और धारा 32कग (1क) दोनों के अधीन कटौती
	अनुज्ञेय कटौती	22.5	3	10.5	शून्य	

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 और पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 11]

### विद्युत सेक्टर के लिए धारा 80-झक के अधीन सीमांत तारीख का विस्तार

आयकर अधिनियम की धारा 80झक की उपधारा (4) के खंड (iv) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी ऐसे उपक्रम को लाभों और अभिलाभों की कोई कटौती अनुज्ञात की जाती है.-

सिफारिशों को प्रभावी करने के लिए, अधिनियम में वर्तमान में उपबंधित जीएएआर उपबंधों में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:-

(क) जो विद्युत के उत्पादन तथा वितरण के लिए स्थापित है, यदि वह 1 अप्रैल, 1993 को आरंभ होने वाली और 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी भी समय विद्युत उत्पादन करना आरंभ कर देता है।

(ख) 1 अप्रैल, 1999 को आरंभ होने वाली और 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय नई पारेषण या वितरण लाइनों का नेटवर्क बिछाकर पारेषण या वितरण आरंभ करता है।

(ग) 1 अप्रैल, 2004 से आरंभ होने वाली अवधि के दौरान किसी भी समय पारेषण या वितरण लाइनों के विद्यमान नेटवर्क का सारवान नवीकरण और आधुनिकीकरण आरंभ करता है।

उपक्रमों को कर अभिलाभ प्राप्त करने के लिए पात्र क्रियाकलाप प्रारंभ करने के लिए समय देने के प्रयोजन से, उपरोक्त उपबंधों को संशोधित करने का प्रस्ताव है, जिससे अंतिम तारीख को अतिरिक्त अवधि 31 मार्च, 2017 तक अर्थात् बारहवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक बढ़ाया जा सके।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2015-16 और पश्चात्पूर्वी निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे [खंड 30]

### विनिर्दिष्ट कारबार पर पूंजी व्यय के बाबत कटौती

(I) अधिनियम की धारा 35कघ में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन विनिधान सहबद्ध कर प्रोत्साहन किसी विनिर्दिष्ट कारबार के प्रयोजनों के लिए पूर्णतः और अनन्यतः उपगत पूंजीगत प्रकृति (किसी भूमि या गुडविल और वित्तीय लिखत पर व्यय से भिन्न) के किसी व्यय की बाबत उस पूर्व वर्ष के दौरान जिसमें ऐसा व्यय उपगत किया गया है, कटौती अनुज्ञात करके प्रदान किया जाता है। वर्तमान में उक्त धारा 35कघ के अधीन, "विनिर्दिष्ट कारबार" विनिधान सहबद्ध कटौती के उपभोग के लिए पात्र हैं, जैसा कि उक्त धारा की उपधारा (8) के खंड (ग) में प्रगणित हैं :-

- (i) कोल्ड चैन सुविधा के लिए स्थापन और प्रचालन करना;
- (ii) कृषि उत्पाद के भण्डारण के लिए कोई भांडागारण सुविधा का स्थापन और प्रचालन करना;
- (iii) प्राकृतिक गैस या कच्चे तेल या पैट्रोलियम तेल के वितरण के लिए पूरे देश में पाइपलाइन के नेटवर्क को बिछाना और प्रचालन करना, इसके साथ साथ भण्डारण की सुविधा भी इस प्रकार के नेटवर्क का अभिन्न भाग है;
- (iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्गीकृत उपरोक्त प्रवर्गों या भारत में कहीं भी दो सितारा होटल का निर्माण और प्रचालन करना;
- (v) भारत में कहीं भी कोई अस्पताल जिसमें कम से कम रोगियों के लिए एक सौ बिस्तर हों, का निर्माण और प्रचालन करना;
- (vi) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा विरचित और अधिसूचित बोर्ड द्वारा विहित मार्ग दर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, किसी स्कीम के अधीन गंदी बस्तियों के पुनर्विकास या पुनर्वास के लिए एक आवासीय परियोजना का विकास और निर्माण करना;
- (vii) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा विरचित और अधिसूचित बोर्ड विहित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार किसी स्कीम के अधीन वहनीय आवास के लिए एक आवासीय परियोजना का विकास और निर्माण करना;
- (viii) भारत में उर्वरक का उत्पादन;
- (ix) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन अनुमोदित या अधिसूचित किसी अंतर्देशीय आधान डिपो या किसी आधान भाड़ा स्टेशन की स्थापना और प्रचालन करना;
- (x) मधुमक्खी पालन और शहद और मधुमक्खी के मोम का उत्पादन; और
- (xi) चीनी के भण्डारण के लिए कोई भाण्डागारण सुविधा की स्थापना और प्रचालन करना;

धारा 35कघ के अधीन, विनिधान सहबद्ध कटौती के प्रयोजन के लिए दो नवीन कारबारों को "विनिर्दिष्ट कारबार" के रूप में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है, ताकि विनिधान को इन सेक्टरों में संवर्धित किया जा सके, जो निम्नलिखित हैं :-

(क) लौह अयस्क के परिवहन के लिए कोई गारा पाइपलाइन को बिछाना और उसका प्रचालन करना।

(ख) किसी अर्द्ध चालक वेफर फेब्रीकेशन विनिर्माण इकाई की स्थापना और उसका प्रचालन करना यदि ऐसी युनिट जो बोर्ड द्वारा विहित मार्गदर्शिकाओं के अनुसार अधिसूचित है,

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि दो नवीन विनिर्दिष्ट कारबारों की बाबत विनिधान सहबद्ध कटौती के उपभोग के लिए प्रचालन करने की प्रारंभ की तारीख 1 अप्रैल, 2014 या उसके पश्चात् होगी।

(II) धारा 35कघ के विद्यमान उपबंध विशिष्ट समय अवधि का उपबंध नहीं करते हैं जिसके लिए पूंजी आस्तियां, जिन पर कटौती का दावा और अनुज्ञात किया गया है, विनिर्दिष्ट कारबार के लिए प्रयोग की जाती हैं। यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि, पूंजी आस्ति जिस पर विनिधान सहबद्ध कटौती का दावा किया गया है, विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न के प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाती है, धारा 35कघ में उपधारा (7क) में अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई आस्ति जिसकी बाबत धारा 35कघ के अधीन कटौती का दावा और उसे अनुज्ञात किया जाता है, उस पूर्व वर्ष से प्रारंभ होने वाली जिसमें ऐसी आस्ति अर्जित या संनिर्मित की गई है, आठ वर्ष की अवधि के लिए केवल विनिर्दिष्ट कारबार हेतु प्रयुक्त की जाएगी।

यदि ऐसी आस्ति विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की जाती है, तो धारा 32 के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञेय अवक्षयण की बाबत किसी पूर्व वर्ष में इस प्रकार दावा और अनुज्ञात की गई कटौती की कुल रकम, मानो धारा 35कघ के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की गई थी, पूर्व वर्ष में जिसमें आस्ति इस प्रकार प्रयुक्त की गई थी, "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभाय निर्धारिती की आय समझी जाएगी।

उदाहरण :

धारा 35कघ के अधीन पूंजी आस्ति पर कटौती : 100 रुपए

धारा 32 के अधीन ऐसी आस्ति पर पात्र अवक्षयण : 15 रुपए

धारा 35कघ की प्रस्तावित उपधारा (7ख) के : 85 रुपए

अनुसरण में कर से प्रभाय लाभ

तथापि, उक्त धारा की प्रस्तावित उपधारा (7ख) में अन्तर्विष्ट उपबंध किसी ऐसी कंपनी को लागू नहीं होंगे जो उपधारा (7क) में विनिर्दिष्ट समय अवधि के भीतर रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की उपधारा (1) के अधीन रुग्ण औद्योगिक कंपनी हो गई है।

(III) पूर्वोक्त धारा की उपधारा (3) के विद्यमान उपबंध में, उपबंधित हैं कि जहां किसी निर्धारिती ने इस धारा के अधीन छूट का दावा किया है, वहां उसी या अन्य निर्धारण वर्ष के लिए अध्याय 6 के उपबंधों के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं होगी। चूंकि धारा 10कक विशेष आर्थिक जोनों में इकाइयों की स्थापना की बाबत लाभ सहबद्ध कटौती का भी उपबंध करती है, अतः धारा 35कघ का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां किसी कटौती का उपभोग निर्धारिती द्वारा किसी निर्धारण वर्ष में विनिर्दिष्ट कारबार के प्रयोजनों के लिए उपगत पूंजी व्यय के मद्दे किया गया है, धारा 10कक के अधीन ऐसे विनिर्दिष्ट कारबार की बाबत उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष में कोई कटौती निर्धारिती को उपलब्ध नहीं होगी।

इस संशोधन के पारिणामिक, धारा 10कक को संशोधित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 35कघ के अधीन किसी निर्धारण वर्ष में किसी विनिर्दिष्ट कारबार की कटौती उपलब्ध नहीं होगी जिसने उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष में धारा 10कक के अधीन कटौती का दावा और उपभोग किया है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्कर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 6 और खंड 12]

## घ. अनुतोष और कल्याणकारी उपाय

### धारा 80ग के अधीन कटौती की सीमा को बढ़ाना

अधिनियम की धारा 80ग के विद्यमान उपबंधों के अधीन, कोई व्यक्ति या कोई हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, को कतिपय विनिर्दिष्ट लिखतों में पूर्व वर्ष में संदत्त या निक्षेपित राशियों की बाबत आय में से एक लाख रुपए से अनधिक की रकम की कटौती अनुज्ञात है।

धारा 80ग की उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट कटौती के लिए पात्र लिखतों में जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में अभिदाय, आस्थगित वार्षिकी आदि के लिए स्कीमों में अभिदाय सम्मिलित है। निर्धारिती एक लाख रुपए की कुल सीमा के अधीन रहते हुए एक या अधिक पात्र लिखतों में विनिधान करने के लिए स्वतंत्र हैं।

धारा 80ग के अधीन कटौती के लिए पात्र उपरोक्त विनिधानों को वित्त अधिनियम, 2005 द्वारा नियत किया गया था। गृहस्थी बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए धारा 80ग के अधीन विद्यमान 1 लाख की अनुज्ञात सीमा को बढ़ाकर 1.5 लाख करने का प्रस्ताव है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए, अधिनियम की धारा 80गगड और धारा 80गगघ में पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्कर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 27, खंड 28 और खंड 29]

### गृह संपत्ति से आय की कटौती

अधिनियम की धारा 24 में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में उपबंधित है कि "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय प्रभाय आय की संगणना, कतिपय कटौती करने के पश्चात् होगी उक्त धारा का खंड (ख) यह उपबंध करता है कि जहां संपत्ति का अर्जन उधार ली गई पूंजी से किया गया है, वहां ऐसी पूंजी पर संदेय किसी ब्याज की रकम गृह संपत्ति से आय की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी। उक्त धारा के [खंड ख] का दूसरा परंतुक, अन्य बातों के साथ साथ, उपबंध करता है कि स्वयं के उपभोग वाली संपत्ति, उस वित्तीय वर्ष जिसने पूंजी उधार ली गई थी, के तीन वर्ष के भीतर, संपत्ति का अर्जन या निर्माण पूर्ण किया जाता है, उस खंड के अधीन कटौती की रकम एक लाख पचास हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।

गृह संपत्ति के मूल्य में बढ़ावा हुआ है और तदनुसार उसकी वित्तीय लागत भी बढ़ गई है।

अतः, उक्त धारा 24 के खंड (ख) के दूसरे परंतुक का संशोधन का प्रस्ताव है, जिससे धारा 23 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट सम्पत्ति की बाबत ब्याज पर कटौती की सीमा को दो लाख रुपए तक बढ़ाया जा सके।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्कर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 10]

### विदेशी उधार पर कर की रियायती दर

अधिनियम की धारा 194टग के विद्यमान उपबंध 5 प्रतिशत की दर से निम्न प्रत्याभूत कर दर के लिए पात्र ब्याज का उपबंध करते हैं। केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्रों के रूप में या ऋण करार के अधीन भारत से बाहर स्रोतों से विदेशी करंसी में भारतीय कंपनी द्वारा लिए गए उधारों पर ब्याज आय कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए 1 जुलाई 2012 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 जुलाई, 2015 से पूर्व ब्याज आदि का उपबंध करते हैं।

भारतीय कम्पनियों द्वारा निम्न लागत दीर्घकालिक विदेशी उधारों को और प्रोत्साहन देने के लिए धारा 194टग को किन्हीं दीर्घकालिक बंधपत्रों के निर्गमन द्वारा उधारों को प्रत्याभूत कर की इस रियायती दर का फायदा विस्तारित करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है और जो दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्रों तक सीमित नहीं है।

उधार की अवधि को दो वर्ष और बढ़ाने का प्रस्ताव है जिसके लिए उक्त फायदा उपलब्ध होगा। प्रत्याभूत कर की रियायती दर अब एक जुलाई, 2017 तक दिए गए उधारों की बाबत उपलब्ध होगी।

अधिनियम की धारा 206कक, उस मामले में जहां आय का प्राप्तकर्ता कटौतीकर्ता को स्थायी लेखा संख्या प्रदान नहीं करता, प्रत्याभूत कर की उच्चतर दर के उद्ग्रहण के लिए उपबंध करती है। धारा 194टग के अधीन फायदे के लिए दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्रों पर ब्याज की संदाय की बाबत धारा 206कक के लागू होने से अपवाद इस धारा की उपधारा 7 में वर्तमान में उपबंधित है।

धारा 206कक में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि धारा 194टग में निर्दिष्ट किसी दीर्घकालिक बंधपत्र पर ब्याज के संदाय के लिए इस छूट के फायदे का विस्तार किया जाए, पारिणामिक संशोधन भी प्रस्तावित है।

ये संशोधन 1 अक्टूबर, 2014 से प्रभावी होंगे।

[खंड 57 और खंड 61]

### विदेशी कंपनियों से प्राप्त कतिपय लाभांशों पर कर दर में कमी

अधिनियम, की धारा 115खख, जो विदेश में किए गए विनिधानों से भारतीय कंपनियों द्वारा अर्जित आय के प्रत्यावर्तन को आकर्षित करने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में आरंभ की गई थी, यह 15 प्रतिशत की रियायती दर पर किसी विनिर्दिष्ट विदेशी कंपनी से भारतीय कंपनी द्वारा प्राप्त सकल लाभांशों के कराधान के लिए उपबंध करती है, यदि ऐसा लाभांश निर्धारण वर्ष 2012-13 या 2013-14 या 2014-2015 के लिए कुल आय में सम्मिलित कर लिया जाता है।

भारतीय कंपनियों के लिए प्रोत्साहन को जारी रखने के लिए अधिनियम का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे किसी विशिष्ट निर्धारण वर्ष तक उसे सीमित किए बिना कराधान की निम्नतर दर के फायदे को विस्तारित किया जा सके। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2014-15 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों में प्राप्त किए ऐसे विदेशी लाभांशों पर 15% की निम्नतर दर पर कर लगता रहेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 37]

### अग्रिम मूल्यांकन करार स्कीम में रोल बैक के उपबंध

अधिनियम की धारा 92 गग अग्रिम मूल्यांकन करार (एपीए) के लिए उपबंध करती है। यह केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को असन्निकट कीमत (एएलपी) का अवधारण करने के लिए किसी व्यक्ति अग्रिम मूल्यांकन करार करने या ऐसी रीति विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त बनाती है, जिसमें असन्निकट कीमत ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में अवधारित की जानी है जिसे किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना है। किया गया करार पूर्ववर्ती पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए, जो करार में वर्णित की जाए, विधिमान्य है। करार कर लिए जाने पर, अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहार की असन्निकट कीमत जो अग्रिम कीमत मूल्यांकन करार (एपीए) की विषय वस्तु है ऐसे अग्रिम मूल्यांकन करार के अनुसार अवधारित की जाएगी।

अनेक देशों में अग्रिम मूल्यांकन करार की पूर्व अवधि के दौरान किए गए संव्यवहारों से संबंधित असन्निकट कीमत विषयक मुद्दों से निपटने के लिए अग्रिम मूल्यांकन करार स्कीम में "रोल बैक" तंत्र का उपबंध किया गया है। "रोल बैक" उपबंध एएलपी के अवधारण की पद्धति के लागू होने या ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों जो अग्रिम मूल्यांकन करार के अंतर्गत आने वाली अवधि से पूर्व अवधि में पहले ही किए जा चुके थे, को लागू किए जाने वाले असन्निकट कीमत के प्रति निर्देश है। तथापि, रोल बैक राहत कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए मामला दर मामला आधार पर प्रदान किया जाता है। भारतीय विधान में ऐसे तंत्र का उपबंध करने से ऐसे बड़े पैमाने पर मुकदमों बाजी में भी कमी आएगी; जो इस समय लम्बित है या अंतरण कीमत विषयों की बाबत भविष्य में उद्भूत हो सकता है।

अतः, अग्रिम मूल्यांकन करार स्कीम में रोल बैक तंत्र का उपबंध करने के लिए अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है। अग्रिम मूल्यांकन करार ऐसी विहित शर्तों, प्रक्रिया और रीति के अधीन रहते हुए, असन्निकट कीमत अवधारण करने के लिए या पूर्ववर्ती वर्षों के प्रथम पूर्वगामी चार पूर्ववर्ती वर्षों से अनधिक की किसी अवधि के दौरान व्यक्ति द्वारा किए गए अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में उस रीति को विनिर्दिष्ट करने के लिए, जिसमें असन्निकट कीमत अवधारित की जाती है, जिसके लिए भविष्य में किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार की बाबत अग्रिम मूल्यांकन करार लागू होता है, उपबंध कर सकेगा।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2014 से प्रभावी होगा।

[खंड 32]

### विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ताओं के मामले में आय का लक्षण-वर्णन

अधिनियम की धारा 2(14), किसी निर्धारित द्वारा धारित किसी भी प्रकार की सम्पत्ति चाहे वह उसके कारबार या वृत्ति से सम्बंधित हो या न हो, को सम्मिलित करने के लिए, "पूँजी आस्ति" पद को परिभाषित करती है किन्तु इसके अंतर्गत परिभाषा में यथा उपबंधित कोई व्यापार स्टॉक या वैयक्तिक आस्तियां सम्मिलित नहीं हैं।

विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (जिन्हें अधिनियम में विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता कहा गया है) प्रतिभूतियों में संव्यवहार से उद्भूत अपनी आय कि क्या वह पूँजी अभिलाभ हो या कारबार संबंधी आय हो, के लक्षण वर्णन में कठिनाई का सामना करते हैं। इसके अतिरिक्त, विनिधानकर्ता की निधियों का प्रबंध करने वाले निधि प्रबंधक इस आशंका के अधीन भारत से बाहर रहते हैं कि भारत में उनकी उपस्थिति का प्रतिफल कर परिणाम हो सकते हैं।

अतः, इस अनिश्चितता को समाप्त करने के लिए यह उपबंध करने हेतु अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है कि किसी विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता द्वारा, जिसने भारतीय प्रतिभूति और विनिधय बोर्ड अधिनियम 1992 के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार ऐसी प्रतिभूति में विनिधान किया है, धारित कोई प्रतिभूति केवल पूँजी आस्ति के रूप में मानी जाएगी, जिससे कि विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (एफपीआई) द्वारा ऐसी प्रतिभूति के अंतरण से उद्भूत कोई आय पूँजी अभिलाभ की प्रकृति की होगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 3]

## ड. कर आधार को व्यापक बनाना और कर परिवर्जन रोधी उपाय

### अनुकल्पी न्यूनतम कर

अधिनियम की धारा 15जग के विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि जहां किसी पूर्ववर्ती वर्ष के लिए कम्पनी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा संदेय नियमित आयकर, ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के लिए अनुकल्पी न्यूनतम कर से अन्यून है, वहां ऐसे व्यक्ति से उसकी समायोजित कुल आय पर साढ़े अठारह की दर से आयकर का संदाय करने की अपेक्षा की जाएगी। धारा यह और उपबंध करती है कि समायोजित कुल आय निकालने के लिए कुल आय अध्याय 6क के भाग ग के अधीन दावा की गई कटौतियों और धारा 10कक के अधीन दावा की गई कटौतियों को जोड़ दिया जाएगा।

अधिनियम के अधीन विनिधान सहबद्ध कटौतियों का उपबंध लाभ सहबद्ध कटौती के स्थान पर किया गया है। ये लाभ विनिधान सहबद्ध कटौतियां अनुकल्पी न्यूनतम कर (एएमटी) के अध्यधीन है। तदनुसार अनुकल्पी न्यूनतम कर की संगणना करने के संयोजन के लिए समायोजित कुल आय की संगणना करने में धारा 35कघ के अधीन दावा की गई कटौती को सम्मिलित करने की दृष्टि से, धारा का संशोधन करन का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कुल आय की संगणना के प्रयोजन के लिए धारा 35 कघ के अधीन दावा की गई कटौती के अनुसार बढ़ जाएगी। तथापि, धारा 32 के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण की रकम समायोजित कुल आय की संगणना करने में घटा दी जाएगी।

उदाहरण:—

कुल आय	60 रु.
अध्याय vi-क के अधीन दावा की गई कटौती	40 रु.
पूंजी आस्ति पर धारा 35कघ के अधीन दावा की गई कटौती	100 रु.
एएमटी के प्रयोजनों के लिए समायोजित कुल आय की संगणना	
कुल आय	60 रु.
जोड़ें :	
(i) अध्याय vi-क के अधीन कटौती (अविनिर्दिष्ट कारबार पर)	40 रु.
(ii) धारा 35कघ के अधीन कटौती रु.100 (विनिर्दिष्ट कारबार पर)	
घटाइए: धारा32 के धीन अवक्षयण रु.15	85 रु.
धारा 115जग के अधीन समायोजित कुल आय	185 रु.

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 38]

### पूंजी आस्ति के अंतरण के लिए अग्रिम की कराधेयता

अधिनियम की धारा 56 में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि प्रत्येक प्रकार की ऐसी आय जो इस अधिनियम के अधीन कुल आय से अपवर्जित की नहीं की जानी है "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन आयकर से प्रभार्य होगी, यदि वह आय के किसी अन्य शीर्ष के अधीन आयकर से प्रभार्य नहीं है।

उपधारा (2) विनिर्दिष्ट प्रवर्ग की ऐसी आय के लिए उपबंध करती है जो "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन आयकर से प्रभार्य होगी।

धारा 56 की उपधारा (2) में एक नया खंड (ix) अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी पूंजी आस्ति के अंतरण के लिए बातचीत के दौरान अग्रिम के रूप में प्राप्त या अन्यथा धनराशि की कराधेयता "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन आयकर से प्रभार्य होगी, यदि ऐसी राशि समपहत कर ली जाती है और बातचीत का परिणाम ऐसी पूंजी आस्ति का अन्तरण नहीं होता है। धारा (2) के खंड (24) में पारिणामिक संशोधन भी पद 'आय' की परिभाषा में ऐसी राशि को सम्मिलित करने के लिए किया जा रहा है।

धारा 51 के विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि प्रतिधारित या प्राप्त कोई अग्रिम, आस्ति के अर्जन की लागत से या आस्ति के अवलिखित मूल्य या उचित बाजार मूल्य से घटा दिया जाएगा। प्राप्त और प्रतिधारित अग्रिम के दोहरे कराधान से बचने के लिए, यह उपबंध करने हेतु धारा 51 का भी संशोधन करने का प्रस्ताव है कि जहां ऐसी राशि पूंजी आस्ति के अन्तरण के लिए बातचीत के दौरान अग्रिम के रूप में या अन्यथा प्राप्त कोई धन राशि धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (ix) के उपबंधों के अनुसार किसी पूर्ववर्ती वर्ष के लिए निर्धारिती की कुल आय में सम्मिलित की गई है, वहां ऐसी रकम उस लागत से जिसके लिए आस्ति अर्जित की गई थी या अर्जन की लागत की संगणना करने में यथास्थित अवलिखित मूल्य या उचित बाजार मूल्य से नहीं घटाई जाएगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 3, खंड 21, और खंड 25]

## जीवन बीमा पॉलिसी के अधीन किए गए गैर छूट प्राप्त संदायों से स्रोत पर कर कटौती

अधिनियम की धारा 10(10घ) में विद्यमान उपबंधों के अधीन जीवन बीमा पॉलिसी के अधीन प्राप्त कोई राशि जिसके अंतर्गत, ऐसी पॉलिसी पर बोनस के रूप में आबंटित राशि भी है, उक्त धारा के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए छूट प्राप्त है। अतः जीवन बीमा पॉलिसी के अधीन प्राप्त राशि जो धारा 10(10घ) के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा नहीं करती है, अधिनियम के उपबंधों के अधीन कराधेय है।

जीवन बीमा पालिसियों के अधीन संदत्त राशि, जो अधिनियम की धारा 10(10घ) के अधीन छूट प्राप्त नहीं है, की बाबत कर के संव्यवहार और संग्रहण के रिपोर्ट करने के लिए तंत्र रखने के लिए, आयकर अधिनियम 1961 में जीवन बीमा पालिसी के अधीन संदत्त राशि पर, जिसमें बोनस के रूप में आबंटित राशि भी है, जो अधिनियम की धारा 10(10घ) के अधीन छूट प्राप्त नहीं हैं, 2 प्रतिशत की दर से कर की कटौती का उपबंध करने के लिए एक नई धारा अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है। लघु करदाताओं पर अनुपालन भार को कम करने के लिए यह भी प्रस्ताव किया गया है कि इस उपबंध के अधीन कोई कटौती नहीं की जाएगी यदि किसी निर्धारित को वित्तीय वर्ष में संदत्त सकल राशि 1,00,000 रुपए से कम है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी होगा।

[खंड 55]

## च. उपायों का सुव्यवस्थीकरण

### आय की विवरणी पर हस्ताक्षर करना और उसका सत्यापन

अधिनियम की धारा 140 के अधीन विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि धारा 139 के अधीन विवरणी उसमें विनिर्दिष्ट रीति में हस्ताक्षरित और सत्यापित की जाएगी।

पांडुलिपि में या किसी इलेक्ट्रॉनिक ढंग से हस्ताक्षर करके विवरणी के सत्यापन को समर्थ बनाने की दृष्टि से अधिनियम की धारा 140 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि विवरणी उसमें विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा सत्यापित की जाएगी। विवरणी के सत्यापन की रीति अधिनियम की धारा 139 के अधीन विहित की गई है।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2014 से प्रभावी होगा।

[खंड 48]

### पूर्त न्यासों और संस्थाओं की दशा में कर व्यवस्था का सुव्यवस्थीकरण

अधिनियम (अधिनियम) की धारा 11 के विद्यमान उपबंध न्यास के अधीन धारित संपत्ति व्युत्पन्न आय तथा धारा में अन्तर्विष्ट विभिन्न शर्तों के अधीन रहते हुए स्वैच्छिक अभिदायों की बाबत न्यास या संस्था के लिए छूट का उपबंध करती है। छूट अनुदत्त करने की प्राथमिक शर्त यह है कि न्यास के अधीन धारित संपत्ति से व्युत्पन्न आय पूर्त प्रयोजनों के लिए अनुप्रयोज्य की जानी चाहिए, और जहां ऐसी आय पूर्व वर्ष के दौरान उपयोजित नहीं की जा सकती, इसे विहित ढंगों में संचित करना होगा और धारा में उपबंधित विभिन्न शर्तों के अनुसार ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोजित किया जाएगा। यदि संचित आय को धारा में उपबंधित शर्तों के अनुसार उपयोजित नहीं किया जाता, तो ऐसी आय-न्यास या संस्था की कराधेय आय समझी जाएगी।

अधिनियम की धारा 13 उन परिस्थितियों का उपबंध करती है जिनके अधीन धारा 11 या धारा 12 के अधीन पूर्णतः या भागतः आय की बाबत न्यास या संस्था को उपलब्ध नहीं होगी।

धारा 11, धारा 12, धारा 12क, धारा 12कक, तथा धारा 13, रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने या वापस लेने, और उसके रद्दकरण आय को छूट प्रदान करने, और उन शर्तों को भी जिनके अधीन पूर्त न्यास या संस्था को छूट के लिए पात्र होने के लिए कार्य करने की आवश्यकता है, शासित करने वाली एक पूर्ण संहिता का गठन करती हैं। वे सुसंगत शर्तों के पूर्ण न होने पर या तो भागतः या पूर्णतः छूट वापस लेने का भी उपबंध करती हैं।

न्यास या संस्थाओं के मामलों में छूट व्यवस्था को लागू करने की बाबत कई विवाद्यक उद्भूत हुए हैं, जिनके संबंध में विधि की सुस्पष्टता अपेक्षित है।

पहला विवाद्यक अधिनियम की धारा 10 में अंतर्विष्ट छूटों के साधारण उपबंध के विरुद्ध धारा 11 से धारा 13 के अंतर्गत आने वाली विशिष्ट और विशेष छूट व्यवस्थाओं के अंतर व्यवहार से संबंधित है। जैसा ऊपर उपदिशित है, पूर्त संस्था के मामले में छूट प्रदान करने का प्राथमिक उद्देश्य यह है कि न्यास के अधीन धारित संपत्ति से व्युत्पन्न आय उस उद्देश्य या प्रयोजन के लिए अनुप्रयोज्य और उपयोग की जानी चाहिए जिसके लिए वह संस्था या न्यास स्थापित किया गया है। कई मामलों में यह देखा गया है कि न्यास या संस्थाएं, जो रजिस्ट्रीकृत हैं और छूट व्यवस्था के फायदों का दावा कर रहे हैं, न्यास के अधीन धारित संपत्ति से व्युत्पन्न आय पूर्त प्रयोजनों के लिए अनुप्रयोग नहीं करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में, जब आय कराधेय हो जाती है तो, धारा 10 के साधारण उपबंधों के अधीन ऐसी आय की बाबत छूट का दावा किया जाता है तथा ऐसी आय पर कर वंचन किया जाता है। यह न्यास के अधीन धारित संपत्ति से व्युत्पन्न आय की बाबत आय आदि की अनुप्रयोज्यता की शर्तों को रखने के मूल उद्देश्य और प्रयोजन को क्षीण करता है।

धारा 11, धारा 12 और धारा 13 संस्थाओं को शासित करने वाले विशेष उपबंध हैं जिन्हें कर छूट का फायदा दिया गया है, अतः यह अनिवार्य है कि यदि एक बार कोई व्यक्ति स्वेच्छया विशेष छूट का चयन करता है तो वह इन विशिष्ट उपबंधों द्वारा शासित की जानी चाहिए और उसे स्वेच्छया अन्य साधारण उपबंधों

या विशिष्ट उपबंधों द्वारा शासित होने की लोचनीयता अनुज्ञात नहीं की जानी चाहिए। ऐसी लोचनीयता अनुज्ञात करने के विनियमों के उद्देश्य पर अवांछनीय प्रभाव होते हैं तथा मुकदमेबाजी होती है।

ऐसी ही स्थिति धारा 10(23ग) के संदर्भ में विद्यमान है जो निधियों, संस्थाओं, चिकित्सालयों के लिए उपबंध करती है, जिन्हें विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। धारा 10(23ग) का उपबंध भी विहित ढंग से आय के संचय और अनुप्रयोग, निधियों के विनिधान की समान शर्तें रखता है।

इसलिए, अधिनियम को यह विशेष उपबंध करने के लिए कि धारा 11 के अधीन छूट प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए जहां संस्था को रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, तथा पूर्व वर्ष के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रवर्तन में है, तब ऐसा न्यास या संस्था धारा 10 के किसी उपबंध के अधीन किसी छूट का दावा नहीं कर सकता [कृषि से आय की छूट या 10 धारा 10(23ग) के अधीन छूट-प्राप्त आय से संबंधित से भिन्न]। इसी प्रकार, निकाय जिन्हें धारा 10(23ग) के अधीन छूट के फायदे के दावे हेतु अनुमोदित या अधिसूचित किया गया है, धारा 10 के अन्य उपबंधों के अधीन छूट के किसी दावे के हकदार नहीं होंगे (कृषि से आय की बाबत छूट के सिवाय)।

दूसरा विवादक जो उद्भूत हुआ है वह यह है कि धारा 11 के साथ-साथ धारा 10(23ग) की विद्यमान स्कीम आय की बाबत छूट का उपबंध करती है, जब इसे पूंजी आस्ति के अर्जन के लिए लागू किया जाता है। तत्पश्चात् इस धाराओं के प्रयोजनों के लिए आय की संगणना करते समय, अवक्षयण आदि द्वारा सैद्धांतिक कटौती का दावा किया जाता है और सैद्धांतिक कटौती की ऐसी रकम पूर्व प्रयोजनों के लिए अनुप्रयोज्य होने के लिए रहती है। इसलिए, विद्यमान विधि के अधीन न्यासों और संस्थाओं द्वारा दोहरे फायदे का दावा किया जाता है। उन उपबंधों का, यह सुनिश्चित करने के लिए कि दोहरे फायदे का दावा नहीं किया जाए और ऐसी सैद्धांतिक रकम पूर्व प्रयोजन के लिए आय के अनुप्रयोग की शर्त से अपवर्जित नहीं हो जाए, सुव्यवस्थीकरण करने का आवश्यकता है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए, अधिनियम को यह उपबंध करने के लिए, कि, धारा 11 और धारा 10(23ग) के अधीन अनुप्रयोग के प्रयोजनों के लिए आय का अवधारण किसी आस्ति की बाबत अवक्षयण या अन्यथा द्वारा किसी कटौती या भत्ते के बिना किया जाएगा, जिसका अर्जन उसी या पूर्व वर्ष में इन धाराओं के अधीन आय के अनुप्रयोग के रूप में दावा किया गया है, संशोधित करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल 2015 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 5 और खंड 7]

### अधिनियम की धारा 10(23ग) की बाबत स्पष्टीकरण

अधिनियम, की धारा 10(23ग) के उपखंड (iii)कख) और उपखंड (iii)कग) के विद्यमान उपबंध कतिपय शैक्षणिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और चिकित्सालयों की आय की बाबत, विभिन्न शर्तों के अधीन छूट-प्रदान करता है, जो केवल शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए या केवल लोकहित प्रयोजनों के लिए विद्यमान हैं और न कि लाभ के प्रयोजन के लिए और जो सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित किए जाते हैं।

"सारवान रूप से सरकार द्वारा वित्तपोषित", उक्ति की परिभाषा के अभाव के कारण पर मुकदमेबाजी हुई है और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा विभिन्न विनिश्चय, जिन्होंने इस प्रयोजन के लिए आय-कर अधिनियम और अन्य अधिनियमों के अन्य उपबंधों का सहारा लिया है, दिए गए हैं। अतः इस संबंध में निश्चितता का अभाव है।

इसलिए, एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करके धारा 10(23ग) का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि यदि सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था; चिकित्सालय या अन्य संस्था को सरकारी अनुदान (विहित किए जाने वाले) प्रतिशत से अधिक हो जाता है तो, यथास्थिति, ऐसे विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था, चिकित्सालय या अन्य संस्था की कुल प्राप्तियां (किन्हीं स्वैच्छिक अनुदानों समेत) उस पूर्ववर्ष के लिए सरकार द्वारा सारवान रूप से वित्त पोषित मानी जाएंगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2015-16 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 5]

### कतिपय मामलों में न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण का निरस्तीकरण

अधिनियम, की धारा 12कक के विद्यमान उपबंध यह उपबंधित करते हैं कि किसी न्यास या संस्था को एक बार अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि इस आयुक्त द्वारा निरस्त नहीं किया जाए। आयुक्त, रजिस्ट्रीकरण को निम्न दो परिस्थितियों में निरस्त कर सकता है:

- (क) किसी न्यास या संस्था के क्रियाकलाप वास्तविक नहीं हैं, या;
- (ख) क्रियाकलाप न्यास या संस्था के उद्देश्यों के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं।

केवल दोनों में से कोई एक या दोनों शर्तों के पूर्ण होने पर ही, आयुक्त रजिस्ट्रीकरण निरस्त करने के लिए सशक्त है, अन्यथा नहीं। इसलिए रजिस्ट्रीकरण निरस्त करने की आयुक्त की शक्तियां गंभीर रूप से निर्बंधित हैं। ऐसे मामले हुए हैं जहां न्यास, विशिष्टतया उस वर्ष में जिसमें उन्हें सारवान रूप से आय में छूट दी गई है, अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन छूट प्राप्त करने का दावा किया, जानबूझकर प्रतिषिद्ध ढंग से विनिधान करके धारा 13 के उपबंधों का अतिक्रमण करते हैं। इसी प्रकार, ऐसे मामले हुए हैं जहां आय को पूर्व प्रयोजन के लिए उचित रूप से अनुप्रयोग नहीं किया गया है या कतिपय हितबद्ध व्यक्तियों के फायदे के लिए अपवर्तित कर दी गई है। धारा 12कक के अधीन आयुक्त की शक्तियों के निर्बंधित निर्वचन के कारण, ऐसे न्यासों या संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण प्रवर्तन में बना रहता है और ये संस्थाएं छूट की फायदाप्रद व्यवस्था का लाभ उठाती रहती हैं।

धारा 10(23ग) के अधीन, जो किसी निधि, संस्था; विश्वविद्यालय, आदि को छूट के समान फायदे अनुज्ञात करती है, अनुमोदन वापस लेने की शक्ति विहित प्राधिकारी में निहित है यदि ऐसे प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे निकाय ने धारा 10(23ग) के उपबंधों के अनुसार आय का अनुप्रयोग या विनिधान नहीं किया है या ऐसे निकाय क्रियाकलाप वास्तविक नहीं है या उन सभी या किन्हीं शर्तों के अनुसार नहीं चलाए जा रहे हैं; जिनके अधीन इसे अनुमोदन दिया गया था।

इसलिए न्यास के रजिस्ट्रीकरण के निरस्तीकरण से संबंधित उपबंधों के सुव्यवस्थीकरण के लिए, अधिनियम की धारा 12कक को, यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि जहां किसी न्यास या संस्था को रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त किया गया है और पश्चात्पूर्वी यह जानकारी में आया है कि इसके क्रियाकलाप ऐसी रीति में किए जा रहे हैं कि

- (i) इसकी आय साधारण जनता के फायदे के काम नहीं आती;
- (ii) यह किसी विशिष्ट धार्मिक समुदाय या जाति (यदि यह अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात स्थापित किया गया है) के फायदे के लिए है,
- (iii) न्यास की कोई आय या संपत्ति न्यास के लेखक, जैसे व्यक्तियों, न्यासियों आदि विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के फायदे के लिए उपयोजित की जाती है, या
- (iv) इसकी निधियां प्रतिषिद्ध ढंग से विनिधान की जाती हैं,

तब प्रधान आयुक्त या आयुक्त रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगा यदि ऐसा न्यास या संस्था यह साबित नहीं करता है कि ऊपर रीति में किए जाने वाले क्रियाकलापों के युक्तियुक्त कारण था।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2014 से प्रभावी होगा।

[खंड 9]

### धारा 115खखग के अधीन अनाम संदान

अधिनियम की धारा 115खखग के विद्यमान उपबंध कतिपय निर्धारितियों जो विश्वविद्यालय, अस्पताल, पूर्ण संगठन आदि हैं, के मामले में, निर्धारिती द्वारा प्राप्त कुल संदानों के पांच प्रतिशत से अधिक सकल अनाम संदानों की रकम पर या एक लाख रुपए पर, जो भी अधिक हो, 30 प्रतिशत की दर पर कर के उदग्रहण के लिए उपबंध करते हैं।

धारा 115 खखग में उपबंधित कर के संकलन के तंत्र के कारण, जब 30 प्रतिशत की दर पर कर अवसीमा से अधिक अनाम संदानों की रकम पर उदग्रहीत किया जाता है तब शेष कर अनाम संदानों की पूरी रकम घटाने के पश्चात कुल आय पर प्रभावी है। संगणना का उचित ढंग आय को उस रकम तक घटाना है, जिस पर 30 प्रतिशत की दर पर कर लगाया है।

अतः, यह उपबंध करने के लिए धारा 115खखग का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि संदेय आय कर, निर्धारिती द्वारा प्राप्त कुल संदानों के पांच प्रतिशत से अधिक प्राप्त अनाम संदानों के योग पर तीस प्रतिशत की दर से परिकलित आयकर की रकम का योग या एक लाख रुपए, जो भी अधिक हो, होगा और आयकर की रकम जिससे निर्धारिती प्रभावी हुआ होता यदि उसकी कुल आय अनाम संदानों या जो, यथास्थिति, निर्धारित द्वारा प्राप्त कुल संदानों का पांच प्रतिशत से अधिक है या एक लाख रुपए, के योग से घटाकर आई होती।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्पूर्वी निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 36]

### अंतराष्ट्रीय संव्यवहार की परिभाषा का सुव्यवस्थीकरण

अधिनियम, की धारा 92ख के विद्यमान उपबंध अंतराष्ट्रीय संव्यवहार कोई दो या अधिक सहयोजित उद्यमों उनमें से कोई एक या दोनों अनिवासी है; के बीच क्रय, विक्रय, पट्टा सेवाओं के उपबंध आदि की प्रकृति के संव्यवहार के रूप में परिभाषित करते हैं।

उक्त धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करके अंतराष्ट्रीय संव्यवहार की परिभाषा की परिधि का विस्तार करती है कि गैरनातेदार व्यक्ति के साथ-किया गया कोई संव्यवहार सहयोजित उद्यम के साथ संव्यवहार के रूप में समझा, जाएगा। यदि ऐसे अन्य व्यक्ति और सहयोजित उद्यम के बीच संव्यवहार के संबंध में कोई पूर्व करार अस्तित्व में है या सुसंगत संव्यवहार के निर्बंधन अन्य व्यक्ति और सहयोजित उद्यम के बीच सारतः अवधारित किए जाते हैं। वर्तमान में परिभाषित रूप में उपधारा के कारण संदेह उत्पन्न हुआ है कि क्या संव्यवहार को अंतराष्ट्रीय संव्यवहार के रूप में माना जाए या नहीं, क्योंकि गैरनातेदार व्यक्ति को भी अनिवासी होना चाहिए।

अतः, यह उपबंध करने के लिए धारा 92ख का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि जहां सहयोजित उद्यम से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ उद्यम द्वारा किए गए संव्यवहार की बाबत अन्य व्यक्ति और सहयोजित उद्यम के बीच सुसंगत संव्यवहार के संबंध में पूर्व करार अस्तित्व में है या जहां सुसंगत संव्यवहार के निर्बंधन ऐसे अन्य व्यक्ति और सहयोजित उद्यम के बीच सारतः अवधारित किए जाते हैं और या तो उद्यम या सहयोजित उद्यम या उनमें से दोनों अनिवासी है; वहां ऐसा संव्यवहार दो सहयोजित उद्यमों चाहे ऐसा व्यक्ति अनिवासी हो या न हो, के बीच किया गया अंतराष्ट्रीय संव्यवहार समझा जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2015-16 और पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 31]

## अंतरण कीमत अधिकारियों द्वारा 271(छ) के अधीन शास्ति का उदग्रहण

अधिनियम की धारा 271छ के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि यदि कोई व्यक्ति, जो अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार करता है, धारा 92घ की उपधारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित कोई ऐसा दस्तावेज या जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो ऐसा व्यक्ति शास्ति का दायी होगा। जो निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) द्वारा उदग्रहीत की जा सकेगी।

धारा 92गक यह उपबंध करती है कि निर्धारण अधिकारी एएलपी के अवधारण के लिए अंतरण कीमत अधिकारी को निर्देश कर सकेगा। निर्धारण कीमत अधिकारी को उक्त धारा में परिभाषित किया गया है, जिससे कोई ऐसा संयुक्त आयुक्त या उपायुक्त या सहायक आयुक्त अभिप्रेत है, जिसे धारा 92ग और धारा 92घ में विनिर्दिष्ट निर्धारण अधिकारी के सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिए बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया गया है। कई मामलों में असन्निकट कीमत का अवधारण अंतरण कीमत अधिकारी द्वारा किया जाता है।

अधिनियम की धारा 271छ को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे कि धारा 92गक में यथानिर्दिष्ट अंतरण कीमत अधिकारी को निर्धारण अधिकारी और आयुक्त अपील के अतिरिक्त धारा 271छ के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में सम्मिलित किया जा सके।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2014 से प्रभावी होगा।

[खंड 67]

## किसी न्यास या संस्था को मंजूर किए गए रजिस्ट्रीकरण के पूर्वतर वर्षों का लागू होना

अधिनियम की धारा 12क के विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि धारा 11 और धारा 12 के अधीन कोई न्यास या संस्था छूट का दावा केवल धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकरण मंजूर किए जाने के पश्चात ही कर सकती है। ऐसे न्यासों या संस्थाओं की दशा में जो 1 जून, 2007 के पश्चात रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करते हैं, रजिस्ट्रीकरण केवल भविष्यलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

रजिस्ट्रीकरण के वर्ष से पूर्व अवधि के लिए रजिस्ट्रीकरण का लागू न होना, पूर्त संगठनों के लिए वास्तविक कठिनाई उत्पन्न करती है। रजिस्ट्रीकरण के अभाव के कारण, कर दायित्व संबद्ध हो जाता है, भले ही वह छूट के लिए अन्यथा पात्र क्यों न हो और सारवान शर्तों को पूरा क्यों न करता हो। रजिस्ट्रीकरण की मांग करने में विलंब की माफी की शक्ति, इस धारा के अधीन उपलब्ध नहीं है।

ऐसे न्यासों को अनुतोष प्रदान करने के लिए और वास्तविक मामलों में कठिनाई को दूर करने के लिए अधिनियम की धारा 12क का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां किसी न्यास या संस्था को अधिनियम की धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है। वहां धारा 11 और धारा 12 का फायदा पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष के लिए किसी निर्धारण कार्यवाही, जो ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख को निर्धारण अधिकारी के समक्ष लंबित है, में न्यास के अधीन धारित संपत्ति से व्युत्पन्न किसी आय की बाबत उपलब्ध होगा, यदि सुसंगत पूर्वतर निर्धारण वर्ष में ऐसे न्यास या संस्था के उद्देश्य और क्रियाकलाप वैसे ही है, जिनके आधार पर ऐसा रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है।

इसके अतिरिक्त, यह प्रस्ताव है कि धारा 147 के अधीन निर्धारण पुनः आरंभ करने की कोई कार्रवाई ऐसे प्रथम निर्धारण वर्ष से पूर्ववर्ती किसी निर्धारण वर्ष के लिए ऐसे न्यास या संस्था के मामले में निर्धारण अधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण मात्र इस कारण लागू होता है कि ऐसे न्यास या संस्थाओं ने उक्त निर्धारण वर्ष के लिए धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभी प्राप्त नहीं किया है।

तथापि, उपरोक्त फायदे किसी न्यास या संस्था के मामले में उपलब्ध नहीं होंगे जिन्होंने किसी भी समय रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया था, उसे धारा 12कक के अधीन नामंजूर कर दिया गया था या एक बार मंजूर किया गया। रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया था।

ये संशोधन 1 अक्टूबर, 2014 से प्रभावी होंगे।

[खंड 8]

## कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन कतिपय कंपनियों (किसी वित्तीय वर्ष के दौरान जिनकी शुद्ध मूल्य 500 करोड़ रुपए या अधिक या हजार करोड़ रुपए या अधिक का आवर्त या 5 करोड़ रुपए या अधिक का शुद्ध लाभ है) से कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित क्रियाकलापों के संबंध में उनके लाभ का कुछ प्रतिशत व्यय करने की अपेक्षा की जाती है। अधिनियम, के विद्यमान उपबंधों के अधीन कारबार के प्रयोजनों के लिए पूर्णतः और अनन्य रूप से उपगत व्यय कराधेय कारबार आय की संगणना करने के लिए कटौती के रूप में ही अनुज्ञात की जाती है। चूंकि आय का उपयोगन कम्पनी की कराधेय आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए अनुज्ञात किया जाता है, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय की गई रकम को कम्पनी की कराधेय आय की संगणना करने के लिए कटौती के रूप में अनुज्ञात नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का उद्देश्य अवसीमा से अधिक शुद्ध मूल्य/आवर्त/लाभ रखने वाली कम्पनी द्वारा सामाजिक सेवाएं प्रदान करने में सरकार के भार का हिस्सा बंटाना है, यदि ऐसे व्यय कर कटौती के रूप में अनुज्ञात किए जाते हैं तो इसका परिणाम कर व्यय के रूप में ऐसे खर्चों का लगभग एक तिहाई सहायता देना होगा।

अधिनियम की धारा 37(1) की विद्यमान उपबंध, यह उपबंध करते हैं कि किसी व्यय के लिए कटौती, जो अधिनियम की धारा 30 से धारा 36 में विनिर्दिष्ट रूप में उल्लिखित नहीं है, अनुज्ञात की जाएगी, यदि वह कारबार या व्यवसाय करने के प्रयोजनों के लिए संपूर्णतः और अन्यतः उपगत की जाती है। चूंकि कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (जो आय का उपयोगन है) कारबार चलाने के प्रयोजनों के लिए पूर्णतः और अनन्य रूप से उपगत किया जाता है, ऐसे व्यय आयकर अधिनियम की धारा 37 के विद्यमान उपबंधों के अधीन अनुज्ञात नहीं किए जा सकते। अतः इस मुद्दे पर निश्चितता प्रदान करने के लिए, यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में निर्दिष्ट कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित क्रियाकलापों पर निर्धारित द्वारा उपगत कोई

व्यय धारा 37(1) के प्रयोजनों के लिए कारबार के प्रयोजन के लिए उपगत किया हुआ नहीं समझा जाएगा और इसलिए धारा 37 के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय, जो अधिनियम की धारा 30 से धारा 36 में वर्णित प्रकृति का है, इन धाराओं के अधीन उनमें विनिर्दिष्ट शर्तों, यदि कोई हों के पूरे किए जाने के अधीन रहते हुए कटौती को अनुज्ञात किया जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 और पश्चातवर्षी वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 13]

### स्रोत पर कर की कटौती न करने के लिए व्यय का अननुज्ञात किया जाना

अधिनियम, की धारा 40(क)(1i) के विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि किसी अनिवासी को तकनीकी सेवाओं के लिए ब्याज, स्वामिस्व और फीस जैसे किए गए कतिपय संदाय कारबार आय की संगणना करने के लिए कटौती के रूप में अनुज्ञात नहीं किए जाएंगे, यदि ऐसे संदायों पर कर नहीं काटा गया था या अधिनियम की धारा 200(1) के अधीन विहित समय के भीतर उसका संदाय नहीं किया गया था। अधिनियम में निवासी को किए गए कतिपय संदाय की बाबत कारबार व्यय से कर की कटौती न किए जाने के लिए कारबार व्यय के अनुज्ञात न किया जाने के संबंध में वैसे ही उपबंध अंतर्विष्ट हैं। इस अधिनियम की धारा 40(क)(1i) के अधीन निवासी को किए गए संदायों की दशा में, कटौतीकर्ता संदाय के पूर्ववर्ती वर्ष में व्यय के रूप में संदायों के लिए कटौती का दावा करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है, यदि कर पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान काटा जाता है और उसका संदाय अधिनियम की धारा 139(1) के अधीन विवरणी फाइल करने के लिए विनिर्दिष्ट सम्यक तारीख को या उससे पहले किया जाता है। तथापि अनिवासियों को किए गए संदायों से कर के असंदाय के लिए अनुज्ञात न किए जाने की दशा में, धारा 139(1) के अधीन विवरणी फाइल करने की तारीख तक संदाय की यह विस्तारित समय सीमा उपलब्ध नहीं है।

अनिवासियों को किए गए संदायों से कटौती किए गए कर के संदाय के लिए वैसे ही विस्तारित समयसीमा का उपबंध करने के लिए यह प्रस्ताव है कि कटौतीकर्ता को संदाय के पूर्ववर्ती वर्ष में अनिवासियों को किए गए संदायों के लिए कटौती का दावा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। यदि कर पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान काटा जाता है और उसका संदाय अधिनियम की धारा 139(1) के अधीन आय-कर की विवरणी फाइल करने के लिए विनिर्दिष्ट संदेय तारीख को या उससे पूर्व किया जाता है।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, निवासियों को किए गए कतिपय संदायों से स्रोत पर कर कटौती के कटौती न किए जाने या उसके संदाय न किए जाने की दशा में व्यय की संपूर्ण रकम जिस पर कर कटौती योग्य था, "कारबार या वृत्तिक के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए धारा 40(क)(1i) के अधीन अननुज्ञात किया जाता है। व्यय की संपूर्ण रकम का अनुज्ञात न किए जाने का परिणाम अनुचित कठिनाई होता है।

इस कठिनाई को कम करने के लिए यह प्रस्ताव है कि अधिनियम की धारा 40(क)(1i) में यथाविनिर्दिष्ट निवासियों को किए गए संदायों पर स्रोत पर कर कटौती के कटौती न किए जाने या संदाय न किए जाने की दशा में अननुज्ञात किया जाना दावाकृत व्यय के रकम का तीस प्रतिशत तक निर्बंधित होगा।

इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 40(क)(1i) के विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि किसी निवासी को तकनीकी सेवाओं के लिए किए गए कतिपय संदाय जैसे ब्याज, कमीशन, दलाली, किराया, स्वामिस्व फीस और संविदा संदाय, कारबार आय की संगणना करने के लिए कटौती के रूप में अनुज्ञात नहीं किए जाएंगे। यदि ऐसे संदायों पर कर उक्त धारा के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर काटा नहीं गया था या कटौती के पश्चात संदत्त नहीं किया गया था, अधिनियम का अध्याय 27ख, कतिपय अन्य संदायों, जैसे वेतन, निर्देशकों की फीस, जो अधिनियम की धारा 40(क)(1i) के अधीन वर्तमान में विनिर्दिष्ट नहीं है, से कर की कटौती को आज्ञापक बनाता है। उस संदाय का जिन पर कर अध्याय 27ख के अधीन कटौती योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 40(क)(1i) के अधीन विनिर्दिष्ट नहीं है, भी कारबार या वृत्तिक से लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय की संगणना के प्रयोजनों के लिए व्यय के रूप में दावा किया जा सकेगा।

धारा 40(क)(1i) संदायकर्ताओं द्वारा स्रोत पर कटौती किए गए कर के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी यंत्र के रूप में साबित हुई है। अतः, निवासियों को उन संदायों, जो इस समय धारा 40(क)(1i) में विनिर्दिष्ट नहीं है, की बाबत स्रोत पर कटौती किया गया कर का अनुपालन सुधारने के लिए, यह प्रस्ताव है कि अधिनियम की धारा 40(क)(1i) के अधीन अननुज्ञात न किया जाना अधिनियम के अध्याय 27ख के अधीन उस सभी व्यय पर विस्तारित होगा जिस पर कर कटौती योग्य नहीं है।

य संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2015-16 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 14]

### स्रोत पर कर कटौती

अधिनियम के अध्याय 27ख के अधीन, विनिर्दिष्ट दरों पर कतिपय विनिर्दिष्ट संदायों पर किसी व्यक्ति से कर कटौती करने की अपेक्षा की जाती है यदि संदाय विनिर्दिष्ट अवसीमा से अधिक है। कर कटौती करने वाला व्यक्ति (कटौतीकर्ता) से यह अपेक्षा की जाती है कि वह विहित निहित तारीख तक तिमाही के दौरान की गई कर की कटौती के विहित ब्यौरे अन्तर्विष्ट करने वाले स्रोत पर कर की कटौती (टीटीएस) की त्रैमासिक विवरणी फाइल करे।

वर्तमान में, कटौतीकर्ता को अधिसूचना सं. 03/2013 तारीख 15 जनवरी, 2013 द्वारा अधिसूचित स्रोत पर कर कटौती के विवरणों का केन्द्रीयकृत प्रसंस्करण स्कीम, 2013 के अनुसार मूल स्रोत पर कर कटौती विवरण में दी गई जानकारी के अनुसमर्थन/अद्यतन के लिए स्रोत पर कर कटौती संशोधन विवरण फाइल करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है। तथापि, संशोधन विवरण फाइल करने के लिए कटौतीकर्ता के समर्थ बनाने के लिए अधिनियम में कोई अभिव्यक्त उपबंध विद्यमान नहीं है।

स्रोत कटौती के लिए कर संशोधन विवरण फाइल करने संबंधी मामले में स्पष्टता लाने के लिए, अधिनियम की धारा 200 को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे कटौतीकर्ता को स्रोत कटौती किए गए कर संशोधन विवरणों को फाइल करने के लिए अनुज्ञात किया जा सके। परिणामस्वरूप, फाइल किए गए संशोधन विवरण के प्रसंस्करण को समर्थ बनाने के लिए अधिनियम की धारा 200 के उपबंधों का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है।

अधिनियम की धारा 201(1) के विद्यमान उपबंध संदायकर्ता को व्यतिक्रमी निर्धारिती के रूप में मानने वाला आदेश पारित करने के लिए उपबंध करता है यदि वह अधिनियम के अध्याय 27ख के उपबंधों के अनुसार संपूर्ण कर या उसके भाग की कटौती नहीं करता है या उसका संदाय नहीं करता है या कटौती के पश्चात उसका संदाय करने में असफल रहता है। अधिनियम की धारा 201(3) किसी निवासी को किए गए संदायों से कर की कटौती करने में असफलता के लिए संदायकर्ता को व्यतिक्रम में निर्धारिती के रूप में समझने के अधिनियम की धारा 201(1) की धारा के अधीन आदेश पारित करने के लिए समयसीमा का उपबंध करती है। अधिनियम की धारा 201(3) का खंड (i) यह उपबंध करता है कि अधिनियम की धारा 201(1) के अधीन कोई आदेश उस वित्तीय वर्ष, जिसमें स्रोत पर कर कटौती विवरणी फाइल कर दी गई है, की समाप्ति से दो वर्ष के पर्यवसान के पश्चात पारित नहीं किया जाएगा। वर्तमान में स्रोत पर कर कटौती विवरण का प्रसंस्करण कम्प्यूटरीकृत वातावरण में किया जाता है और मुख्यतः कटौतीकर्ता द्वारा फाइल किए गए स्रोत पर कर कटौती विवरण में रिपोर्ट किए गए संव्यवहारों पर संकेन्द्रित है। अतः, दो वर्ष के पश्चात स्रोत पर कर कटौती व्यतिक्रम की बाबत व्यतिक्रमी निर्धारिती के रूप में कटौतीकर्ता को मानने के लिए तर्काचार इस आधार पर नहीं है कि कटौतीकर्ता ने स्रोत पर कर कटौती विवरण फाइल कर दिया है चूंकि स्रोत पर कर कटौती व्यतिक्रम संव्यवहार के संबंध में साधारण तथा स्रोत पर कर कटौती विवरण में रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं। अतः, अधिनियम की धारा 201 की उपधारा (3) के खंड (1) का लोप करने का प्रस्ताव है जो उन मामलों के लिए जिनमें, स्रोत पर कर कटौती विवरण फाइल कर दिया गया है, अधिनियम की धारा 201(1) के अधीन आदेश पारित करने के लिए दो वर्ष की समय सीमा का उपबंध करता है।

वर्तमान में, अधिनियम की धारा 201(3) का खंड (ii) उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से, जिसमें संदाय/प्रत्यय उन मामलों के लिए, जिनमें स्रोत पर कर कटौती विवरण फाइल नहीं किया गया है, अधिनियम की धारा 201(1) के अधीन आदेश पारित करने के लिए किया जाता है, छह वर्ष की समय सीमा का उपबंध करता है। तथापि, अधिनियम की धारा 148 के अधीन सूचना उस निर्धारण वर्ष की समाप्ति से छह वर्ष तक पुनःनिर्धारण के लिए जारी की जा सकेगी जिसके लिए आय निर्धारण से छूट गई है। अतः, अधिनियम की धारा 148 अधिनियम की धारा 201(3)(ii) के अधीन विनिर्दिष्ट की अपेक्षा एक और पूर्ववर्ती पूर्ववर्ष के मामलों को पुनः आरंभ करने को अनुज्ञात करता है। इसके कारण, अधिनियम की धारा 201(1) के अधीन आदेश उन स्रोत पर कर कटौती से संबंधित व्यतिक्रमों की बाबत पारित नहीं किया जा सकता जो उस पूर्ववर्ष की बाबत तलाशी/पुनःनिर्धारण कार्यवाही के दौरान ध्यान में आता है किन्तु जो अधिनियम की धारा (201(3)(ii) तथा धारा 148 के अन्तर्गत नहीं आता है। अधिनियम की धारा 201(3)(ii) और धारा 148 के अधीन उपबंधित समय सीमा को संशोधित करने के लिए यह प्रस्ताव है कि अधिनियम की धारा 201(1) के अधीन आदेश पारित करने के लिए अधिनियम की धारा 201(3)(ii) के अधीन उपबंधित समय सीमा एक और वर्ष तक बढ़ाई जाएगी।

अधिनियम की धारा 271ज के विद्यमान उपबंध कतिपय मामलों में स्रोत पर कर कटौती/स्रोत पर संग्रहीत कर विवरण प्रस्तुत करने में विफलता के लिए या स्रोत पर कर कटौती/स्रोत पर संग्रहण विवरणों में गलत सूचना देने के लिए शास्ति के उदग्रहण के लिए उपबंध करते हैं। अधिनियम की धारा 271ज के विद्यमान उपबंध उस प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट नहीं करते हैं जो उक्त धारा के अधीन शास्ति का उदग्रहण करने के लिए सक्षम होगा। अतः धारा 271ज के उपबंधों में यह उपबंध करने के लिए संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है, कि अधिनियम की धारा 271ज के अधीन शास्ति, निर्धारण अधिकारी द्वारा उदग्रहित की जाएगी।

ये संशोधन 1 अक्टूबर, 2014 से प्रभावी होंगे।

[खंड 58, खंड 59, खंड 60 और खंड 68]

### माल वाहनों को चलाने, किराए या पट्टे पर देने का कारबार

अधिनियम की धारा 44कड के विद्यमान उपबंध किसी ऐसे निर्धारिती की दशा में जिसके स्वामित्व में दस से अधिक माल वाहन नहीं हैं और जो पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किसी भी समय ऐसे माल वाहनों को चलाने, किराए या पट्टे पर देने के कारबार में लगा हुआ है, प्रकल्पित कराधान का उपबंध करती है। उक्त कारबार से आय निम्नानुसार संगणित की जाएगी:

माल वाहन का प्रकार	प्रकल्पित आय की रकम
भारी माल यान (एचजीवी)	प्रत्येक मास (या मास के भाग के लिए) 5000 रुपए जिसके दौरान कर दाता माल वाहन का स्वामित्व रखता है।
(एचजीवी) से भिन्न यान	प्रत्येक मास (या मास के भाग के लिए) 4,500 रुपए जिसके दौरान कर दाता माल वाहन का स्वामित्व रकता है।

प्रकल्पित आय की रकम वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2009 द्वारा पुनरीक्षित की गई थी, इसके अतिरिक्त विद्यमान उपबंध प्रकल्पित आय की रकम विनिर्दिष्ट करने के लिए एचजीवी तथा एचजीवी से भिन्न यान के बीच अंतर करते हैं।

वर्षों के दौरान मुद्रास्फीति के कारण विनिर्दिष्ट प्रकल्पित आय की रकम के वास्तविक मूल्य में क्षरण पर विचार करते हुए तथा इस प्रकल्पित कराधान स्कीम के सरलीकरण के लिए, एचजीवी तथा एचजीवी से भिन्न यान के बीच कोई अंतर न करते हुए सभी प्रकार के माल वाहनों के लिए प्रत्येक मास (या मास के भाग के लिए) 7,500 रुपए की प्रकल्पित आय की एक समान रकम के उपबंध का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 16]

### आय संगणना और प्रकटन मानक

अधिनियम की धारा 145 उपबंध करती है कि "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" या "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय, निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से प्रयुक्त रोकड या वाणिज्यिक लेखा पद्धति के अनुसार संगणित की जाएगी। वित्त अधिनियम, 1995 ने केंद्रीय सरकार को निर्धारितियों के किसी वर्ग या आय के किसी वर्ग के लिए लेखा मानक (एएस) अधिसूचित करने के लिए समर्थ बनाया था। इन उपबंधों के आरंभ के समय से, लेखा नीतियों के प्रकटन और पूर्व अवधि तथा असाधारण मदों के प्रकटन से संबंधित केवल दो लेखा मानक तथा लेखा नीतियों में परिवर्तन अधिसूचित किए गए हैं।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 2010 में लेखा मानक समिति का गठन किया। समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट अगस्त, 2012 में प्रस्तुत की। समिति ने यह सिफारिश की कि अधिनियम के अधीन अधिसूचित लेखा मानक केवल कराधेय आय की संगणना के लिए लागू किए जाने चाहिए तथा कर दाता से अधिनियम के अधीन, अधिसूचित लेखा मानकों के आधार पर लेखा बहियां रखने की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। समिति की अंतिम रिपोर्ट को पणधारियों तथा साधारण जनता से टिप्पणियां मांगने के लिए जनता के समक्ष रखा गया। टिप्पणियां/सुझावों का परीक्षण करने के पश्चात समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ, यह सिफारिश की कि अधिनियम की धारा 145 के उपबंध यह स्पष्ट करने के लिए कि, अधिसूचित लेखा मानक लेखा बहियां रखने के लिए नहीं बल्कि आय की संगणना के लिए अनुसरण किए जाने हैं, उपयुक्त रूप से संशोधित किए जा सकते हैं।

यह स्पष्ट करने के लिए कि आय-कर अधिनियम की धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित मानक आय की गणना के लिए तथा निर्धारितियों के किसी वर्ग द्वारा या आय के किसी वर्ग के लिए सूचना के प्रकटन के लिए अनुसरण किया जाना है, यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर, राजपत्र में निर्धारितियों के किसी वर्ग द्वारा या आय के किसी वर्ग की बाबत अनुसरण की जाने वाली आय संगणना की रीति और संबंधित प्रकटन मानक अधिसूचित कर सकेगी। यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि निर्धारण अधिकारी अधिनियम की धारा 144 में उपबंधित रीति में निर्धारण कर सकेगा, यदि आय की संगणना आय-कर अधिनियम की धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित मानकों के अनुसार नहीं की गई है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से लागू होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 50]

### भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विशेष उपक्रम (एसयूयूटीआई) को आय-कर छूट का विस्तार

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विशेष उपक्रम (एसयूयूटीआई) का सृजन भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 द्वारा किया गया। एसयूयूटीआई, यूटीआई की उत्तरवर्ती है। एसयूयूटीआई का आदेश तत्कालीन यूटीआई के मद्दे सरकारी दायित्वों का परिसमापन करना है।

उक्त निरसन अधिनियम की धारा 13(1) द्वारा, एसयूयूटीआई, नियत दिन, अर्थात्, 1 फरवरी, 2003 से संगणित पांच वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट उपक्रम के संबंध में किसी आय, व्युत्पन्न किसी लाभ या अभिलाभ, या प्राप्त किसी रकम पर आय-कर या किसी अन्य कर से छूट प्राप्त है। यह छूट 31 जनवरी, 2008 को समाप्त होनी थी तथा छूट 31 मार्च, 2014 तक बढ़ाया गया था और तदुपरि, 31 मार्च, 2014 तक बढ़ाया गया था।

चूंकि एसयूयूटीआई के कुछ कार्यों का बंद होना अभी भी लंबित है, धारा 13(1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे छूट को 31 मार्च, 2019 तक की पांच वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सके।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी होगा।

[खंड 108]

### किसी एक अनिवासी द्वारा किसी अन्य अनिवासी को सरकारी प्रतिभूति का अंतरण

अधिनियम की धारा 47 में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध, यह उपबंध करता है कि कतिपय संव्यवहार को पूंजी अभिलाभों के प्रभारण के प्रयोजन के लिए अंतरण के रूप में नहीं समझा जाएगा।

भारत के बाहर सरकारी प्रतिभूतियों के सूचीकरण तथा व्यापार को सुकर बनाने की दृष्टि से उक्त धारा में खंड (viiख) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी पूंजी आस्ति का, जो ऐसी सरकारी प्रतिभूति है, जिस पर ब्याज का कालिक संदाय किया जाता है, किसी अनिवासी द्वारा किसी दूसरे अनिवासी को भारत के बाहर प्रतिभूतियों का निपटारा करने वाले किसी मध्यवर्ती के माध्यम से किया गया कोई अंतरण पूंजी अभिलाभों के प्रभारण के प्रयोजनों के लिए अंतरण नहीं समझा जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2015-16 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 18]

### वस्तु व्युत्पन्नों की बाबत सट्टे वाला संव्यवहार

धारा 43 के खंड 5 में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध सट्टे वाले संव्यवहार पद को प्रभावित करते हैं। उक्त खंड 5 का परंतुक सट्टे वाले संव्यवहार के रूप में कतिपय संव्यवहारों के प्रवर्ग को अपवर्जित करता है। वित्त अधिनियम 2013 में कृषि संबंधी वस्तुओं से भिन्न, वस्तुओं की बाबत वस्तु व्युत्पन्नों पर वस्तु संव्यवहार कर के उदग्रहण के लिए उपबंध किया गया था। वस्तु संव्यवहार कर के उदग्रहण के परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 43के (खंड-5) के परंतुक में खंड-ड, यह उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित किया गया था कि संगठित संगम में किए गए वस्तु व्युत्पन्नों की व्यापार की बाबत पात्र संव्यवहार सट्टेवाला संव्यवहार के रूप में नहीं समझा जाएगा। वित्त अधिनियम 2013 के उपबंधों के स्पष्ट करने वाले परिपत्र संख्या-3, तारीख 24-01-2014 द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि पात्र संव्यवहार में वस्तु व्युत्पन्नों के केवल यह संव्यवहार सम्मिलित होंगे, जो वस्तु संव्यवहार कर के दायी हैं।

तदनुसार उक्त (खंड-5) के परंतुक के खंड-ड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी मान्याप्राप्त संगम में किए गए, वस्तु व्युत्पन्नों की व्यापार की बाबत पात्र संव्यवहार और वित्त अधिनियम 2013 के अध्याय-7 के अधीन वस्तु संव्यवहार कर से प्रभार्य संव्यवहार सट्टेवाले संव्यवहार के रूप में नहीं समझे जाएंगे।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2014 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2014-15 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 15]

## अनिवार्य अर्जन के रूप में आस्ति के अंतरण से उत्पन्न पूंजी अभिलाभ

धारा 45 में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध पूंजी आस्ति के अंतरण से उदभूत किन्ही लाभों या अभिलाभों के प्रभारण के लिए उपबंध करते हैं। उन पूंजी अभिलाभों के संबंध में जो अनिवार्य अर्जन के रूप में अंतरण से जहां प्रतिकर में किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा वृद्धि या पुनः वृद्धि की जाती है, उदभूत होते हैं, कार्यवाई किए जाने का उपबंध है। उक्त धारा के खंड-ख में यह उपबंधित है कि जहां प्रतिकर की रकम में न्यायालय द्वारा वृद्धि या पुनःवृद्धि की जाती है वहां उसे उस पूर्व वर्ष की, जिसमें ऐसी रकम निर्धारिती द्वारा प्राप्त की जाती है, प्रभार्य आय समझा जाएगा।

उस वर्ष के बारे में अनिश्चितता है, जिसमें न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुसरण में प्राप्त प्रतिकर की रकम न्यायालय के आदेशों के कारण कर से प्रभारित की जाती है।

तदनुसार यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि न्यायालय अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के अन्तरिम आदेश के अनुसरण में प्राप्त प्रतिकर की रकम उस पूर्व वर्ष में जिसमें ऐसे न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी का अंतिम आदेश किया जाता है, 'पूंजी अभिलाभ' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय समझी जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2015-16 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 17]

## लागत मुद्रास्फीति सूचकांक

"धारा 48 में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध पूंजी अभिलाभ शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने के ढंग को विहित करता है। उक्त धारा के स्पष्टीकरण का खंड (v) किसी पूर्ववर्ष के संबंध में, "लागत मुद्रास्फीति सूचकांक" पद को परिभाषित करता है जिससे ऐसा सूचकांक अभिप्रेत है, जो शारीरिक श्रम न करने वाले नगरीय कर्मचारियों के लिए ऐसे पूर्ववर्ष से ठीक पूर्ववर्षीय वर्ष में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में पचहत्तर प्रतिशत की औसत वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

शारीरिक श्रम न करने वाले नगरीय कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को बंद कर दिया है, तदनुसार, धारा 48 के स्पष्टीकरण के उक्त खंड (5) (v) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी पूर्ववर्ष के संबंध में, "लागत मुद्रास्फीति सूचकांक" से ऐसा सूचकांक अभिप्रेत है, जो ऐसे पूर्ववर्ष से ठीक पूर्ववर्षीय वर्ष में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (नगरीय) में पचहत्तर प्रतिशत की औसत वृद्धि को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 19]

## निवास गृह संपत्ति विनिधान की दशा में पूंजी अभिलाभ छूट

धारा 54 की उपधारा 1 में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंध करते हैं कि जहां ऐसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से उदभूत पूंजी अभिलाभ जो भवन या उससे अनुलग्न भूमि है और तथा निर्धारिती ने अंतरण तारीख से एक वर्ष पहले या दो वर्ष पश्चात कोई निवास गृह क्रय किया है या उस तारीख के पश्चात तीन वर्षों की कालावधि के भीतर सन्निर्मित किया है, तो वहां पूंजी अभिलाभ की रकम उस सीमा तक, जो नए निवास गृह में विनिधान की गई है अधिनियम की धारा 45 के अधीन कर से प्रभार्य नहीं है।

धारा 54(च) की उपधारा 1 में अंतर्विष्ट और विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि जहां दीर्घकालिक पूंजी आस्ति से उदभूत अभिलाभ, जो निवास गृह नहीं है और निर्धारिती अंतरण की तारीख से पूर्व एक वर्ष की अवधि के भीतर या क्रय की तारीख के दो वर्ष के पश्चात यह अंतरण की तारीख के पश्चात तीन वर्ष की अवधि के भीतर गृह निवास का सन्निर्माण करता है तो अंतरण पर प्राप्त शुद्ध प्रतिफल के लिए नई आस्ति की लागत के अनुपात में पूंजी अभिलाभ का भाग कर से प्रभार्य नहीं है।

यह फायदा भारत के भीतर एक आवासीय गृह में विनिधान के लिए आशयित था। तदनुसार धारा 54 की पूर्वोक्त उपधारा 1 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के अधीन प्रत्याभूत अनुतोष तब उपलब्ध होता है जब विनिधान भारत में स्थित एक आवासीय गृह में किया जाता है।

धारा 54(च) की पूर्वोक्त उपधारा 1 का संशोधन करने का और प्रस्ताव है जिससे कि ये उपबंध किया जा सके कि छूट तब उपलब्ध होती है जब विनिधान भारत में स्थित एक आवासीय गृह में किया जाता है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2015-16 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 22 और खंड 24]

## विनिर्दिष्ट बंधपत्रों में विनिधान पर पूंजी अभिलाभ छूट

धारा 54(ड) की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि जहां पूंजी अभिलाभ, दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से उदभूत होता है और निर्धारिती ने, छह मास की अवधि के भीतर, दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति में संपूर्ण पूंजी अभिलाभ या उसके किसी भाग का विनिधान किया है वहां संपूर्ण पूंजी अभिलाभ में से दीर्घकालिक पूंजी आस्ति में इस प्रकार विनिधान किए गए पूंजी अभिलाभ के अनुपात पर कर प्रभारित नहीं किया जाएगा। उक्त उपधारा के परंतुक में यह उपबंधित है कि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति में किया गया विनिधान पचास लाख रुपए से अधिक नहीं होगा।

तथापि परंतुक की भाषा में संदिग्धता सृजित की है, परिणामस्वरूप सितम्बर मास के पश्चात वर्ष के दौरान उदभूत पूंजी अभिलाभ ऐसी रीति में विनिर्दिष्ट आस्ति में विनिधान किए गए थे जिससे विनिधान को दो वर्षों में अर्थात् वर्ष के भीतर एक और अगले वर्ष में दूसरा किन्तु छह मास की समाप्ति से पूर्व विभाजित किया जा सके। इसका आशयित परिणाम पचास लाख रुपए के अनुतोष के लिए सीमा के मुकाबले में एक करोड़ रुपए के अनुतोष के लिए दावा है।

तदनुसार उपधारा (1) के परंतुक में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी निर्धारिती द्वारा ऐसे वित्तीय वर्ष के दौरान, जिसमें मूल आस्ति या आस्तियां अंतरित की जाती हैं, एक या अधिक मूल आस्तियों के अंतरण से उदभूत पूंजी अभिलाभों में से किसी दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति में विनिधान किया जाता है और वह पश्चातवर्ती वित्तीय वर्ष में पचास लाख रुपए से अधिक का नहीं है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 23]

## सट्टे के कारबार में हानियां

अधिनियम की धारा 73 के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि किसी सट्टे के कारबार की बाबत हुई हानियों को मुजरा या अग्रनीत और किसी अन्य सट्टे के कारबार के लाभों के प्रति किए जाने के सिवाय मुजरा नहीं किया जा सकता। धारा 73 के स्पष्टीकरण में यह उपबंधित है कि ऐसी कंपनी की दशा में जो अपनी आय मुख्यतया कारबार शीर्ष के अधीन प्राप्त कर रही है (उस कंपनी से भिन्न जिसका मुख्य कारबार बैंककारी का या उधार और अग्रिम देने का है) और जहां उसके कारबार के किसी भाग में शेयरों का क्रय या विक्रय है, वहां ऐसे कारबार को इस धारा के प्रयोजनों के लिए सट्टे का कारबार समझा जाएगा। धारा 43 की उपधारा 5 किसी ऐसे संव्यवहार के रूप में सट्टा के संव्यवहार पद को परिभाषित करती है जिसमें किसी वस्तु, जिसके अंतर्गत स्टॉक और शेयर भी हैं, के क्रय या विक्रय संबंधी संविदा वास्तविक परिदान के रूप में अन्यथा परिनिर्धारित की जाती है। तथापि, उक्त धारा का परंतुक अन्य बातों के साथ-साथ मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर व्युत्पन्नों में व्यापार की बाबत संव्यवहार को इसकी परिधि से छूट देता है।

पूर्वोक्त स्पष्टीकरण का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि स्पष्टीकरण का उपबंध उस कंपनी को भी लागू नहीं होगा जिसका प्रधान कारबार शेयरों में व्यापार का कारबार है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2015-16 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 26]

## आय-कर प्राधिकारी

अधिनियम की धारा 116 अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आय-कर प्राधिकारियों को विनिर्दिष्ट करती है तथा धारा 117 कथन करती है कि केंद्रीय सरकार ऐसे व्यक्तियों को आय-कर प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगी जैसा वह उचित समझे। अधिनियम की धारा 116 में प्रगणित आय-कर प्राधिकारियों में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर महानिदेशक या मुख्य आय-कर आयुक्त; आय-कर निदेशक या आय-कर आयुक्त आदि सम्मिलित हैं।

नए आय-कर प्राधिकारियों के सृजन को दृष्टिगत रखते हुए अधिनियम की पूर्वोक्त धारा 116 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे नए सृजित आय-कर प्राधिकारियों को सम्मिलित किया जा सके। अधिनियम की धारा 2 में खण्ड (34क), खंड (34ख), खंड (34ग) और खंड 34घ) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे "प्रधान मुख्य आय-कर आयुक्त", प्रधान आय-कर आयुक्त", प्रधान आय-कर महानिदेशक" और "प्रधान आय-कर निदेशक" पदों को इस रूप में परिभाषित किया जा सके कि जिससे ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 117 के अधीन आय-कर प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सके।

ये संशोधन 1 जून, 2013 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे।

[खंड 3, खंड 4 और खंड 44]

## सर्वेक्षण की शक्ति

अधिनियम की धारा 133क में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध आय-कर प्राधिकारी को ऐसे किसी परिसर में, जिसमें सर्वेक्षण के प्रयोजनों के लिए कारबार या वृत्ति की जाती है, प्रवेश करने हेतु सशक्त करने के लिए है। कोई आय-कर प्राधिकारी सर्वेक्षण के दौरान इस धारा के अधीन कार्य करते हुए उसके द्वारा निरीक्षण की गई किन्ही लेखा बहियों या दस्तावेजों को जब्त और अपनी अभिरक्षा में रख सकेगा। तथापि, वह यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या महानिदेशक का उसके लिए अनुमोदन अभिप्राप्त किए बिना दस दिन से अधिक की अवधि (अवकाश के दिनों को छोड़कर) के लिए ऐसी लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों को अपनी अभिरक्षा में नहीं रखेगा।

धारा 133क के अधीन कार्य करने वाले आय-कर प्राधिकारी को धारा 131 की उपधारा (1) अधीन इसे यथा प्रदत्त शक्तियां प्राप्त हैं। समय अवधि तथा विनिर्दिष्ट समय अवधि से आगे अनुमोदन के लिए प्राधिकारी को संरेखित करने के लिए यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि धारा 133क के अधीन कार्य करने वाला आय-कर प्राधिकारी, यथास्थिति, प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक या आयुक्त या निदेशक का अनुमोदन अभिप्राप्त किए बिना पन्द्रह दिन से अधिक के लिए (अवकाश के दिनों को छोड़कर) ऐसी, लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों को, अपनी अभिरक्षा में नहीं रखेगा।

और, धारा 133क का संशोधन यह उपबंधित करने के लिए भी प्रस्तावित है कि आय-कर प्राधिकारी, इस बात का सत्यापन करने के प्रयोजन के लिए कि कर, यथास्थिति, अध्याय 17 के शीर्ष ख या अध्याय 17 के उपशीर्ष खख के अधीन के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर काटा गया या संगृहीत किया गया है, ऐसे किसी कार्यालय या किसी अन्य स्थान में, जहां कारबार या वृत्ति की गई है, उसे सौंपे गए क्षेत्र की सीमाओं के भीतर या ऐसे किसी स्थान में, जिसकी बाबत, वह ऐसे आय-कर प्राधिकारी द्वारा, जिसे वह क्षेत्र सौंपा गया है, जिसके भीतर ऐसा स्थान स्थित है, जहां लेखा पुस्तकें या दस्तावेज रखे गए हैं, इस धारा के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत हैं, सूर्योदय के पश्चात और सूर्यास्त के पूर्व प्रवेश कर सकेगा और कटौतीकर्ता या संग्रहणकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति से, जो उस समय और स्थान पर उस कार्य के लिए किसी रीति में उपस्थित हो,--

(i) ऐसी लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों का, जिनकी वह अपेक्षा करे और उस स्थान पर उपलब्ध हों, निरीक्षण करने के लिए आवश्यक सुविधा प्रदान करने की, और

(ii) ऐसी सूचना, जिसकी वह ऐसे विषय के संबंध में अपेक्षा करे, प्रदान करने की अपेक्षा कर सकेगा।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि आय-कर प्राधिकारी उसके द्वारा निरीक्षित लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों पर पहचान चिन्ह अंकित कर सकेगा तथा उनका सार और प्रतियां ले सकेगा। वह किसी व्यक्ति का कथन भी अभिलिखित कर सकेगा, जो इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के लिए उपयोगी या सुसंगत हो। तथापि, उपधारा (2क) के अधीन कार्य करने के दौरान वह उसके द्वारा निरीक्षित लेखा बहियों या दस्तावेजों को जब्त नहीं करेगा और अपनी अभिरक्षा में नहीं रखेगा या किसी नकद भण्डार या अन्य बहुमूल्य चीजों की तालिका नहीं बनाएगा।

ये संशोधन 1 अक्टूबर, 2014 से प्रभावी होंगे।

[खंड 45]

## पारस्परिक निधियों, प्रतिभूतिकरण न्यासों और जोखिम पूंजी निधि कंपनियों या जोखिम पूंजी निधियों द्वारा आय का विवरण फाइल किया जाना

अधिनियम की धारा 139 में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि किसी कंपनी या फर्म से भिन्न, प्रत्येक व्यक्ति, जिसकी कुल आय या किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय, जिसकी बाबत वह पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान इस अधिनियम के अधीन निर्धारणीय है, उस अधिकतम रकम से अधिक हो जाती है जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान अपनी आय या ऐसे अन्य व्यक्ति की आय का विवरण विहित प्ररूप में और विहित रीति में सत्यापित करके प्रस्तुत करेगा तथा ऐसी अन्य विशिष्टियां उपवर्णित करेगा जो विहित की जाएं। उपरोक्त के अतिरिक्त कतिपय अन्य निकाय, जो धारा 10 के उपबंधों के अनुसरण में आय-कर से प्रभार्य नहीं हैं, अपनी आय की विवरण फाइल करने के लिए बाध्य हैं, यदि धारा 10 के उपबंधों को प्रभावी किए बिना उनकी कुल आय, उस अधिकतम रकम से अधिक हो जाती है, जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है।

धारा 10 का खंड (23घ) पारस्परिक निधि की आय की छूट देता है, धारा 10 का खंड (23घक) प्रतिभूतिकरण न्याय को आय को प्रतिभूतिकरण के क्रियाकलाप से छूट देता है और धारा 10 का खंड (23चख) जोखिम पूंजी कंपनी (वीसीसी) या जोखिम पूंजी निधि (वीसीएफ) की आय को जोखिम पूंजी उपक्रम में विनिधान से छूट प्रदान करता है। पारस्परिक निधि या प्रतिभूतिकरण न्यास या वीसीसी अथवा वीसीएफ के लिए अधिनियम की धारा 139 के अधीन अपनी आय का विवरण प्रस्तुत करना बाध्यकारी नहीं है। इसके बजाय उनसे पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान संदत्त या प्रत्यय की गई आय की प्रकृति के ब्यौरे देते हुए एक विवरण या ऐसे अन्य सुसंगत ब्यौरे, जैसा विहित किया जाए, देना अपेक्षित है।

धारा 139 की उपधारा (4ग) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 10 के खंड (23घ) में निर्दिष्ट पारस्परिक निधि और धारा 10 के खंड (23घक) में निर्दिष्ट प्रतिभूतिकरण न्यास और धारा 10 के खंड (23चख) में निर्दिष्ट जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि, यदि ऐसी कुल आय, जिसकी बाबत निधि, न्यास या कंपनी निर्धार्य है, धारा 10 के उपबंधों को प्रभावी किए बिना, उस अधिकतम रकम से अधिक होती है जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है, पूर्ववर्ष की ऐसी आय की विवरणी, जो विहित प्ररूप में हो, और विहित रीति में सत्यापित हो तथा जिसमें ऐसी अन्य विशिष्टियां हों, जो विहित की जाएं, प्रस्तुत करेगी तथा अधिनियम के सभी उपबंध, जहां तक हो सके, उसी रूप में लागू होंगे मानों वह ऐसी विवरणी है, जिसे पूर्वोक्त धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

और, ऊपर निर्दिष्ट पारस्परिक निधियों और प्रतिभूतिकरण न्यासों के मामले में धारा 115द की उपधारा (3क) तथा धारा 115नक की उपधारा (3) का लोप करके किसी आय-कर प्राधिकारी के समक्ष विवरणी फाइल करने की अपेक्षा से अभिमुक्ति देने का भी प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होंगे।

[खंड 41 खंड 42 और खंड 47]

### विहित आय-कर प्राधिकारी द्वारा जांच

विहित आय-कर प्राधिकारी की अपनी अभिरक्षा में किसी व्यक्ति से संबंधित सूचना के सत्यापन में समर्थ बनाने की दृष्टि से, अधिनियम में एक नई धारा 133ग अंतः स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि विहित आय-कर प्राधिकारी, अपने कब्जे में की किसी व्यक्ति से संबंधित सूचना के सत्यापन के प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्ति को, कोई सूचना उसमें विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख को या उसके पूर्व, उसमें विनिर्दिष्ट रीति में सत्यापित ऐसी सूचना या दस्तावेज, जो इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाही के लिए उपयोगी या सुसंगत हो, प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए जारी कर सकेगा।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2014 से प्रभावी होगा।

[खंड 46]

### मूल्यांकन अधिकारी द्वारा आस्तियों के मूल्य का प्राक्कलन

धारा 142क में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन निर्धारण अधिकारी, निर्धारण या पुनःनिर्धारण के प्रयोजन के लिए मूल्यांकन मूल्यांकन अधिकारी से किसी विनिधान, किसी सोना-चांदी, आभूषण या उचित बाजार मूल्य की किसी संपत्ति के मूल्य का प्राक्कलन करने की अपेक्षा कर सकेगा। मूल्यांकन अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर निर्धारण अधिकारी, निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् निर्धारण या पुनःनिर्धारण के प्रयोजनों के लिए ऐसी रिपोर्ट पर विचार कर सकेगा।

धारा 142क किसी विनिधान या संपत्ति के मूल्य के प्राक्कलन के लिए मूल्यांकन अधिकारी से को निर्देश के लिए पूर्व शर्त के रूप में लेखा बहियों को खारिज करना परिकल्पित नहीं करती है।

तदनुसार उक्त धारा 142क को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारण अधिकारी निर्धारण या पुनःनिर्धारण के प्रयोजन के लिए मूल्यांकन अधिकारी को किसी आस्ति, संपत्ति या विनिधान का मूल्य, जिसके अंतर्गत उचित बाजार मूल्य भी है, प्राक्कलित करने और रिपोर्ट की एक प्रति उसे प्रस्तुत करने का निर्देश कर सकेगा। निर्धारण अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन इस बात का कोई निर्देश कर सकेगा कि उसका निर्धारिती के लेखाओं की शुद्धता और पूर्णता के बारे में समाधान हो गया है कि नहीं। मूल्यांकन अधिकारी को, उपधारा (1) के अधीन किए गए निर्देश पर आस्ति, संपत्ति या विनिधान के मूल्य का प्राक्कलन करने के प्रयोजन के लिए वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 38क के अधीन उसे प्राप्त हैं।

मूल्यांकन अधिकारी, निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, ऐसे साक्ष्य पर, जो निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किया जाए और उसके कब्जे से एकत्रित किसी अन्य साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् आस्ति, संपत्ति या विनिधान का मूल्य प्राक्कलित करेगा। मूल्यांकन अधिकारी, यदि निर्धारिती सहयोग नहीं करता है या उसके निदेश का अनुपालन नहीं करता है तो अपनी सर्वोत्तम विवेक बुद्धि के अनुसार आस्ति, संपत्ति या विनिधान का मूल्य प्राक्कलित कर सकेगा। यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि मूल्यांकन अधिकारी, उस मास के अंत से, जिसमें उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश किया गया है, छह मास की अवधि के भीतर, अपनी रिपोर्ट की एक प्रति निर्धारण अधिकारी और निर्धारिती को भेजेगा। निर्धारण अधिकारी, मूल्यांकन अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् निर्धारण या पुनःनिर्धारण करने में ऐसी रिपोर्ट पर विचार कर सकेगा।

अधिनियम की धारा 153 और धारा 153ख का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे उपबंध किया जा सके कि उस तारीख से प्रारंभ होने वाली जिसको उसका निर्देश मूल्यांकन अधिकारी द्वारा किया जाता है तथा उस तारीख को समाप्त होने वाला परिसीमाकाल जिसको उसकी रिपोर्ट निर्धारण अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाती है, निर्धारण या पुनःनिर्धारण पूर्ण करने के लिए पूर्वोक्त धारा के अधीन उपबंधित परिसीमाकाल से अपवर्जित किया जाएगा।

ये संशोधन 1 अक्टूबर, 2014 से प्रभावी होंगे।

[खंड 49, खंड 51 और खंड 52]

### धारा 220 के अधीन निर्धारती द्वारा संदेय ब्याज

धारा 220 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध यह उपबंध करता है कि धारा 156 के अधीन मांग की सूचना में, यथा संदेह विनिर्दिष्ट कोई रकम उस स्थान पर और उस व्यक्ति को जो नोटिस में उल्लिखित है, पर नोटिस की तामील के तीस दिन के भीतर संदत की जाएगी, उपधारा (2) में यह कथन है कि यदि नोटिस में विनिर्दिष्ट रकम उक्त अवधि के भीतर संदत नहीं की जाती है, तो निर्धारती प्रत्येक मास या उस मास के भाग के लिए जो उपधारा में उल्लिखित अवधि ठीक अगले दिन से आरंभ होने वाली अवधि और उस दिन को समाप्त होने वाली अवधि जिसको रकम का संदाय किया जाता है, से मिलकर बनेगी, के लिए एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने का दायी होगा। उपधारा (2) का परंतुक यह कथन करता है कि धारा 154, 155, 250, 254, 260, 262, 264 या धारा 245घ की उपधारा (4) के अधीन आदेश के परिणामस्वरूप वह रकम जिस पर इस धारा के अधीन ब्याज संदेय है, जो कम कर दी गई थी, तदनुसार ब्याज कम कर दिया जाएगा और अत्यधिक संदत ब्याज का यदि कोई हो प्रतिदाय किया जाएगा।

ब्याज संदाय करने का निर्धारती का दायित्व, कार्रवाईयों की निरंतरता के सिद्धान्त और पूर्व संबंध के सिद्धान्त पर आधारित है। तदनुसार धारा 220 में एक नई धारा अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि जहां मांग की कोई सूचना निर्धारती पर तामील की गई है और यथास्थिति कोई अपील या अन्य कार्यवाही मांग की उक्त सूचना विनिर्दिष्ट रकम की बाबत फाइल की जाती है या आरंभ की जाती है तब ऐसी मांग यथास्थिति अंतिम अपील प्राधिकारी के निपटारे या कार्यवाहियों के निपटारे तक विधिमान्य समझी जाएगी और ऐसे मांग की सूचना का वही प्रभाव होगा जैसा कराधान विधियां (वसूली कार्यवाहियों का चालू रखा जाना और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1964 की धारा (3) में उपबंधित है।

यह उपबंध करने का और प्रस्ताव है कि जहां पहले परंतुक में विनिर्दिष्ट धाराओं के अधीन आदेश के परिणामस्वरूप, वह रकम जिसपर ब्याज इस धारा के अधीन संदेय था और तत्पश्चात उक्त धाराओं या धारा 263 के अधीन आदेश के परिणामस्वरूप वह रकम जिस पर धारा 220 के अधीन ब्याज संदेय था, बढ़ा दी जाती है तो निर्धारती ऐसे आदेश के परिणामस्वरूप उक्त धारा की उपधारा (1) में निर्दिष्ट मांग की पहली सूचना में उल्लिखित अवधि की समाप्ति से ठीक अगले दिन से और उस दिन की समाप्ति के साथ जिस रकम का संदाय किया जाता है, संदेय रकम पर उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

ये संशोधन 1 अक्टूबर, 2014 से प्रभावी होंगे।

[खंड 62]

### उधार और निक्षेपों का प्रतिगृहण या प्रतिसंदाय का ढंग

अधिनियम की धारा 269घ, अन्य बातों के साथ, में अन्तर्दिष्ट के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि कोई व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति से कोई उधार या निक्षेप, पाने वाले के खाते में देय चैक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा ही लेगा अन्यथा नहीं, यदि ऐसे उधार या निक्षेप की रकम अथवा ऐसे उधारों या निक्षेपों की कुल रकम बीस हजार रुपए या उससे अधिक है।

विद्यमान उपबंधों में इसी प्रकार अधिनियम की धारा 269न के अन्य बातों के साथ यह उपबंधित है कि किसी उधार या किए गए निक्षेप का प्रतिसंदाय पाने वाले के खाते में देय चैक द्वारा या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा, अन्यथा नहीं, यदि ऐसे उधार या निक्षेप की रकम उस पर ब्याज सहित या ऐसे उधारों या निक्षेपों पर संदेय ब्याज सहित कुल रकम, बीस हजार रुपए या उससे अधिक है।

वर्तमान समय में बहुत से संव्यवहार, बैंककारी इंटरनेट, बैंक जारी सुविधाओं के रूप में संदाय गेटवेज के प्रयोग द्वारा होते हैं। तदनुसार धारा 269घ और धारा 269न के उपबंधों में संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि किसी बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली के प्रयोग द्वारा किसी उधार या निक्षेप के प्रतिगृहण या प्रतिसंदाय उक्त धाराओं के अधीन प्रतिषिद्ध नहीं होगा यदि मात्रा आदि के बारे में अन्य शर्तें पूरी कर दी जाती हैं।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 63 और 64]

### लेखे और दस्तावेज पेश करने में असफलता

अधिनियम की धारा 276घ के विद्यमान उपबंध यह उपबंधित करते हैं कि धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई किसी सूचना में यथा अपेक्षित लेखे और दस्तावेज पेश करने में जानबूझकर असफल रहता है या धारा 142 की उपधारा (2क) के अधीन उसे दिए गए निदेश का अनुपालन करने में जानबूझकर असफल रहता है, तो वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो हर दिन के लिए जिसके दौरान व्यतिक्रम चालू रहता है चार रुपए से अन्यून या दस रुपए से अनधिक की दर से संगणित राशि के बराबर होगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।

उक्त धारा के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि कोई व्यक्ति धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई किसी सूचना में यथा अपेक्षित लेखे और दस्तावेज पेश करने में जानबूझकर असफल रहता है या धारा 142 की उपधारा (2क) के अधीन उसे जारी किए गए किसी निदेश का अनुपालन करने में जानबूझकर असफल रहता है, तो वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2014 से प्रभावी होगा।

[खंड 69]

## धारा 281ख के अधीन अनन्तिम कुर्की

अधिनियम की धारा 281ख में की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि निर्धारण अधिकारी, निर्धारण या पुनःनिर्धारण की किसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान राजस्व के हितों के संरक्षण के लिए मुख्य आयुक्त या आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से निर्धारण से संबंधित किसी संपत्ति को दूसरी अनुसूची में उपबंधित रीति से अनंतिम रूप से कुर्क कर सकेगा। उक्त धारा की उपधारा (2) में यह उपबंधित है कि अनंतिम कुर्की, छह मास की समाप्ति के पश्चात् प्रभावहीन हो जाएगी, परंतु मुख्य आयुक्त या आयुक्त ऐसी कालावधि को कुल दो वर्ष की कालावधि तक बढ़ा सकेगा।

उक्त धारा की उपधारा (2) के परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि मुख्य आयुक्त या आयुक्त, महानिदेशक या निदेशक अनंतिम कुर्की की ऐसी कालावधि को बढ़ा सकेगा ताकि निर्धारण या पुनःनिर्धारण की तारीख के पश्चात् दो वर्ष या साठ दिन, इनमें से जो पश्चात्पूर्वी हो, से अधिक नहीं होगी।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2015 से प्रभावी होगा।

[खंड 70]

## सूचना का विवरण प्रस्तुत करने की बाध्यता

अधिनियम की धारा 285खक के विद्यमान उपबंध विनिर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहारों के बाबत विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के द्वारा वार्षिक सूचना विवरणी फाइल करने के लिए उपबंध करता है, जो उनके द्वारा रजिस्ट्रीकृत या अभिलिखित की जाती है और जो सुसंगत हैं तथा अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विहित आयकर प्राधिकारी के लिए अपेक्षित है।

निवासियों और अनिवासियों के बाबत सूचना के प्रभावी आदान प्रदान को सुकर बनाने की दृष्टि से उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे कि ये उपबंध किया जा सके कि किसी विनिर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहारों की बाबत रिपोर्ट करने वाली वित्तीय संस्था द्वारा विवरण या रिपोर्ट योग्य लेखा विहित आयकर प्राधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए उपबंध किया जा सके। यह और प्रस्ताव है कि सूचना का विवरण ऐसे समय के भीतर ऐसे रूप और रीति में, जो विहित किया जाए प्रस्तुत किया जाए।

यह उपबंध करने का और प्रस्ताव है कि जहां किसी ऐसे व्यक्ति जिसने विवरण में दी गई जानकारी में किसी गलती को जानने या पता लगाने के लिए उपधारा (1) के अधीन या उपधारा (5) के अधीन जारी नोटीस के अनुसरण में सूचना का विवरण प्रस्तुत किया है तो वह दस दिन की अवधि के भीतर ऐसे विवरण में गलती को उपधारा 1 में निर्दिष्ट आयकर प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी या अभिकरण को सूचित करेगा और ऐसी रीति में सही सूचना प्रस्तुत करेगा जो विहित की जाए।

यह भी प्रस्ताव है कि केन्द्र सरकार नियमों द्वारा -- (क) विहित आयकर प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत की जाने वाली उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी; (ख) सूचना और रीति की प्रकृति जिसमें ऐसी सूचना खंड क में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा रखी जाएगी, विनिर्दिष्ट कर सकेगी; और (ग) उपधारा (1) 1 में निर्दिष्ट उपयोग योग्य लेखा की पहचान के प्रयोजन के लिए खंड क में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा पालन की जाने वाली सम्यक् तत्परता विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

इसके अतिरिक्त धारा 271चक के विद्यमान उपबंध वार्षिक सूचना विवरणी प्रस्तुत करने में असफलता के लिए शास्ति का उपबंध करते हैं। उक्त धारा को संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि सूचना या रिपोर्ट योग्य लेखा का विवरण प्रस्तुत करने में असफलता के लिए शास्ति का उपबंध किया जा सके।

एक नई धारा 271चकक अन्तस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि धारा 285खक की उपधारा 1 के खंड (ट) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जिससे वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य लेखा का विवरण प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा की जाती है, विवरण में गलत सूचना देता है और जहां (क) गलती धारा 285खक की उपधारा (7) के अधीन विहित सम्यक् तत्परता के अनुपालन करने में हुई असफलता के कारण होती है या व्यक्ति की ओर से जानबूझकर होती है; या (ख) वह व्यक्ति वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य लेखा का विवरण प्रस्तुत करने के समय गलती के बारे में जानता है किन्तु विहित आयकर प्राधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकारी या अभिकरण को इसके बारे में सूचित नहीं करता है; (ग) वह व्यक्ति को वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य लेखा के विवरण प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् गलती का पता लगता है, धारा 285खक की उपधारा (6) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचित करने में या सही सूचना देने में असफल रहता है तो विहित आयकर प्राधिकार यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति पचास हजार रुपए की राशि शास्ति के रूप में संदत करेगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होंगे।

[खंड 65, 66 और 71]

## तलाशी किए गए व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति की आय का निर्धारण

अधिनियम की धारा 153ग किसी अन्य व्यक्ति की आय के निर्धारण से संबंधित है। उक्त धारा 153ग की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध यह उपबंधित करते हैं कि धारा 139, धारा 147 धारा 148, धारा 149, धारा 151 और धारा 153 में किसी बात के होते हुए भी, जहां निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि कोई धन, सोना-चांदी, आभूषण अन्य बहुमूल्य वस्तु या चीज या लेखा बहियां या अभिगृहीत या अध्यक्षित दस्तावेज, धारा 153क में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति के हैं वहां, लेखा बही या दस्तावेज या अभिगृहीत या अध्यक्षित आस्तियां ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को सौंप दिए जाएंगे और वह निर्धारण अधिकारी प्रत्येक ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करेगा और ऐसे अन्य व्यक्ति को सूचना जारी करेगा तथा धारा 153क के उपबंधों के अनुसरण में ऐसे अन्य व्यक्ति की आय का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करेगा।

अधिनियम की 153ग का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि धारा 139, धारा 147, धारा 148, धारा 149, धारा 151 और धारा 153 में किसी बात के होते हुए भी, जहां निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि कोई धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य बहुमूल्य वस्तु या चीज

या लेखा बहियां या अभिगृहीत या अध्यपेक्षित दस्तावेज धारा 153क में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति के हैं वहां लेखा बही या दस्तावेज या अभिगृहीत या अध्यपेक्षित आस्तियां, ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को सौंप दिए जाएंगे और वह निर्धारण अधिकारी प्रत्येक ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करेगा और सूचना जारी करेगा और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि लेखा बहियां, दस्तावेज या अभिगृहीत या अध्यपेक्षित आस्तियां धारा 153क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट सुसंगत निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए ऐसे अन्य व्यक्ति की कुल आय के अवधारण से संबंधित हैं, तो ऐसे अन्य व्यक्ति की आय का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करेगा।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2014 से प्रभावी होगा।

[खंड 53]

### धारा 80गगध के अधीन कर फायदों का निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को विस्तार

अधिनियम की धारा 80गगध की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, यदि किसी निर्धारिती ने, 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य नियोजक द्वारा नियोजित कोई व्यक्ति है, या कोई ऐसा अन्य निर्धारिती जो व्यक्ति है, पूर्ववर्ष में अधिसूचित किसी पेंशन स्कीम के अधीन, कोई रकम अपने खाते में संदत्त या निक्षिप्त की है, जो उसके वेतन के दस प्रतिशत से अधिक न हो, कटौती अनुज्ञात की जाएगी। इसी प्रकार, व्यक्ति के उक्त खाते में केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य नियोजक द्वारा संदाय किए जाने पर धारा 80गगध की उपधारा (2) के अधीन कटौती के रूप में पेंशन स्कीम के अधीन, जो उसके पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान वेतन के दस प्रतिशत से अधिक न हो, कटौती के रूप में अनुज्ञात है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निजी क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) से जुड़ने के लिए सेवा में आने की तारीख सुसंगत नहीं है, धारा 80गगध के उपबंधों के संशोधन का यह उपबंध करने के लिए प्रस्ताव है कि 1.1.2004 को या उसके पश्चात की सेवा में आने की तारीख की शर्त उख्त धारा के अधीन कटौती के प्रयोजनों के लिए उनके लिए लागू नहीं होती।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 28]

### वैकल्पिक न्यूनतम कर का प्रत्यय

धारा 115जडड की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि अध्याय ऐसे किसी व्यक्ति को लागू होंगे जिसने अध्याय 6क के भाग ग के अधीन या धारा 10कक के अधीन कटौती का दावा किया है। यह और कि धारा 115जडड की उपधारा (2) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि अध्याय, किसी व्यक्ति या किसी हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय को, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट किसी कृत्रिम विधिक व्यक्ति को उस दशा में लागू नहीं होंगे, यदि ऐसे व्यक्ति की समायोजित कुल आय बीस लाख रुपए से अधिक नहीं है। इससे किसी निर्धारण वर्ष में धारा 115जघ के अधीन वैकल्पिक न्यूनतम कर प्रत्यय के दावे में कठिनाई उत्पन्न हुई है जहां आय बीस लाख रुपए से अधिक नहीं है या धारा 10कक या अध्याय 6क के अधीन किसी कटौती का दावा नहीं किया गया है।

किसी निर्धारिती को समर्थ बनाने की दृष्टि से, जिसने किसी पश्चातवर्ती वर्ष में न्यूनतम वैकल्पिक कर प्रत्यय के दावे के लिए किसी पूर्ववर्ती वर्ष में न्यूनतम वैकल्पिक कर का संदाय किया है, इस धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 115जग के अधीन संदत्त कर के लिए प्रत्यय, धारा 115जडड की उपधारा (1) या उपधारा-जघ के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 39]

## सीमाशुल्क

- टिप्पण:** (क) "आधारिक सीमा शुल्क" से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन उद्गृहीत सीमाशुल्क अभिप्रेत है।  
(ख) "सीवीडी" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उद्गृहीत अतिरिक्त सीमाशुल्क अभिप्रेत है।  
(ग) "एसएडी" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन उद्गृहीत विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क अभिप्रेत है।  
(घ) "निर्यात शुल्क" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट मालों पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क अभिप्रेत है।  
(ङ) वर्गाकार कोष्ठकों [ ] में खंड संख्या वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2014 के सुसंगत खंड को उपदर्शित करती है।

वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2014 के माध्यम से किए गए संशोधन, जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, उसके अधिनियमन की तारीख से प्रभावी होंगे।

### सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में संशोधन

- 1) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 का संशोधन किया जा रहा है, ताकि यह उपबंधित किया जा सके कि उस अधिनियम में निर्दिष्ट मुख्य सीमाशुल्क आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त के प्रतिनिर्देश में यथास्थिति प्रधान मुख्य सीमाशुल्क आयुक्त या प्रधान सीमाशुल्क आयुक्त प्रतिनिर्देश को सम्मिलित किया जा सकेगा। यह अधिनियम में पारिणामिक संशोधनों के लिए उपबंध करने के लिए भी है। [खंड 72]
- 2) धारा 3का संशोधन किया जा रहा है जिससे सीमाशुल्क के अधिकारियों के वर्ग में प्रधान मुख्य सीमाशुल्क आयुक्त और प्रधान सीमाशुल्क आयुक्त को सम्मिलित किए जाने का उपबंध किया जा सके। [खंड 73]
- 3) उन दशाओं में जहां प्रवेश पत्र आयात रिपोर्ट (जो भूमि मार्ग द्वारा आयात की दशा में माल सूची के नाम से ज्ञात है) फाइल करने से पहले, यान द्वारा आयातों के लिए शुल्क दर के निर्धारण तथा टैरिफ के मूल्यांकन के लिए धारा 15(1) में संशोधन करके उपबंधित किया जा रहा है। [खंड 74]
- 4) धारा 25 का यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया जा रहा है कि भारत के महाद्वीपों निम्न तट भूमि या भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में निष्कर्षित या उत्पादित खनिज तेलों पर, जिनमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भी हैं, 7 फरवरी, 2002 से पूर्व की अवधि के लिए सीमाशुल्क की वसूली नहीं की जाएगी। [खंड 75]
- 5) धारा 46(3) का संशोधन भूमि मार्ग से आयातों के लिए आयात रिपोर्ट (जो भूमि द्वारा आयात की दशा में माल सूची के नाम से ज्ञात है) फाइल करने से पूर्व प्रवेश पत्र फाइल करने हेतु अनुज्ञात करने के लिए किया जा रहा है। [खंड 76]
- 6) धारा 127 क का संशोधन "सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क समझौता आयोग," शब्दों के स्थान पर "सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग" शब्द रखकर पुनर्नामित करने के लिए किया जा रहा है, चूंकि वर्ष 2012 में सेवा कर मामलों के निपटारे को भी सम्मिलित करने के लिए भी सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क समझौता आयोग के विस्तार और कार्यों का वर्धन किया गया। [खंड 77]
- 7) धारा 127 ख(1) का संशोधन धारा 28कक के प्रति निर्देश से धारा 28कख के प्रति निर्देश को बदलने के लिए किया जा रहा है, चूंकि धारा 28कख का लोप वित्त अधिनियम, 2011 द्वारा किया गया है और यह उपबंध करने के लिए है कि मामलों के समझौते के लिए आवेदन उन मामलों में भी फाइल किया जा सकता है, जहां डाक या कुरियर के माध्यम से आयातित या निर्यातित माल से संलग्न निर्यात पत्र, यात्री सामान लेबल या घोषणा में फाइल किए गए हैं। [खंड 78]
- 8) धारा 127ख का भी संशोधन किया जा रहा है जिससे कि उपधारा (2) का लोप किया जा सके चूंकि वह निरर्थक हो गई है। [खंड 78]
- 9) धारा 127ठ का संशोधन किया जा रहा है जिससे एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जा सके कि शुल्क दायित्व की विशिष्टियों को छिपाया जाना, सीमाशुल्क अधिकारी से ऐसे किसी छिपाए जाने के संबंध में है न कि समझौता आयोग से। [खंड 79]
- 10) धारा 129क(1) का संशोधन किया जा रहा है जिससे विद्यमान 50,000 रु. से बढ़ाकर 2 लाख रु. करके अपील ग्रहण करने से इंकार करने के लिए अधिकरण को विवेकानुसार शक्तियों को बढ़ाया जा सके। [खंड 80]
- 11) धारा 129क(1ख) का संशोधन "राजपत्र में अधिसूचना द्वारा," शब्दों को "आदेश द्वारा" शब्द प्रतिस्थापित करके किया जा रहा है जिससे बोर्ड को अधिसूचना के बजाय आदेश द्वारा पुनर्विलोकन समिति का गठन करने के लिए समर्थ बनाया जा सके। [खंड 80]
- 12) धारा 129 ख(2क) का संशोधन धारा 129ड के एक नई धारा से प्रतिस्थापन को दृष्टिगत रखते हुए पहले, दूसरे और तीसरे परंतुक का लोप करने के लिए किया जा रहा है। [खंड 81]
- 13) धारा 129घ का संशोधन उपधारा (3) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए किया जा रहा है जिससे बोर्ड में 30 दिन की अवधि तक का विलंब माफ करने की शक्ति निहित की जा सके, सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा पारित मूल आदेशों का पुनर्विलोकन मुख्य आयुक्तों की सीमित द्वारा किया जा सके। [खंड 82]
- 14) धारा 129ड का प्रतिस्थापन एक नई धारा से किया जा रहा है जिससे आयुक्त (अपील) या अधिकरण को प्रथम अवस्था पर अपील फाइल करने के लिए मांगे गए शुल्क या अधिरोपित शास्ति या दोनों के 7.5%, द्वितीय अवस्था पर अपील फाइल करने के लिए मांगे गए शुल्क या अधिरोपित शास्ति के या दोनों के 10% का बाध्यकारी नियत पूर्व निक्षेप विहित किया जा सके। संदेय पूर्व निक्षेप की रकम 10 करोड़ रुपए की सीमा के अधीन होगी। [खंड 83]
- 15) धारा 131खक का संशोधन किया जा रहा है जिससे इस तथ्य पर विचार करने के लिए आयुक्त (अपील) को समर्थ बनाया जा सके कि विषय पर पूर्व विनिश्चय के रूप में उद्घृत होने के कारण विशिष्ट आदेश के विरुद्ध कम रकम के कारणों से अपील नहीं की गई है। [खंड 84]

### सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम अधिनियम, 1975 का संशोधन

- 1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख का संशोधन किया जा रहा है जिससे निर्यातोन्मुख उपक्रम द्वारा आयातित तथा उस रूप में घरेलू टैरिफ क्षेत्र में निकासी किए गए या अन्तिम उत्पादों के विनिर्माण में उपयोग में लाई गई तथा घरेलू टैरिफ क्षेत्र में निकासी किए गए इनपुट/कच्ची सामग्री पर रक्षोपाय शुल्क का उपबंध किया जा सके। [खंड 86]

यह परिवर्तन अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा के कारण तुरन्त प्रभावी होगा।

### सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में संशोधन:

- 1) टैरिफ मद 2402 20 60 का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में संशोधन के लिए पारिणामिक परिवर्तन के रूप में लोप किया जा रहा है।
- 2) टैरिफ मद 8517 62 90 और 8517 69 90 के अन्तर्गत आने वाले माल पर आधारिक सीमाशुल्क की टैरिफ दर को शून्य से बढ़ाकर 10% किया जा रहा है।
- 3) कतिपय प्रविष्टियों के प्रति एकक मात्रा कोड में परिवर्तन किया जा रहा है। [खंड 87]
  - (1) और (2) में परिवर्तन अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा के कारण तुरन्त प्रभावी होंगे।

#### भूतलक्षी छूटें:

- I) द्रवित प्रोपेन और बुटेन मिश्रण, द्रवित प्रोपेन, द्रवित बुटेन और द्रवित पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) को जिसे गैर घरेलू छूट प्राप्त प्रवर्ग (एनडीईसी) ग्राहकों को प्रदाय के लिए इन्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड या भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा आयात किया गया है, 08-02-2013 से भूतलक्षी रूप से पूर्णतः छूट दी जा रही है जिससे गैर घरेलू छूट प्राप्त प्रवर्ग (एनडीईसी) ग्राहकों जैसे अस्पतालों, सरकारी जलपान गृहों, सीमा सुरक्षा बल/केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के भोजन कक्ष आदि को एलपीजी के प्रदाय के प्रयोजनों के लिए घरेलू ग्राहकों के बराबर माना जा सके। [खंड 85]

#### क. साधारण

##### I) यात्री सामान नियम निम्नलिखित के लिए संशोधित किए जा रहे हैं,—

- (i) निःशुल्क सामान भत्ते 35,000 रुपए से बढ़ाकर 45000/- रुपए करना।
- (ii) सिगरेटों के निःशुल्क भत्ते को 200 से घटाकर 100, सिगार के निःशुल्क भत्ते को 50 से घटाकर 25 तथा तम्बाकू के निःशुल्क भत्ते को 250 ग्राम से घटाकर 125 ग्राम करना।

#### ख. शुल्क की दरों में परिवर्तन को अंतर्वलित करने वाले प्रस्ताव:

##### I. कृषि/कृषि प्रसंस्करण/बागान सेक्टर:

- 1) उत्पाद का वर्णन "अधिसूचना सं.12/2012 सीमाशुल्क तारीख 17.3.2012 में "सूर्य शुष्कित काली बीजरहित किशमिश" जिस पर रियायती आधारिक सीमा शुल्क 30% लागू होता है, "काली बीज रहित किशमिश" में परिवर्तित किया जा रहा है।
- 2) सीमाशुल्क से पूर्ण छूट तेल निकाला हुआ सोया का सत्त मूंगफली की खली, खली भोजन, सूरजमुखी खली/खली भोजन, केनोला की खली/खली भोजन, सरसों की खली/खली भोजन, चावल चोकर खली/खजूर गिरी खली को 31-12-2014 तक प्रदान की जा रही।

##### II. रसायन और पेट्रोरसायन

- 1) रिफारमेट पर आधारिक सीमाशुल्क 10% से घटाकर 2.5% किया जा रहा है। प्रोपेन, एथेन, प्रोपलीन, बुटाडीन पर आधारिक सीमा शुल्क 5% से घटाकर 2.5% किया जा रहा है।
- 2) आर्थोक्सीलोन पर आधारिक सीमाशुल्क 5% से घटाकर 2.5% किया जा रहा है।
- 3) विकृत इथाइल एल्कोहल और मिथाइल एल्कोहल पर आधारिक सीमाशुल्क 7.5% से घटाकर 5% किया जा रहा है।
- 4) अपरिष्कृत नैपथालीन पर आधारिक सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% की जा रहा है।
- 5) वसायुक्त अम्लों, अपरिष्कृत खजूर स्टियरिन, आरबीडी और अन्य खजूर स्टियरिन तथा विनिर्दिष्ट औद्योगिक श्रेणी के अपरिष्कृत तेल पर आधारिक सीमाशुल्क वास्तविक उपयोक्ता की दशा के अधधीन साबुनों तथा तेल रसायनों के विनिर्माण के लिए 7.5% से घटाकर शून्य किया जा रहा है। अपरिष्कृत ग्लेसरीन पर सामान्यतः आधारिक सीमाशुल्क भी 12.5% से घटाकर 7.5% तथा वास्तविक उपभोक्ता अवस्था के अधीन रहते हुए साबुन के लिए 12.5% से घटाकर शून्य किया जा रहा है।

##### III. ऊर्जा सैक्टर

- 1) विभिन्न प्रकार की असंचित कोयला पर शुल्क सरचना को 2.5% के आधारिक सीमाशुल्क और 2% अतिरिक्त सीमाशुल्क पर सुव्यवस्थित किया जा रहा है। तदनुसार, कोक कोयला पर आधारिक सीमाशुल्क शून्य से बढ़ाकर 2.5% किया जा रहा है और वाष्प कोयला और बीटूमिनियस कोयला पर 2% से बढ़ाकर 2.5% किया जा रहा है। एन्थासाइट कोयला, कोक कोयला तथा अन्य कोयला पर आधारिक सीमाशुल्क 5% से घटाकर 2.5% किया जा रहा है। एन्थासाइट कोयला कोकिंग कोयला तथा अन्य कोयला पर अतिरिक्त सीमाशुल्क 6% से घटाकर 2% किया जा रहा है।
- 2) आधारिक सीमाशुल्क घात्विक कोक पर शून्य से बढ़ाकर 2.5% किया जा रहा है।
- 3) पुनः गैसीकृत एलएनजी पर आधारिक सीमाशुल्क से छूट पाकिस्तान को प्रदान के लिए प्रदान की जा रही है।
- 4) द्रवित प्रोपेन और बुटेन मिश्रण, द्रवित प्रोपेन, द्रवित बुटेन और द्रवित पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) को जिसे घरेलू छूट प्राप्त प्रवर्ग (एनडीईसी) ग्राहकों को प्रदाय के लिए इन्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड या भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा आयात किया गया है, 8.2.2013 से भूतलक्षी रूप से पूर्णतः छूट दी जा रही है।

**IV. टेक्सटाइल:**

- 1) निर्यात के लिए वस्त्र विनिर्माण हेतु रेडीमेड टेक्सटाइल वस्त्र सेक्टर द्वारा प्रयोग में लाने के लिए झालर और सजावट सामग्री के आयात पर शुल्क मुक्त हकदारी को 3% से बढ़ा कर 5% किया जा रहा है।
- 2) निर्यात के लिए वस्त्रों के विनिर्माण हेतु शुल्क मुक्त आयातित की जाने वाली पात्र मदों की सूची में गैर गलनीय कशीदाकारी गोटा या छाप को सम्मिलित किया जा रहा है।
- 3) हस्तशिल्प विनिर्माण निर्यातकों द्वारा अपेक्षित विनिर्दिष्ट माल की सूची का तार रोल सम्मिलित करते हुए विस्तार किया जा रहा है ताकि हस्तशिल्प विनिर्माण निर्यातकों द्वारा आयात करने पर उन्हें सीमाशुल्क छूट उपबंधित हो सके।
- 4) गलनीय कशीदाकारी गोटों या छापों, चोरी निरोधक उपकरण, पैकिंग हेतु पिन बुलेट्स, प्लास्टिक टैग बुलेट्स, धातु का फीता कमान, रिग और स्लाईडर हैंड रिग्स, को निर्यात के लिए हस्तशिल्प से बने हुए या कपास से बने हुए या मानव निर्मित विनिर्माण के लिए शुल्क मुक्त आयातित पात्र मदों की सूची में सम्मिलित किया जा रहा है।
- 5) टेक्सटाइल वस्त्रों के निर्यात हेतु विनिर्माण में प्रयोग होने वाले विनिर्दिष्ट आयातित माल आधारिक सीमाशुल्क और अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट प्राप्त हैं यदि विनिर्माणकर्ता वस्त्र आयात संवर्धन परिषद से एक हकदारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है इसके अतिरिक्त, भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद (आईएसपीईसी) हकदारी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत है।
- 6) स्पैन्डेक्स सूत के विनिर्माण के लिए कच्चे माल, जैसे कि पोलिटेट्रामेथाइलिन इथर ग्लाइकोल (पीटीएमइजी) और डायफिनायलमेथेन 4,4 डायआइसोसायनेट (एमडीआई) पर आधारिक सीमाशुल्क 5% से घटाकर शून्य किया जा रहा है।

**V. धातुएं:**

- 1) स्टेनलेस स्टील के सपाट उत्पादों पर आधारिक सीमाशुल्क (सीटीएच 7219 और 7220) को 5% से बढ़ा कर 7.5% किया जा रहा है।
- 2) जलयान को आयात करके तोड़ने पर आधारिक सीमाशुल्क 5% से घटाकर 2.5% किया जा रहा है।
- 3) बाक्सार्ट पर निर्यात शुल्क 10% से बढ़ाकर 20% किया जा रहा है।
- 4) कोल तार पिच पर आधारिक सीमाशुल्क 10% से घटाकर 5% किया जा रहा है।
- 5) बैटरी अवशिष्ट और बैटरी स्क्रेप पर आधारिक सीमाशुल्क 10% से घटाकर 5% किया जा रहा है।
- 6) इस्पात श्रेणी चूना पत्थर और इस्पात श्रेणी डोलोमाइट पर आधारिक सीमाशुल्क 5% से घटाकर 2.5% की जा रहा है।

**VI. बहुमूल्य धातुएं:**

- 1) आधे कटे या टूटे हुए हीरों पर आधारिक सीमाशुल्क शून्य से बढ़ाकर 2.5% किय जा रहा है और कटे हुए और रंगीन रत्नों पर 2% से बढ़ाकर 2.5%। किया जा रहा है।
- 2) पूर्व अवस्था में बहुमूल्य और अर्द्धबहुमूल्य रत्नों को आधारिक सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी जा रही है।
- 3) विदेशी प्रयोगशाला/अभिकरण से प्रमाणन/श्रेणीकरण के पश्चात् कटे हुए और पोलिश किए हुए हीरों के पुनः आयात की बाबत, अन्तर के स्तर और माप के प्रतिमान को व्यापार सुविधा उपाय के रूप में बढ़ाया जा रहा है।

**VII. इलैक्ट्रॉनिक/हार्डवेयर:**

- 1) 19 इंच से कम के एलसीडी और एलडीडी टीवी पैनलों पर आधारिक सीमाशुल्क 10% से घटाकर शून्य किया जा रहा है।
- 2) टीवी के लिए एलसीडी और एलईडी पैनलों के विनिर्दिष्ट हिस्सों पर आधारिक सीमाशुल्क से छूट दी जा रही है।
- 3) कैथोड किरण टीवी के विनिर्माण के लिए रंगीन पिक्चर ट्यूब पर आधारिक सीमाशुल्क 10% से घटाकर शून्य किया जा रहा है।
- 4) आईटीए (सूचना प्रौद्योगिकी करार) के अंतर्गत नहीं आने वाले विनिर्दिष्ट दूरसंचार उत्पादों पर आधारिक सीमाशुल्क शून्य से बढ़ाकर 10% किया जा रहा है।
- 5) वास्तविक उपभोक्ता शर्त के अधीन, पर्सनल कम्प्यूटर (लैपटॉप/डेस्कटॉप) और टैबलेट कम्प्यूटर के विनिर्माण में प्रयुक्त सभी इनपुट/अवयवों पर विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) से छूट दी जा रही है।
- 6) आयातित इलैक्ट्रॉनिक उत्पादों पर शिक्षा उपकर और माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा उपकर (एसएचई) उद्ग्रहीत किया जा रहा है।
- 7) स्मार्ट कार्ड के विनिर्माण में प्रयुक्त विनिर्दिष्ट इनपुट (पीवीसी सीट और रिबन) पर विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) से पूर्ण छूट दी जा रही है।
- 8) ई-बुक रीडर्स पर आधारिक सीमाशुल्क 7.5% से घटाकर शून्य किया जा रहा है।
- 9) पोर्टेबल एक्स-रे मशीन/सिस्टम पर सीवीडी छूट को वापस लिया जा रहा है।

**VIII. नवीकरणीय उर्जा:**

- 1) वायु चालित विद्युत जनित्रों के बियरिंग के विनिर्माण में प्रयुक्त फ्रोज्ड स्टील रिग पर आधारिक सीमाशुल्क 10% से घटाकर 5% किया जा रहा है।
- 2) वायु चालित विद्युत जनित्रों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित हिस्सों और अवयवों पर विशेष अतिरिक्त शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की जा रही है।

- 3) सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना के लिए अपेक्षित मशीनरी, उपस्करों आदि पर आधारिक सीमाशुल्क को घटाकर 5% किया जा रहा है।
- 4) सौर बैकशीट और ईवीए शीट के विनिर्माण में प्रयुक्त विनिर्दिष्ट कच्ची सामग्री पर आधारिक सीमाशुल्क से पूर्ण छूट दी जा रही है।
- 5) सौर पीवीसैल/मॉड्यूल के लिए पीवी रिबन (टिन्ड तांबा इंटरकनेक्ट) के विनिर्माण में प्रयुक्त फ्लैट तांबा तार पर आधारिक सीमाशुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की जा रही है।
- 6) कम्प्रेसड बायोगैस प्लांट (बायो-सीएनजी) की स्थापना करने के लिए अपेक्षित मशीनरी, उपस्कर, आदि पर 5% का रियायती सीमा शुल्क लगाया जा रहा है।

#### IX. पूंजी माल/अवसंरचना:

- 1) यह स्पष्ट किया जा रहा है कि अवक्षयण मूल्य पर सीमाशुल्क के संदाय के अधीन शुल्क मुक्त आयातित सड़क के सन्निर्माण की मशीनरी को आयात के 5 वर्ष के भीतर विक्रय किया जा सकता है और यह कि संघ के व्यष्टिक संघटक जिनके नाम संविदा में प्रकट होते हैं, शुल्क के संदाय के बिना माल का आयात कर सकते हैं।
- 2) परियोजना आयात विनियम, 1986 के अंतर्गत आने वाली मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए संबंधित राज्य सरकारों को प्रायोजक प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया जा रहा है।
- 3) संयुक्त राष्ट्र या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं में उपयोग के लिए 2008 से पूर्व आयातित संयंत्र और उपस्कर, जिन्हें अब तक परियोजना स्थल से अंतरित/विक्रय/पुनःनिर्यातित नहीं किया जा सका था, अब परियोजना स्थल से अंतरित/विक्रय/पुनःनिर्यातित होने के लिए अनुज्ञात किया जा रहा है।
- 4) सड़कों के सन्निर्माण के लिए अपेक्षित विनिर्दिष्ट मालों पर सीमा शुल्क छूट का लाभ उठाने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय (या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) से प्रमाणीकरण की अपेक्षा को हटाया जा रहा है।
- 5) वर्तमान में निदेशक (रोलिंग स्टॉक, इलैक्ट्रिकल और सिग्नल) के बजाय निदेशक (इलैक्ट्रिकल) को फेज-1 और फेज-2 परियोजनाओं की बाबत शून्य वीसीडी और शून्य सीवीडी फायदों का लाभ उठाने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन को समर्थ बनाने के लिए अपेक्षित प्रमाणपत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत किया जा रहा है।

#### X. स्वास्थ्य

- 1) ग्लोबल फंड टू फाइंड एआईडीएस, टीबी और मलेरिया (जीएफएटीएम) द्वारा वित्तपोषित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी) के अधीन आयातित एचआईवी/एआईडीएस ओषधि और नैदानिक किटों को सीमाशुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की जा रही है।

#### XI. सुरक्षा और रणनीतिक प्रयोजन:

- 1) राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (एनटीआरओ) द्वारा आयातित मालों को आधारिक सीमा शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की जा रही है।
- 2) बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बीएनपीएमआईपीएल), मैसूर द्वारा आयातित सिक्योरिटी फाइबर, सिक्योरिटी थ्रेड और एम-फीचर को सीमाशुल्क से पूर्ण छूट-प्रदान की जा रही है। वास्तविक उपयोक्ता शर्त के अधीन रहते हुए, सिक्योरिटी थ्रेड और सिक्योरिटी फाइबर के विनिर्माण के लिए अपेक्षित कच्ची सामग्री के लिए आधारिक सीमाशुल्क तथा अतिरिक्त सीमाशुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की जा रही है।
- 3) रक्षा मंत्रालय के लिए वायुयानों के विनिर्माण में उपयोग के लिए आयातित माल पर आधारिक सीमाशुल्क और अतिरिक्त सीमाशुल्क से पूर्ण छूट प्रदान करने वाली अधिसूचना सं.39/96-सीमाशुल्क, तारीख 23.07.1996 (क्रम सं.7) के विस्तार को इस प्रभाव से स्पष्ट किया जा रहा है कि, पूर्ण शर्त के अधीन रहते हुए कि वे अनुरूपता प्रमाणपत्र/निर्गम नोट/विकास के लिए वायु परिवहन प्रमाणपत्र के साथ वैमानिकी विनिर्देश के अनुरूप हों, छूट सभी सामग्रियों को किसी भी रूप में और उनकी वस्तुओं को उपलब्ध है।

#### XII. वायुयान और जलयान:

- 1) यह स्पष्ट किया जा रहा है कि वायुयान इंजन और इनके पुर्जे शुल्क से छूट के लिए पात्र हैं, जब उन्हें अनुसूचित प्रचालनों के लिए प्रयुक्त वायुयानों की सर्विसिंग, मरम्मत या अनुरक्षण के लिए आयात किया जाए।

#### XIII. प्रकीर्ण

- 1) टैरिफ मद 3903 19 90 को अधिसूचना सं. 10/2008-सीमाशुल्क [भारत-सिंगापुर विस्तृत आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) से हटाया जा रहा है। परिणामस्वरूप, पॉलीस्टाइरीन (मॉल्डिंग पाउडर से भिन्न)] पर आधारिक सीमाशुल्क को 1.15% से बढ़ाकर 7.5% किया जा रहा है।
- 2) कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटैश इकाइयों द्वारा अपेक्षित इलैक्ट्रोलाइजर्स और उनके हिस्सों/पुर्जों तथा मैम्ब्रेन सैल टैक्नोलोजी पर आधारित औद्योगिक संयंत्रों द्वारा अपेक्षित मैम्ब्रेनों और उनके हिस्सों/पुर्जों पर आधारिक सीमाशुल्क को 5% से घटाकर 2.5% किया जा रहा है। (मैम्ब्रेन और उनके हिस्सों से भिन्न) अन्य पुर्जों पर आधारिक सीमाशुल्क को भी 7.5% से घटाकर 2.5% किया जा रहा है।
- 3) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) से रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए, लोक वित्तपोषित और अन्य अनुसंधान संस्थाओं द्वारा वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरणों, उपस्करों आदि के आयात के समय संदत्त सीमाशुल्क के प्रतिदाय का उपबंध किया जा रहा है।
- 4) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8ख को संशोधित किया जा रहा है ताकि ईओयू द्वारा आयातित और डीटीए में स्वीकृत या अंतिम उत्पादों के विनिर्माण में इस प्रकार प्रयुक्त और डीटीए में स्वीकृत इनपुट/कच्ची सामग्री पर सुरक्षा शुल्क का उद्ग्रहण किया जा सके।

## उत्पाद-शुल्क

### केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 का संशोधन:

- (1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 या वित्त अधिनियम, 1994 का संशोधन किया जा रहा है ताकि उस अधिनियम में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क मुख्य आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त के प्रति किए गए निर्देश के अंतर्गत, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क प्रधान मुख्य आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क प्रधान आयुक्त को भी सम्मिलित किया जा सके। यह अधिनियम के पारिणामिक संशोधनों का उपबंध करने के लिए भी है। [खंड 88]
- (2) धारा 2(ख) का संशोधन किया जा रहा है जिससे केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी की परिभाषा में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क प्रधान मुख्य आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क प्रधान आयुक्त को सम्मिलित किया जा सके। [खंड 89]
- (3) धारा 15क अंतःस्थापित की जा रही है जिससे कि केन्द्रीय सरकार को ऐसे किसी प्राधिकारी या अभिकरण को, जिसको सूचना विवरणी विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा फाइल की जाएगी, जैसे कि आय-कर प्राधिकारी, राज्य विद्युत बोर्ड, मूल्य वर्धित कर प्राधिकारी या विक्रय-कर प्राधिकारी, कंपनी रजिस्ट्रार को विहित करने के लिए सशक्त बनाया जा सके। अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, जैसे कि कर अपवंचकों का पता लगाने के लिए या अभिपुष्ट शोध राशियों की वसूली के लिए सूचना एकत्र की जा सकती है। नई धारा 15ख को अंतःस्थापित करने का भी उपबंध है जिसमें सूचना विवरणी प्रस्तुत न किए जाने की दशा में शास्ति के अधिरोपण का उपबंध है। [खंड 90]
- (4) धारा 31(छ) और धारा 32(1) का संशोधन "सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क समझौता आयोग" के नाम को "सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग" के रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क समझौता आयोग के कार्य का विस्तार 2012 में किया गया था जिससे सेवा कर के मामलों को भी सम्मिलित किया जा सके। [खंड 91, खंड 92]
- (5) धारा 32ड(1) को धारा 11कक के प्रतिनिर्देश से धारा 11 कख के प्रति निर्देश को प्रस्थापित करने के लिए संशोधित किया जा रहा है चूंकि धारा 11कख का वित्त अधिनियम, 2011 द्वारा लोप किया गया है। [खंड 93]
- (6) धारा 32ड(1) में भी उन मामलों में समझौता आयोग के समक्ष समझौते के लिए आवेदनों को फाइल किए जाने को अनुज्ञात करने के लिए संशोधन किया जा रहा है जहां आवेदक ने उसके लिए कारण अभिलिखित करने के पश्चात विवरणियां फाइल नहीं की है। [खंड 93]
- (7) धारा 32ड की उपधारा (2) का लोप करने के लिए संशोधन किया जा रहा है चूंकि वह व्यर्थ हो गयी है। [खंड 93]
- (8) धारा 32ण(1) का संशोधन किया जा रहा है जिससे एक स्पष्टीकरण अन्तः स्थापित किया जा सके कि शुल्क दायित्व की विशिष्टियों को छिपाना केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी से न कि समझौता आयोग से किए गए किसी ऐसी विशिष्टियां छिपाने से संबंधित है। [खंड 94]
- (9) धारा 32ख(1) का संशोधन किया जा रहा है जिससे विद्यमान 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक की अपील के ग्रहण करने से इंकार करने के लिए अधिकरण की विवेकाधीन शक्तियों में वृद्धि की जा सके। [खंड 95]
- (10) धारा 35ख(1ख) "राजपत्र में अधिसूचना द्वारा" शब्दों को "आदेश द्वारा" से प्रतिस्थापित करने के लिए संशोधित की जा रहीं है जिससे बोर्ड को अधिसूचना के माध्यम की बजाए, आदेश के माध्यम से पुनर्विलोकन समिति गठित करने में समर्थ हो सके। [खंड 95]
- (11) धारा 35ग(2क) को धारा 35च को एक नई धारा से प्रतिस्थापन करने को ध्यान में रखते हुए प्रथम, द्वितीय और तृतीय परन्तुक का लोप करने के लिए संशोधित किया जा रहा है। [खंड 96]
- (12) धारा 35ड का उपधारा (3) में परन्तुक अन्तः स्थापित करने के लिए संशोधन किया जा रहा है जिससे बोर्ड में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त द्वारा मूल रूप से पारित आदेशों की मुख्य आयुक्तों की समिति द्वारा पुनर्विलोकन के लिए 30 दिन तक की अवधि के लिए विलंब को माफ करने की शक्तियां विहित की जा सकें। [खंड 97]
- (13) धारा 35च को मांग किए गए शुल्क का या अधिरोपित शास्ति या पहले प्रक्रम पर आयुक्त (अपील) या अधिकरण के पास अपील फाइल करने के लिए दोनों का 7.5% का आज्ञापक नियत पूर्व निक्षेप और अधिकरण के समक्ष मांग किए गए शुल्क या अधिरोपित शास्ति दूसरे प्रक्रम पर अपील फाइल करने, दोनों का 10% विहित करने के लिए एक नई धारा प्रतिस्थापित की जा रही है। संदेय पूर्व निक्षेप की रकम 10 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा तक होगी। [खंड 98]
- (14) धारा 35ठ का संशोधन किया जा रहा है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि माल की कराधेयता या उत्पाद-शुल्कयता से संबंधित विवादों को अवधारण, शुल्क की दर से संबंध रखने वाले किसी प्रश्न के अवधारण पद के अन्तर्गत आता है और इसलिए, ऐसे विषयों में अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय के समक्ष की जाएगी। [खंड 99]
- (15) धारा 35द का संशोधन किया जा रहा है जिससे आयुक्त (अपील) को इस तथ्य पर विचार करने के लिए समर्थ बनाया जा सके कि किसी विषय पर पूर्व विनिश्चय के रूप में उद्धृत होने के कारण विशिष्ट आदेश के कम रकम के कारणों से अपील नहीं की गई है। [खंड 100]

- (16) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के तीसरी अनुसूची में अधिसूचना सं.49/2008-सीई (एनटी) तारीख 24.12.2008 को सम्मिलित किया जा रहा है जिसमें फुटकर विक्रय कीमत (आरएसपी) पर आधारित निर्धारण के लिए दायी माल विनिर्दिष्ट है। [खंड 104]

पैरा 16 में परिवर्तन अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा के कारण तुरन्त प्रभावी होगा।

#### केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची में संशोधन

- (1) 65 मिमी से अधिक लम्बाई की सिगरेटों के लिए उत्पाद शुल्क में 72 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है और अन्य लम्बाइयों की सिगरेटों पर वृद्धि को 11 प्रतिशत से बढ़ा कर 21 प्रतिशत किया गया है। इसी प्रकार सिगारों, चुस्ट और छोटे सिगारों पर वृद्धि करने का प्रस्ताव है।
  - (2) पान मसाला पर 12 प्रतिशत से 16 प्रतिशत, अनिर्मित तम्बाकू पर 50 प्रतिशत से 55 प्रतिशत, जर्दा, सुगंधित तम्बाकू, गुटका, और चर्कण तम्बाकू पर 60 प्रतिशत से 70 प्रतिशत आधारीक उत्पाद शुल्क की वृद्धि की जा रही है।
  - (3) टैरिफ मद 2402 20 60 का लोप किया जा रहा है।
  - (4) कागज बेलित बीड़ियों से भिन्न जो मशीन को सहायता के बिना विनिर्मित हो के सामने आने वाली प्रविष्टि 2003 19 को 2403 19 21 के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है।
  - (5) कतिपय प्रविष्टियों के सामने मात्रा कोड का परिवर्तन किया गया है। [खंड 105]
- क्र.सं.(1) से (4) में परिवर्तन अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा के कारण तुरन्त प्रभावी होगा।

#### नियमों का भूतलक्षी संशोधन

- (1) पान मसाला पैकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 8 का यह उपबंध करने के लिए तारीख 13 अप्रैल, 2010 से भूतलक्षी रूप से संशोधन किया जा रहा है कि जहां विनिर्माता एक ही मशीन पर भिन्न-भिन्न फुटकर विक्रय कीमत के पाउचों का विनिर्माण करता है वहां उस मास के लिए शुल्क, दायित्व, इस प्रकार विनिर्मित उच्चतर फुटकर विक्रय कीमत को लागू शुल्क होगा। इससे पान मसाला (पैकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क संग्रहण) नियम 2008 संयुक्त उद्ग्रहण स्कीम के अधीन एक ही मशीन पर भिन्न-भिन्न फुटकर विक्रय कीमत के पाउचों के विनिर्माण के संबंध में चर्वण तम्बाकू और अविनिर्मित तम्बाकू पैकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क संग्रहण) नियम, 2010 के अनुरूप हो जाएगा। [खंड 101]

#### भूतलक्षी छूट

- (1) बहुमूल्य धातुओं की बिना ब्रांड की चीजों को 1 मार्च, 2011 से 16 मार्च, 2012 की अवधि के लिए उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है जिससे उक्त अवधि के लिए बहुमूल्य धातुओं के बिना ब्रांड की चीजों पर उत्पाद शुल्क के अनाशयित उद्ग्रहण को हटाया जा सके। [खंड 102]
- (2) प्लास्टिक स्क्रेप या पालीथिन टेरीफिथलेट बोटलों सहित बेकार प्लास्टिक से निर्मित पालिस्टर फाइबर और पालिस्टर फिलामेंट यार्न (जो पहले से अर्थात् 8 मई, 2012 से छूट प्राप्त है) पर उत्पाद शुल्क को भूतलक्षी रूप से, अर्थात् 29 जून 2010 से 7 मई 2012 तक छूट प्रदान की गई है और ऐसे पालिस्टर स्टेपल फाइबर/पालिस्टर यार्न के विनिर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाले मध्यवर्ती उत्पाद 'सन' को भूतलक्षी रूप से अर्थात् 29 जून, 2010 से 10 जुलाई, 2014 तक छूट प्रदान दी गई है जिससे ऐसे पालिस्टर स्टेपल फाइबर/पालिस्टर फिलामेंट स्टेपल फाइबर/पालिस्टर फिलामेंट यार्न के विनिर्माण के दौरान उत्पन्न सन (मध्यवर्ती उत्पाद) पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अनाशयित उद्ग्रहण का सुधार किया जा सके। [खंड 102, 103]
- (3) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन या भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड 08.02.2013 से भूतलक्षी प्रभाव द्वारा गैर घरेलू छूट प्राप्त प्रवर्ग उपभोक्ताओं को प्रदाय के लिए द्रवीकृत प्रोपेन और ब्यूटेन मिश्रण, द्रवीकृत प्रोपेन, द्रवीकृत ब्यूटेन और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी छूट प्रदान की गई है जिससे अस्पताल, सरकारी कैंटीन, बीएसएफ/सीआईएसएफ मैस आदि जैसे गैर घरेलू छूट प्राप्त प्रवर्ग के उपभोक्ताओं को एलपीजी की आपूर्ति करने के प्रयोजनों के लिए घरेलू उपभोक्ताओं के समान समझा जा सके। [खंड 103]

प्रस्ताव जिसमें शुल्क दरें अन्तर्वलित हैं:

#### I. कृषि/कृषि प्रसंस्करण/बागान सेक्टर

- (1) मांस, कुक्कुट पालन, फलों, सूखे मेवे या सब्जियों के उत्पाद तैयार करने की मशीनरी और शराब, साइडर, फलों के जूस या उसी प्रकार के पेय पदार्थों के विनिर्माण में प्रयुक्त सम्पीडक, दलिया और वैसी ही मशीनों और पैकिंग मशीनों पर उत्पाद शुल्क को कम करके 12 प्रतिशत से 6 प्रतिशत कर दिया गया है।

#### II. आटोमोबाइल:

- (1) टैक्टर विनिर्माताओं के एक या अधिक कारखाने से टैक्टरों के विनिर्माण के लिए उसी विनिर्माता के अन्य कारखाने में ले जाए गए टैक्टरों के पुर्जों पर उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान की गई है।

**III. धातुएं:**

- (1) तांबे के आवलन तार पर उत्पाद शुल्क को बढ़ाकर 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत कर दिया गया है।

**IV. बहुमूल्य धातुएं:**

- (1) बहुमूल्य धातुओं की बिना ब्रांड की वस्तुओं को 1 मार्च, 2011 से 16 मार्च, 2012 की अवधि के लिए उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान की गई है।

**V. वस्त्र:**

- (1) प्लास्टिक स्क्रेप या पालीथेलिनरी फियलेट बोतलों सहित बेकार प्लास्टिक से निर्मित पालिस्टर स्टेपल फाइबर और पालिस्टर फिलामेंट यार्न (जो पहले से अर्थात् 8 मई, 2012 से छूट प्राप्त है) को भूतलक्षी रूप से अर्थात् 29 जून, 2010 से 7 मई, 2012 तक छूट प्रदान की गई है और ऐसे पालिस्टर स्टेपल फाइबर/पालिस्टर फिलामेंट यार्न के विनिर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाले मध्यवर्ती उत्पाद 'सन' को भूतलक्षी रूप से अर्थात् 29 जून 2010 से 10 जुलाई, 2014 तक उत्पाद-शुल्क से छूट प्रदान की गई है।
- (2) प्लास्टिक स्क्रेप या पालीथेलिन टेरीफिथलेट बोतलों सहित बेकार प्लास्टिक से निर्मित पालिस्टर स्टेपल फाइबर या पालिस्टर फिलामेंट यार्न पर 11 जुलाई 2014 से 2 प्रतिशत (केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर के बगैर) या 6 प्रतिशत (केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर सहित) की दर से उत्पाद शुल्क अधिरोपित किया गया है।

**VI. स्वास्थ्य:**

- (1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय वेक्टर बॉर्न रोग नियंत्रण कार्यक्रम को प्रदाय करने के लिए हिन्दुस्तान इनसेक्टासाइड लिमिटेड द्वारा निर्मित डीडीटी को उत्पाद शुल्क से पूरी छूट प्रदान की गई है।
- (2) एड्स, टीबी और मलेरिया से लड़ने के लिए वैश्विक निधि द्वारा वित्तपोषण राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन एचआईवी/एड्स संबंधी औषधियों और नैदानिक किटों (डाइगनास्टिक किट) को उत्पाद शुल्क से पूरी छूट प्रदान की गई है।
- (3) 65 मिमी से अधिक लम्बी सिगरेटों पर 72 प्रतिशत तक उत्पाद शुल्क की वृद्धि की गई है और अन्य लम्बाइयों की सिगरेटों को 11 प्रतिशत से बढ़ाकर 21 प्रतिशत किया गया है। इसी प्रकार सिगरेटों, चुस्ट और छोटे सिगारों पर वृद्धि करने का प्रस्ताव है।
- (4) पान मसाला पर 12 प्रतिशत से 16 प्रतिशत तक, अनिर्मित तम्बाकू पर 50 प्रतिशत से 55 प्रतिशत तक, जर्दा, सुगंधित तम्बाकू, गुटका और चर्णव तम्बाकू पर 60 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक आधारीक उत्पाद शुल्क की वृद्धि की जा रही है।

**VII. इलेक्ट्रॉनिक्स/हार्डवेयर:**

- (1) अभिलेखबद्ध स्मार्ट कार्ड पर उत्पाद शुल्क, 12 प्रतिशत की एक समान दर तक केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर के बगैर 2 प्रतिशत से बढ़ाकर केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर सहित 6 प्रतिशत किया जा रहा है।
- (2) जल निस्पंदन या शुद्धता उपस्कर (घरेलू प्रकार के फिल्टर से भिन्न) में प्रयुक्त रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) मैम्ब्रेन को उत्पाद-शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की जा रही है। घरेलू प्रकार के फिल्टरों में प्रयुक्त आरओ मैम्ब्रेन एलीमेंट पर उत्पाद-शुल्क 12 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत किया जा रहा है।
- (3) एलईडी लाइटों और फिक्सरों तथा एलईडी लैम्पों के विनिर्माण में उपयोग के लिए धातु कोर पीसीबी और एलईडी चालक पर उत्पाद-शुल्क 12 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत किया जा रहा है।

**VIII. नवीकरणीय ऊर्जा:**

- (1) वायु प्रचालित विद्युत जेनरेटरों के बियरिंगों के विनिर्माण में प्रयुक्त गढ़े हुए स्टील रिगों पर उत्पाद शुल्क 12 प्रतिशत से कम करके शून्य किया जा रहा है।
- (2) सौर फोटोवॉल्टिक सेलों/मोड्यूलों, सौर विद्युत उत्पादनकारी उपस्कर/प्रणाली और सपाट प्लेट सौर संग्राहकों के विनिर्माण में प्रयुक्त सौर प्रबलित कांच के लिए उत्पाद-शुल्क की पूरी छूट का उपबंध किया जा रहा है।
- (3) सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना के लिए अपेक्षित मशीनरी, उपस्करों आदि की बाबत उत्पाद शुल्क की पूरी छूट प्रदान की जा रही है।
- (4) फोटोवॉल्टिक सेलों/मोड्यूलों के विनिर्माण में प्रयुक्त बैकसीट और ई.वी.ए. को तथा उनके विनिर्माण में प्रयुक्त विनिर्दिष्ट कच्ची सामग्री के लिए उत्पाद शुल्क से पूरी छूट का उपबंध किया जा रहा है।
- (5) गैर-पारंपरिक ऊर्जा युक्तियों के [क्र.सं. 332, अधिसूचना सं. 12/2012 सीड, तारीख 17.03.2012] विनिर्माण के लिए कारखाने के भीतर उपभोग किए गए उत्पादन संबंधी पुर्जों के लिए उत्पाद-शुल्क से पूरी छूट का उपबंध किया जा रहा है।
- (6) सौर सेलों/मोड्यूलों के विनिर्माण में प्रयोग के लिए पी.वी रिबन (डिब्बाबंद ताम्र इंटरकनेक्ट) के विनिर्माण में प्रयुक्त सपाट ताम्र तार पर उत्पाद शुल्क से पूरी छूट का उपबंध किया जा रहा है।
- (7) संपीड़ित जैव-गैस संयंत्र (बायो-सीएनजी) की स्थापना के लिए अपेक्षित मशीनरी, उपस्करों आदि पर उत्पाद शुल्क से पूरी छूट का उपबंध किया जा रहा है।

**IX. उपभोक्ता माल**

- (1) "किसी अन्य अवयव के साथ मिश्रित न किए गए" पद की परिधि को "हिना पाउडर या पेस्ट, जो किसी अन्य अवयव के साथ मिश्रित न हो", पर उत्पाद शुल्क की छूट के संदर्भ में स्पष्ट किया जा रहा है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि छूट द्रव्य के साथ मिश्रित हिना पाउडर पर, जहां तक वह द्रव्य हिना पाउडर को पेस्ट के रूप में परिवर्तित करने का साधन है, किंतु इसके अंतर्गत हिना डाई जैसे उत्पाद और ऐसे अन्य उत्पाद नहीं हैं जो प्रसाधन सामग्री हैं और जिनका कोई रितिक या पारंपरिक मूल्य नहीं है।

- (2) पांच सौ रुपए प्रति जोड़ा से अधिक किंतु 1000 रुपये प्रति जोड़ा से अनधिक फुटकर कीमत के फुटवियर पर उत्पाद शुल्क 12% से कम करके 6% किया जा रहा है।
- (3) हाथ से चलाई जाने वाली सिलाई मशीनों पर उत्पाद शुल्क को (2% केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर के बिना)/6% केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर के साथ) उन सिलाई की मशीनों से भिन्न, जो बिजली की मोटर से (चाहे वे उन मशीनों में ही लगी हुई हों या उससे अलग की जा सकती हों) चलाई जाती हैं, सिलाई की मशीनों पर रियायती उत्पाद-शुल्क उद्गृहीत करके सुव्यवस्थीकृत किया जा रहा है।
- (4) उन सुरक्षा दियासलाई डिब्बों का विनिर्माण करने वाली अर्ध-मशीनीकृत इकाइयों को, जिन पर 6% का रियायती उत्पाद-शुल्क लागू होता है, विद्युत की सहायता से 'लेबल लगाने' और 'पैकिंग करने' की प्रक्रियाएं करने को अनुज्ञात किया जा रहा है।
- (5) दस्तानों को, जो विशेष रूप से खेलों में प्रयोग के लिए डिजाइन किए जाते हैं, 2% के रियायती उत्पाद शुल्क का, बिना केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय के और 6% केन्द्रीय मूल्य वर्धित प्रत्यय साथ, आगे बढ़ाया जा रहा है।
- (6) वातित जल पर, जिसमें चीनी मिलाई हुई हो, मूल्यानुसार 5% की दर पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, उद्गृहीत किया जा रहा है।

#### X. ऊर्जा क्षेत्र

- (1) ब्रांड युक्त पेट्रोल पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क को 7.50 रुपए प्रति लिटर से कम कर के 2.35 रुपए प्रति लिटर किया जा रहा है।
- (2) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड या भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा गैर-घरेलू छूट प्राप्त प्रवर्ग (एन.डी.ई.सी.) उपभोक्ताओं को प्रदाय के लिए द्रवीकृत प्रोपेन और ब्यूटेन मिश्रण, द्रवीकृत प्रोपेन, द्रवीकृत ब्यूटेन और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) को उत्पाद-शुल्क से पूरी छूट का उपबंध किया जा रहा है।
- (3) कोयले, लिग्नाइट और पीट पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर की दर को 50 रुपए प्रतिटन से बढ़ाकर 100 रुपए प्रति टन किया जा रहा है।

#### XI. सुरक्षा और युक्ति प्रयोजन

- (1) राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (एनटीआरओ) को प्रदाय किये जाने वाले माल को उत्पाद शुल्क से पूरी छूट का उपबंध किया जा रहा है।
- (2) सिक्क्युरिटी पेपर मिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) और बैंक नोट पेपर मिल इंडिया लिमिटेड (बीएनपीएमआईपीएल) को प्रदाय किए गए सुरक्षा धागों और सुरक्षा फाइबर के लिए उत्पाद शुल्क की पूरी छूट का उपबंध किया जा रहा है।

#### XII. प्रकीर्ण

- (1) शैक्षिक पाठ्य पुस्तकों मुद्रणार्थ लिखने और मुद्रण संबंधी कागज पर 2% के (केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर के बिना)/6% (केन्द्रीय मूल्य वर्धित के के साथ) वैकल्पिक उत्पाद शुल्क को वापस लिया जा रहा है और उसके बाजार पर 6% केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर के साथ एक समग्र उत्पाद शुल्क उद्गृहीत किया जा रहा है।
- (2) माचिसों और विनिर्माण के लिए लाभप्रद रूप में विनिर्मित और उपयोग किए गए मध्यवर्ती माल को पूरी छूट दी जा रही है।
- (3) "अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर प्रदाय किए गए सभी मालों" को उत्पाद-शुल्क से छूट का विस्तार यह स्पष्ट करने के लिए किया जा रहा है कि उक्त छूट उद्घत परियोजना के कार्यक्रम के लिए मुख्य ठेकेदार (जिससे आईसीबी के माध्यम से परियोजना के लिए बोली जाती है) को माल के विनिर्माण और आपूर्ति के लिए उप ठेकेदारों को भी उपलब्ध है।
- (4) स्क्रेप या अवशिष्ट से पुनःप्रसंस्कृत और ईओयू द्वारा डीटीए में स्वीकृत प्लास्टिक सामग्री पर उत्पाद शुल्क में पूर्ण छूट प्रदान की जा रही है।
- (5) ईओयू द्वारा डीटीए में स्वीकृत मालों पर शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर (सीमाशुल्क अवयव) पर छूट दी जा रही है।
- (6) एक स्पष्टीकरण जारी किया जा रहा है कि अधिसूचना सं.28/2010-सीई और सं.29/2010-सीई, दोनों तारीख 22.06.2010 के अधीन शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर से छूट कोयले पर उद्ग्रहणीय स्वच्छ ऊर्जा उपकर की बाबत ही लाभ होती है, न कि कोयला पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क की बाबत।
- (7) यह स्पष्ट किया जा रहा है कि शीर्ष 86 01 से शीर्ष 86 06 (86 04 के सिवाय) के अंतर्गत आने वाले सभी मालों पर केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर के फायदे सहित 6% उत्पाद शुल्क लागू होता है।

#### प्रकीर्ण

- (1) राष्ट्रीय आपदा समाश्रित शुल्क से संबंधित, वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में संशोधन के पारिणामिक परिवर्तन के रूप में टैरिफ मद 2402 20 60 का लोप करने के लिए संशोधित किया जा रहा है।  
यह परिवर्तन, अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा के कारण तत्काल प्रभावी होगा। [खंड 107]
- (2) अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से संबंधित, वित्त अधिनियम, 2005 की सातवीं अनुसूची का संशोधन किया रहा है, जिससे:  
(क) वातित जल जिसमें चीनी मिलाई हुई है, पर मूल्यानुसार 5% की दर से अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क अधिरोपित किया जा सके।  
(ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में संशोधन के पारिणामिक परिवर्तन के रूप में टैरिफ मद 2402 20 60 का लोप किया जा सके।  
ये परिवर्तन, अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा के कारण तत्काल प्रभावी होंगे। [खंड 110]
- (3) स्वच्छ ऊर्जा उपकर से संबंधित, वित्त अधिनियम, 2010 की दसवीं अनुसूची को संशोधित किया जा रहा है जिससे स्वच्छ पर्यावरण पहल और स्वच्छ पर्यावरण के क्षेत्र में अनुसंधान को सम्मिलित करने के लिए उक्त उपकर के उद्ग्रहण के प्रयोजनों की परिधि को बढ़ाया जा सके। [खंड 111]

## सेवा कर

### I. कर आधार को व्यापक बनाना:

#### (i) सेवाओं की नकारात्मक सूची का पुनर्विलोकन

- प्रसारण मीडिया अर्थात् रेडियो या दूरदर्शन में विज्ञापनों के लिए स्थान या समय के विक्रय पर वर्तमान में उदग्रहणीय सेवा कर को आनलाइन और मोबाइल विज्ञापन जैसे अन्य भागों जैसे विक्रयों को आच्छादित करने के लिए विस्तारित किया गया है। तथापि, प्रिन्ट मीडिया में विज्ञापनों के लिए स्थान, विक्रय सेवा कर से अपवर्जित रहेगा। प्रिन्ट मीडिया इस प्रयोजन के लिए सेवा कर विधि में परिभाषित किया जा रहा है। यह परिवर्तन वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2014 पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रभावी होगा।
- सेवाकर, रेडियो टैक्सियों या रेडियों कैबों चाहे वे वातानुकूलित हो या नहीं, द्वारा प्रदान की सेवाओं पर उदग्रहीत किया जाना है। कैब सेवा किराए पर लेने के लिए वर्तमान में उपलब्ध उपशमन, उन्हें बराबरी पर लाने के लिए, रेडियो टैक्सी सेवा को भी उपलब्ध कराया जाएगा। रेडियो टैक्सी सेवाओं पर कर सेवा कर, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2014 पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो जाने के पश्चात्, बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रभावी होगा।

#### (ii) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 93(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना सं.25/2012-एसटी के अधीन विस्तारित साधारण छूटों का पुनर्विलोकन:

- मानवीय भागीदारों पर नैदानिक अनुसंधान पर विस्तारित छूट वापस ली जा रही है।
- वातानुकूलित संविदा गाड़ियों जैसे बसों पर विस्तारित छूट वापस ली जा रही है।

#### (iii) धारा 93(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना सं.25/2012-एसटी के अधीन विस्तारित साधारण छूटों का सुव्यवस्थीकरण:

- सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या सरकारी प्राधिकारी को प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में छूट जल प्रदाय, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता सफाई, ठोस अपशिष्ट प्रबंध या गन्दी बस्ती सुधार और उन्नयन के रूप में सेवाओं तक सीमित होगी।
- वर्तमान में, शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा (नकारात्मक सूची में विनिर्दिष्ट शैक्षणिक सेवाएं प्रदान करना अपने छात्रों, संकाय तथा कर्मचारीवृन्द को प्रदान की गई सभी सेवाएं छूट प्राप्त हैं; यह बनी रहेगी। तथापि, वर्तमान में ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा प्राप्त सेवाओं की बाबत छूट सहायक 'सहायक शैक्षणिक सेवाओं' की धारणा के माध्यम से प्रवृत्त की जा रही है। 'सहायक शैक्षणिक सेवाओं' की परिधि तथा अर्थ के बारे में शंकाएं उत्पन्न हुई हैं और स्पष्टीकरण मांगें गए हैं। स्पष्टता लाने के लिए, 'सहायक शैक्षणिक सेवाओं' की धारणा का लोप करने का और अधिसूचना में उन सेवाओं को विनिर्दिष्ट करने का प्रस्ताव है जिन पर तब छूट प्राप्त होगी जब वे शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा प्राप्त होती हैं। तदनुसार, पात्र शैक्षणिक संस्था: (i) छात्रों, संकाय तथा कर्मचारीवृन्द का परिवहन, (ii) सरकार द्वारा प्रायोजित किसी मध्याह्न भोजन स्कीम सहित खानपान प्रबंध सेवा (iii) ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं में सुरक्षा या सफाई या गृह प्रबंधन सेवाएं; और (iv) ऐसी संस्था में प्रवेश या परीक्षा-संचालन से संबंधित सेवाएं सेवाकर से छूट प्रदान की जा रही हैं। इस सुव्यवस्थीकरण को ध्यान में रखते हुए, शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा प्राप्त जंगम संपत्ति सेवा के किराए पर लेने की बाबत अब तक विस्तारित छूट वापस ली जाती है।
- होटलों, धर्मशालाओं या आश्रमों द्वारा प्रदान की गई आवास सेवाओं के लिए उपलब्ध छूट को, जब वे एक हजार रुपए प्रतिदिन से कम के लिए कमरे उपलब्ध कराते हैं, आशय को स्पष्ट करने के लिए पुनः परिभाषित किया जा रहा है।

तथापि, उपरोक्त (ii) और (iii) के मामलों में, जहां साधारण छूट वापस ली जाती हैं, यदि किसी वित्तीय वर्ष में प्रदान की गई कराधेय सेवा का समग्र मूल्य दस लाख रुपए से अधिक नहीं है तो छूट अधिसूचना सं.33/2012-एसटी के निबंधानुसार उपलब्ध होगी। छूट अधिसूचना सं.25/2012-एसटी में परिवर्तन तुरन्त प्रभावी होने हैं।

### II. संकर्म संविदा में से भाग पर सेवा कर-सुव्यवस्थीकरण

- सेवाकर मूल्यांकन नियम के नियम 2क में, संकर्म संविदाओं के प्रवर्ग 'ख' और प्रवर्ग 'ग' का 70 प्रतिशत के रूप में सेवा भाग की प्रतिशतता सहित एक एकल प्रवर्ग में समामेलित करने का प्रस्ताव है; यह परिवर्तन 1 अक्टूबर, 2014 से प्रभावी होगा।

### III. जलयानों द्वारा परिवहन सेवा के संबंध में कराधेय भाग पर सेवाकर:

- जलयानों द्वारा माल के परिवहन की बाबत कराधेय भाग 50% से घटाकर 40% कर दिया गया है। प्रभावी सेवा कर वर्तमान 6.18% से घटाकर 4.944% हो जाएगा। यह 1 अक्टूबर, 2014 से प्रभावी होगा।

### IV. नई छूटें

- बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित निर्धन व्यक्ति के लिए जीवन लघु बीमा स्कीमों में जहां बीमित राशि पचास हजार रुपए अधिक नहीं हैं, वहां उन्हें सेवा कर से छूट प्राप्त होगी।
- जलयान, रेल या सड़क (माल टैरिफ अधिनियम द्वारा) द्वारा जैविक खाद परिवहन को छूट दी जा रही है।
- कपास, ओटी हुई या गांठ बंधी हुई कपास की लदाई, उतराई, पैकिंग, भंडारण या भांडागारण, जलयान, रेल या सड़क (माल टैरिफ अधिनियम) द्वारा परिवहन, को छूट प्रदान की जा रही है।

- नैदानिक स्थापनों के लिए सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा प्रचालकों द्वारा प्रदान की सेवा को छूट प्रदान की जा रही है।
- विदेशी मुद्रा आरक्षितियों अर्थात् बाह्य आस्ति प्रबंध, अभिरक्षात्मक सेवाएं, प्रतिभूतियां उधार देने वाली सेवाएं आदि के प्रबंध के अनुक्रम में वैश्विक वित्तीय संस्थाओं से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राप्त विशेषीकृत वित्तीय सेवाओं को छूट प्रदान की जा रही है।
- ऐसे पर्यटन के संबंध में, जो पूर्णरूप से भारत से बाहर संचालित किए जाते हैं, विदेशी पर्यटकों के लिए भारतीय पर्यटन प्रचालकों द्वारा प्रदान की सेवाओं को छूट प्रदान की जा रही है।
- नई छूट तुरन्त अर्थात् 11.7.2014 से प्रभावी होगी।

#### V. भूतलक्षी छूट:

- कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा 1.7.2012 से पूर्व की अवधि के दौरान प्रदान की गई सेवा, सेवा कर से छूट प्राप्त होगी।

#### VI. वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 में कतिपय अन्य संशोधन:

- धारा 67क में, विनिमय दर के अवधारण के लिए नियमों का विहित किया जाना
- न्याय निर्णयों के पूरा किए जाने के लिए समय सीमा विहित करने के लिए धारा 73 का संशोधन किया जाना; यथा संभव समय सीमा का अनुसरण किया जाना।
- धारा 80 में, धारा 78 की उपधारा (1) के प्रथम परंतुक के प्रति निर्देश का लोप किया जाना है। गंभीर अपराधों के मामले में, शास्ति का अधित्यजन उपलब्ध नहीं कराया जाना है, यद्यपि अभिलेखों में ब्यौरे उपलब्ध हो सकेंगे।
- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 12च (1) के अनुरूप, धारा 82(1) का संशोधन किया जाना है, ताकि संयुक्त आयुक्त या अपर आयुक्त या बोर्ड द्वारा अधिसूचित कोई अन्य अधिकारी किसी केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी को तलाशी और अभिग्रहण के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं।
- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क(2क), धारा 15(क) और 15(ख) के निर्दिष्ट को समाविष्ट करने के लिए धारा 83 का संशोधन किया जाना है: (क) धारा 5क (2क) विहित करती है कि एक वर्ष के भीतर अधिसूचनाओं/आदेशों में एक स्पष्टीकरण का यह प्रभाव होगा कि मानो यह सदैव अधिसूचना का भाग रहा हो, (ख) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम में धारा 15क यह विहित करने के लिए अंतःस्थापित की जा रही है कि विनिर्दिष्ट तृतीय पक्षकार स्रोत यथा विहित रीति में आवधिक सूचना प्रस्तुत करेंगे; (ग) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम में धारा 15ख यह विहित करने के लिए अंतःस्थापित की जा रही है कि धारा 15क के अधीन सूचना प्रदान करने में असफल रहने पर शास्ति के दायी होंगे।
- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35च, धारा 83 द्वारा पहले से ही सेवा कर को लागू है। अब केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की धारा 35च को एक नई धारा से प्रतिस्थापित किया जा रहा है जो प्रथम अवस्था पर आयुक्त (अपील) या अधिकरण के सक्षम अपील फाइल करने के लिए मांग किए गए शुल्क या अधिरोपित शास्ति या दोनों का 7.5% और अधिकरण के समक्ष द्वितीय अवस्था अपील फाइल करने के लिए मांग किए गए शुल्क या अधिरोपित शास्ति या दोनों का 10% बाध्यकारी नियम पूर्व-निक्षेप विहित करती है। पूर्व-निक्षेप की रकम 10 करोड़ रु.की सीमा के अधीन होगी। सभी लंबित अपील/रोक ऐसे रोक आवेदनों/अपीलों को फाइल करने के समय विद्यमान कानूनी उपबंधों द्वारा शासित होंगी, जब केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की संशोधित धारा 35च प्रवृत्त होती है, तो वह स्वतः ही वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 83 के कारण सेवा कर को लागू होगी।
- धारा 86 की उपधारा (6क) को "रोक अनुदत्त करने या" शब्दों का लोप करने की लिए संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।
- धारा 87 में, पूर्ववर्ती से क्रय की गई उत्तराधिकारी की आस्तियों से पूर्वाधिकारी के शोध्यों की वसूली की शक्ति, उपबंधित की जानी है, जैसी कि वह केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11 में उपलब्ध है।
- धारा 94 को निम्नलिखित पर नियम बनाने की शक्ति प्राप्त करने के लिए संशोधित किया जाना है, (क) अन्य बातों के साथ-साथ, निर्धारित पर सूचना देने का कर्तव्य विहित करने, अभिलेख रखने और विवरणी तैयार करने तथा वह रीति विहित करने जिसमें वे सत्यापित किए जाएंगे; (ख) सेवा प्रदाता या निर्यातकर्ता पर सुविधाएं वापस लेने या निर्बन्धनों को अधिरोपित करने (जिसमें केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय के उपयोग पर निर्बन्धन सम्मिलित हैं), शुल्क अपवंचन या केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय के दुरुपयोग को रोकने; और (ग) सहायक या आनुषंगिक विषयों में निर्देश जारी करने।

क्रम.सं. 1 पर संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा, जिसे वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2014 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् अधिसूचित किया जाना है; अन्य संशोधन अनुमति की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

#### VII. अनुपालन वर्धन:

- धारा 75 के अधीन संदेय प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दरें, सेवा कर के संदाय में विलंब की सीमा के आधार पर परिवर्तन होती हैं। यह 1 अक्टूबर, 2014 को प्रवृत्त होगा।

विलेब की सीमा	प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर
छह मास तक	18%
छह मास से एक वर्ष तक	24%
एक वर्ष से अधिक	30%

**VIII. सेवाकर नियम: [परिवर्तन तुरंत प्रभावी है]**

- निदेशक द्वारा निगमित निकाय को प्रदत्त सेवा को उत्क्रमण प्रभार क्रियाविधि के अधीन लाया जाना है; सेवा प्राप्तकर्ता जो एक निगमित निकाय है, सेवाकर के संदाय का दायी व्यक्ति होगा।
- वसूली अभिकर्ताओं द्वारा बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और एनबीएफसी को प्रदत्त सेवाएं उत्क्रमण प्रभार क्रियाविधि के अधीन लाई जानी हैं, सेवा प्राप्तकर्ता, सेवा कर के संदाय का दायी व्यक्ति होगा।

**IX. केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय:**

- पूर्ण उत्क्रमण प्रभार के अधीन संदत्त सेवा कर: संदत्त कर के प्रत्यय के उपभोग के लिए सेवा प्रदाता को बीजक मूल्य के संदाय की शर्त का लोप किया जाना है [परिवर्तन तुरंत प्रभावी है]।
- विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्यात आगमों की प्राप्ति न होने के कारण उत्क्रमित केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय के पुनः प्रत्यय को अनुज्ञात किया जाना है, यदि ऐसे आगम संदाय की प्राप्ति के दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विनिर्दिष्ट अवधि से एक वर्ष के भीतर प्राप्त होते हैं [परिवर्तन तुरंत प्रभावी है]।
- किराया-एक कैब ऑपरेटर और दूर ऑपरेटर-निश्चित शर्तों के अधीन रहते हुए, एक प्रकार के कारबार में उप-ठेकेदार द्वारा संदत्त सेवाकर को दोहरे कराधान से बचने के लिए मुफ्त सेवा प्रदाताओं के लिए पात्र प्रत्यय के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा। अधिसूचना में संशोधन निर्दिष्ट करें, संख्या-26/2012-एसटी।
- जीटीए सेवा: सेवा प्रदाता से केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय उपभोग प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना, सेवा प्रापक उपशमन का उपभोग कर सकता है। [परिवर्तन तुरंत प्रभावी है] अधिसूचना में संशोधन निर्दिष्ट करें-26/2012-एसटी
- ईनपुट और ईनपुट सेवाओं पर प्रत्यय लेने के लिए समय सीमा: बीजक या चलानों या अन्य विनिर्दिष्ट दस्तावेजों की तारीख से छह महीने के भीतर रहते हुए, प्रत्यय लिया जा सकेगा। [परिवर्तन, 1 सितम्बर 2014, से प्रभावित]।

**X. सेवा नियमों के उपबंध का स्थान:**

- अस्थायी तौर से आयातित वस्तुओं की मरम्मत सेवा करने के लिए स्थान निर्धारण के उपबंध के लिए, उपबंधित विहित दिशाओं का लोप किया, जाए।
- मध्यवर्ती वस्तुओं का वही महत्व दिया जाएगा जो कि मध्यवर्ती सेवाओं को दिया गया है।
- जलयान (नौका यान का अपवर्जन) और वायुयान का नियम 9(घ) से अपवर्जन; लघु अवधि या दीर्घावधि है, पर विचार किए बिना जलयान या वायुयान को भाड़े पर लेना साधारण नियमों के अंतर्गत आएगा, जो कि सेवा प्रापक की अवस्थिति का स्थान है। [उपरोक्त परिवर्तन 1 अक्टूबर, 2014 से प्रभावित]।

**XI. कराधान नियमों के बिन्दु:**

- उत्क्रमण सेवा प्रभार्य की दशा में, कराधान बिन्दु के निर्धारण में निश्चितता लाने के लिए, इस प्रबंध का प्रायोजन किया गया है कि कराधान का बिन्दु, संदाय की तारीख या बीजक की तारीख से तीन महीने के पश्चात पहला दिन, जो भी पहले हो, होगा। कराधान का संशोधन बिन्दु, 1 अक्टूबर 2014 के पश्चात जारी बीजकों पर लागू होगा। एक संक्रमणकालीन नियम विहित किए जाने का प्रयोजन है [1 अक्टूबर 2014 से परिवर्तन प्रभावित है]।

**XII. आंशिक उत्क्रमण प्रभार क्रियाविधि का सरलीकरण:**

- मोटर यान को किराए पर देने में, सेवा प्रदाता और सेवा प्रापक द्वारा संदेय सेवा कर का भाग, प्रत्येक द्वारा 50% होगा। यह अक्टूबर, 2014 से प्रभावी होगा।

**XIII. विशेष आर्थिक जोन: प्रक्रियात्मक सरलीकरण: [परिवर्तन तुरंत प्रभावी है]**

- यह उपबंधित करना कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी प्ररूप ए-1 की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर प्ररूप ए-2 जारी करेगा।
- छूट उस तारीख से उपलब्ध होगी, जब सेवा की सूची जिस पर विशेष आर्थिक जोन, छूट लेने का हकदार है, प्ररूप ए-1 में विशेष आर्थिक जोन के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पृष्ठांकित की जाती है परंतु प्ररूप ए-1 इसके सत्यापन के पंद्रह दिन के भीतर अधिकारिता वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को प्रस्तुत की जाती है। यदि इसे बाद में प्रस्तुत किया जाता है तो छूट उस तारीख से उपलब्ध होगी जिसको प्ररूप ए-1 इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है।
- प्ररूप ए-2 का निर्गमन लंबित रहते, छूट इस शर्त के अधीन उपलब्ध होगी, कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा जारी प्राधिकार सेवा के उपबंध से तीन मास की अवधि के भीतर सेवा प्रदाता को प्रस्तुत किया जाएगा।
- उत्क्रमण प्रभार के अधीन सम्मिलित सेवाओं के संबंध में; सेवा प्रदाता के सेवाकर रजिस्ट्रीकरण संख्यांक को प्रस्तुत करने की अपेक्षा को छूट दी जाएगी।
- किसी सेवा को विशिष्टतया विशेष आर्थिक जोन प्रचालनों के लिए प्रयुक्त माना जाएगा यदि सेवा प्रापक कोई विशेष आर्थिक जोन इकाई या विकासकर्ता है, बीजक ऐसे इकाई/विकासकर्ता के नाम में है और सेवा का प्रयोग विशिष्टतया विशेष आर्थिक जोन में प्राधिकृत प्रचालनों को बढ़ाने के लिए किया जाता है।